आरआईएस चरण-III (पटना से वाराणसी)

के संचालन और अनुरक्षण और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा

(ओ एंड एम और सीएएमसी)

के लिए

निविदा

निविदा संख्या: IWAI-15013/3/2024-Hy

नवंबर, 2024

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्यालय: जलमार्ग भवन, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

टेलीफोन: (0120) 2522971, फैक्स: (0120) 2543973

वेबसाइट:- www.iwai.nic.in

अस्वीकरण

1. यह निविदा दस्तावेज भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न तो कोई समझौता है और न ही कोई प्रस्ताव है। इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस निविदा के अनुसार अपनी बोली तैयार करने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

2. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है और इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना आईडब्ल्यूएआई के लिए संभव नहीं है। इस निविदा दस्तावेज में ऐसे कथन शामिल हैं, जो आईडब्ल्यूएआई द्वारा कार्यों के संबंध में की गई विभिन्न धारणाओं और आकलनों को दर्शाते हैं। ऐसी धारणाएँ, आकलन और कथन प्रत्येक बोलीदाता के लिए आवश्यक होनेवाली सभी जानकारियों को शामिल करने का दावा नहीं करते हैं। प्रत्येक संभावित बोलीदाता को अपनी स्वयं की जाँच और विश्लेषण करते हुए इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जाँच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

3. आईडब्ल्यूएआई का किसी भी कानून (अनुबंध, अपकृत्य के कानून सहित) के अंतर्गत, इक्विटी, प्रतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा होनेवाले किसी भी हानि, व्यय या क्षति के साथ-साथ इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी चीज के संबंध में उत्पन्न होने या झेली जाने वाली अथवा इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा माने जाने वाले किसी भी मामले, कार्य सौंपे जाने, आईडब्ल्यूएआई या उनके कर्मचारियों, किसी भी सलाहकार या कार्य सौंपने के लिए चयन प्रक्रिया से किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली जानकारी और किसी भी अन्य जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के लिए किसी भी संभावित कंपनी/फर्म/कंसोटियम या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं रहेगा। इसके अलावा आईडब्ल्यूएआई किसी भी तरह से ऐसी किसी क्षति का भी उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह आईडब्ल्यूएआई लापरवाही के कारण हो या अन्यथा,फले ही वह इस निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी कथन पर किसी भी बोलीदाता की निर्भरता से उत्पन्न हुई हो।

4. बोलियाँ प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी देरी के लिए आईडब्ल्यूएआई जिम्मेदार नहीं होगा। इस निविदा दस्तावेज़ के जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आईडब्ल्यूएआई किसी बोलीदाता का चयन करने या सफल बोलीदाता को कार्यों के लिए नियुक्त करने के लिए बाध्य है,)जैसा भी मामला हो(और आईडब्ल्यूएआई किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इस निविदा दस्तावेज़ के जवाब में प्रस्तुत की गई किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आईडब्ल्यूएआई बोली जमा करने वाले सभी लोगों को सूचित करते हुए किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रोकने या वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. यहाँ दी गई जानकारी सांविधिक आवश्यकताओं का संपूर्ण विवरण नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक विवरण नहीं माना जाना चाहिए। आईडब्ल्यूएआई यहाँ व्यक्त कानून की किसी भी व्याख्या या राय की सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

6. आईडब्ल्यूएआई इस निविदा दस्तावेज के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने/सुधारने/संशोधित करने का अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा दस्तावेज/संशोधित निविदा दस्तावेज में किए जानेवाले ऐसे संशोधन आईडब्ल्यूएआई के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

विषय-सूची

अस्वीकरण.....2

खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण नोटिस**.....5**

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी).....8

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक.....28

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र.....33

प्रपत्र 4ख: योग्य परियोजनाएं.....36

प्रपत्र 4ग: औसत वार्षिक कारोबार.....38

प्रपत्र 4घ: पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी.....39

प्रपत्र 4ङ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा.....41

प्रपत्र 4च: बोलीदाता सूचना पत्रक.....42

प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा बोली पूर्व प्रश्नों के लिए प्रारूप.....43

प्रपत्र 4ठ: निर्माणाधीन समनुदेशन की सूची.....44

खंड-V: वित्तीय बोलियां मानक प्रपत्र.....45

प्रपत्र वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुति प्रपत्र.....46

प्रपत्र वित्त-2क: लागत का सारांश- बीओक्यू.....47

खंड-VI: संदर्भ शर्तें.....48

खंड-VII: संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी).....59

खंड-VIII: परिशिष्ट.....87

परिशिष्ट-I सत्यनिष्ठा समझौता.....

परिशिष्ट-II: निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र का प्रारूप.....93

परिशिष्ट-III: अनुबंध प्रपत्र.....95

परिशिष्ट-IV: बैंक खाते का विवरण.....97

परिशिष्ट-V: बैंक द्वारा प्रमाणन.....98

परिशिष्ट-VI: निविदा दस्तावेज की स्वीकृति का पत्र.....99

निविदा आमंत्रण नोटिस

(समाचार-पत्र में प्रकाशन के लिए)

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय)

ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 उ.प्र.

फोन नं.- 0120-2527667, 2543931

निविदा आमंत्रण नोटिस

निविदा सं. IWAI-15013/3/2024-Hy

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तीसरे चरण (पटना से वाराणसी) के आरआईएस स्टेशनों के संचालन और अनुरक्षण और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ओ एंड एम और सीएएमसी) के लिए अनुभवी, प्रतिष्ठित संविदादारों से ऑनलाइन बोलियां/निविदाएं आमंत्रित करता है।

निविदा दस्तावेज और विवरण हमारी वेबसाइट 'www.iwai.nic.in' और सीपीपीपी पोर्टल 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app' से XX.YY.2024 से XX.YY.2024 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि XX.YY.2024 को 15:00 बजे तक है और निविदा खोलने की तिथि XX.YY.2024 को 15:30 बजे है। ऑनलाइन बोलियाँ https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से जमा की जाएँगी।

हाइड्रोग्राफिक चीफ

खंड-I: ई-निविदा आमंत्रण नोटिस

ई-निविदा आमंत्रण नोटिस

क) प्रस्तावना:

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) आरआईएस चरण-III (पटना से वाराणसी) के संचालन और अनुरक्षण और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ओ एंड एम और सीएएमसी) के लिए दो कवर प्रणाली (कवर-I: तकनीकी बोली और कवर-II: वित्तीय बोली) में **प्रतिष्ठित संविदादारों/कंपनियों/फर्मों से** ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है। ।

क्र. सं.	मद	प्रतिभूति जमा राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)
1	आरआईएस चरण-III (पटना-वाराणसी) का संचालन और अनुरक्षण और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ओ एंड एम और सीएएमसी)	24,32,095/-	रुपए 5,000/- + 18% जीएसटी = 5,900/-

ख) महत्वपूर्ण आंकड़ा पत्रक:

इच्छुक पार्टियां आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "www.iwai.nic.in" https://eprocure.gov.in/eprocure/appand से निविदा दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड कर सकती हैं और उन्हें बोली दस्तावेज की लागत के रूप में अपेक्षित निविदा शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जाती है।

दस्तावेज़ डाउनलोड आरंभ होने की तिथि	00.00.2024
बोली पूर्व पूछताछ जमा करने की अंतिम तिथि	00.00.2024-1500 बजे तक
बोली पूर्व बैठक की तिथि	00.00.2024-1430 बजे
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	00.00.2024-1500 बजे तक
बोली खोली जाने की तिथि	00.00.2024-1530 बजे
निविदा दस्तावेज की लागत	रुपए 5000/- + 18% जीएसटी = रुपए 5,900

ग) कार्य-क्षेत्र:

कार्य-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

आईडब्ल्यूएआई ने नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में संचालन के तहत प्रणाली के समान नदी सूचना प्रणाली चरण-III की स्थापना की है। अन्तर्देशीय जलमार्गों के लिए आईएएलए दिशानिर्देश G1133 Ed1.1, जनवरी 2022 की सिफारिशों के अनुरूप सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुविधा के लिए गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के **पटना-वाराणसी मार्ग** पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा आरआईएस का चरण-III का निर्माण किया गया।

आरआईएस का चरण-III

1. चरण-III में, जलयानों की निगरानी जमानिया, गोविंदपुर और मौजामपुर में 3 बेस स्टेशन स्थल स्थापित करके की जाती है।
2. इसके अलावा, एमएमटी रामनगर, वाराणसी में एक नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण स्टेशन स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) के माध्यम से इस नदी क्षेत्र में चलने वाले जलयानों की निगरानी करते हैं और वीएचएफ के माध्यम

से जलयानों के साथ संचार करते हैं। वाराणसी स्थित इस नियंत्रण स्टेशन की मरम्मत भी अनुसूची-ख के अंतर्गत की जानी है।

तदनुसार, यह निविदा आरआईएस चरण-III (पटना से वाराणसी) के ओ एंड एम और सीएएमसी के उद्देश्य से जारी की जा रही है।

घ) चयन की विधि:

बोलीदाता का चयन न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस) के आधार पर किया जाएगा।

ङ) स्पष्टीकरण:

निविदा दस्तावेज पर स्पष्टीकरण/प्रश्न, यदि कोई हो, तो उसे निम्नलिखित पते से प्राप्त किया जा सकता है:

हाइड्रोग्राफिक चीफ

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा-201301,

टेलीफोन: (0120) 2527667, 2522969 फैक्स (0120) 2522969

वेबसाइट: www.iwai.nic.in **ईमेल**: hc@iwai.gov.in, srafat@iwai.gov.in

च) आईडब्ल्यूएआई का बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

खंड-II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

1. पृष्ठभूमि	1.1	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) भारत सरकार (जीओआई) के पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। आईडब्ल्यूएआई की स्थापना 1986 में नौवहन और नौवहन के उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए की गई थी। आईडब्ल्यूएआई मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास, अनुरक्षण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।
	1.2	अंतर्देशीय जल परिवहन में परिवहन का एक लागत प्रभावी, किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रीका प्रदान करने की क्षमता है। इसे विश्वसनीय फेयरवे पर चलने वाले आधुनिक अंतर्देशीय जलयान(ओं) द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया जाने पर यह रेल और सड़क अवसंरचना में भीड़भाड़ और निवेश की जरूरतों को कम कर सकता है, तटवर्ती राज्यों में अधिक पूरकता को बढ़ावा दे सकता है, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ा सकता है और पैमाने की बढ़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभ के लिए समग्र रसद लागत को काफी कम कर सकता है।
	1.3	आईडब्ल्यूएआई ने नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में संचालन के तहत प्रणाली के समान नदी सूचना प्रणाली चरण-I की स्थापना की है। आरआईएस का चरण-I, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, को आईडब्ल्यूएआई द्वारा गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के सागर-फरक्का खंड पर लागू और लॉन्च किया ताकि पीआईएएनसी की सिफारिशों के अनुरूप सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुविधा मिल सके। आरआईएस प्रणाली का उद्घाटन 6 जनवरी 2016 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा किया गया। इसके साथ ही, आईडब्ल्यूएआई ने फरक्का-पटना और पटना-वाराणसी खंड में आरआईएस स्थापित किया जिसे आरआईएस चरण-II और आरआईएस चरण-III के रूप में नामित किया गया है।
	1.4	नदी सूचना सेवा (आरआईएस) आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जिसे अन्तर्देशीय नेविगेशन में यातायात और परिवहन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली अग्रिम और वास्तविक समय में सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से मोबाइल जलयानों और तट (बेस स्टेशनों) के बीच तेजी से इलेक्ट्रॉनिक डेटा हस्तांतरण को बढ़ाती है। • आरआईएस का उद्देश्य जलमार्ग प्रचालकों और उपयोगकर्ताओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुव्यवस्थित करना है। • बंदरगाहों और नदियों में अन्तर्देशीय नेविगेशन सुरक्षा बढ़ाना • अन्तर्देशीय जलमार्गों का बेहतर उपयोग। • पर्यावरण संरक्षण। • सुरक्षित और कुशल अन्तर्देशीय जल परिवहन की उपलब्धि को सक्षम करना • जलयान से जलयान की टक्कर, जलयान की पुल से टक्कर और ग्राउंडिंग जैसे जोखिमों से बचाव

2. प्रस्तावना	2.1	नियोक्ता आईटीबी के खंड-II के अंतर्गत धारा 15 और धारा 16 में निर्दिष्ट चयन पद्धति के अनुसार एक फर्म/संगठन ("चार्टर/संविदाकार") का चयन करेगा।
	2.2	समनुदेशन/कार्य का नाम खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें दिया गया है। समनुदेशन/कार्य का विस्तृत दायरा खंड-VI: संदर्भ की शर्तें (टीओआर) में बताया गया है।
	2.3	बोलियां प्रस्तुत करने की दिनांक, समय और पता खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें दिया गया है।
	2.4	अपनी बोलियों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतें बोलीदाता को वहन करनी होंगी।
	2.5	नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसका संविदा देने से पहले किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे बोलीदाता को कोई दायित्व नहीं होगा।
3. बोलीदाता पात्रता मानदंड	3.1	बोलीदाता निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करेंगे: बोलीदाता को उन प्रसिद्ध संगठनों में से एक होना चाहिए जो निजी संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं हैं। बोलीदाता जो नियोक्ता के देश में सरकारी स्वामित्व वाली इकाई हैं, केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे यह स्थापित कर सकें कि वे (i) वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं और (ii) नियोक्ता की आश्रित एजेंसियां नहीं हैं।
	3.2	बोलीदाता को आईटीबी की धारा 16.1 में उल्लिखित "**समान कार्य"** अनुभव के योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। बोलीदाता को पक्ष (पार्टी) के नाम, ऑर्डर मूल्य, कार्य-क्षेत्र/घटकों का विवरण, ऑर्डर में निर्धारित पूर्णता अवधि और वास्तविक पूर्णता अवधि के विवरण के साथ अपने द्वारा निष्पादित ऑर्डर के मूल्य को इंगित करना होगा। ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए पूर्णता प्रमाणपत्र में आरंभ दिनांक, पूर्णता की दिनांक और बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्य का उल्लेख होना आवश्यक है। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा संयुक्त उद्यम/कंसोटियम में किया गया था, तो इसे संयुक्त उद्यम/कंसोटियम के सदस्यों के बीच हिस्सेदारी के दावे को प्रमाणित करने के लिए संयुक्त उद्यम/कंसोटियम समझौते के साथ कुल अनुबंध मूल्य के बारे में ग्राहक प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। यदि कार्य बोलीदाता द्वारा उप-संविदाकार के रूप में किया गया था, तो बोलीदाता को मुख्य संविदाकार द्वारा उसे दिए गए समान पूर्णता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा और वह मुख्य संविदाकार के नियोक्ता/ग्राहक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।
	3.3	बोलीदाताओं के समान कार्य निष्पादित करने के लिए दावे के लिए केवल कार्य आदेश/कार्य सौंपे जाने का पत्र/कार्य अनुबंध पत्र की प्रति पर्याप्त नहीं होगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए उपरोक्त धारा 3.2 में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ ग्राहक से उसके लेटर-हेड पर पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
	3.4	आईटीबी के खंड 16.1.2 में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त पिछले तीन (03) वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार उल्लिखित होना चाहिए। बोलीदाता सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का वित्तीय कारोबार प्रस्तुत करेंगे।

	3.5	बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया हो। हालांकि, इस संबंध में बोलीदाता द्वारा तथ्यों को छिपाना या उनका गैर-अनुपालन करना मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा और यदि बाद में किसी चरण में या अनुबंध की अवधि के दौरान उसे प्रतिबंधित किए जाने या काली सूची में डाले जाने से संबंधित कोई जानकारी नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई के साथ कार्य आदेश को रद्द या समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में घोषणा प्रपत्र 4क, खंड IV में शामिल की गई है।
	3.6	बोलीदाता की मूल कंपनी/सहायक/सहायक कंपनी/सहायक कंपनी के समान कार्य अनुभव पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल कंपनी/अनुषंगी/सहयोगी कंपनी बोली में भाग लेने वाले जेवी/कंसोर्टियम का हिस्सा न हो। बोलीदाता को एकल ग्राहक संगठन को कम से कम 10 (दस) योग्य तकनीकी जनशक्ति और 10 (दस) सहायक स्टाफ की आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए।
	3.7	बोलीदाता को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआई) के तहत उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। बोलीदाता ईपीएफ और ईएसआई प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1972 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
	3.8	बोलीदाता को निम्नलिखित का भी उल्लेख करना होगा:
	3.8.1	बोलीदाता के पास कार्यों के सफल निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए तथा उसका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। बोलीदाता को भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें दर्शायी गयी न्यूनतम राशि के लिए शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
	3.8.2	बोलीदाता आयकर निर्धारिती होगा और तदनुसार बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दायर आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. बोली-पूर्व बैठक	4.1	बोली-पूर्व बैठक खंड III-बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित दिनांक और समय के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को इसके संबंध में नियोक्ता को लिखित रूप से और ईमेल द्वारा पहले से सूचित किया जाना चाहिए। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए चुने गए प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या प्रति बोलीदाता दो से अधिक नहीं होगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अपने संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्राधिकरण पत्र साथ रखना चाहिए, जो प्रतिनिधियों को संबंधित बोलीदाता की ओर से बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति देता है। बोली-पूर्व बैठक के दौरान, बोलीदाता स्पष्टीकरण मांगने और नियोक्ता द्वारा विचार के लिए सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे। नियोक्ता स्पष्टीकरण और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिसे वह अपने विवेक से निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त समझे। बोलीदाता प्रपत्र 4छ, खंड IV में निर्धारित प्रारूप में अपने बोली-पूर्व प्रश्न कर सकते हैं।

5. स्पष्टीकरण और परिशिष्ट	5.1	बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें दर्शाए गए दिनों/तारीखों तक दस्तावेज़ के किसी भी खंड पर स्पष्टीकरण पाने का अनुरोध कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए कोई भी अनुरोध लिखित रूप में या खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें दर्शाए गए नियोक्ता के पते पर ई-मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। यदि स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद नियोक्ता द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है, तो स्पष्टीकरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपने स्पष्टीकरण/प्रश्न प्रपत्र 4च, खंड IV में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
	5.2	नियोक्ता आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर प्रकाशित किये जानेवाले किसी भी संशोधन के साथ बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित, लेकिन प्रश्न के स्रोत की पहचान किए बिना) का उत्तर देगा।
	5.3	नियोक्ता बोलियों के प्रस्तुतीकरण से पहले किसी भी समय, एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (संशोधन) जारी करके निविदा दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। दस्तावेज़ में संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे **https://eprocure.gov.in/eprocure/appand** और आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट "**www.iwai.nic.in**" पर उपलब्ध कराया जाएगा। बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को ऐसे प्रत्येक संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में सूचित और अद्यतित रखा गया माना जाएगा, जिसे समय-समय पर उपरोक्त वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। बोलीदाताओं को सभी संशोधनों की प्राप्ति की सूचना देनी होगी। यदि पर्याप्त दी गई है। यदि संशोधन पर्याप्त हैं तो नियोक्ता, बोलीदाताओं को संशोधन पर विचार करने का उचित समय देने के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। इस मुद्दे पर घोषणा प्रपत्र 4घ, खंड IV में तैयार की गई है।
6. बोलियां तैयार करना		बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि बोली तैयार करते समय, वे निविदा दस्तावेज में शामिल दस्तावेजों की विस्तार से जांच करें। अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में भौतिक कमियों के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
		बोलीदाताओं को नीचे उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:
	6.1	**बयाना राशि जमा (ईएमडी)**
	6.1.1	सभी बोलीदाता खंड III बोली आंकड़ा पत्रक में उल्लिखित राशि की प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करेंगे। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग द्वारा जारी एमएसई प्रापण नीति में यथा-परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) अथवा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को इस संबंध में भारत सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। उल्लिखित राशि की प्रतिभूति जमा राशि निम्नलिखित खाते में आरटीजीएस के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई फंड में जमा की जाएगी:
		i.) बैंक खाते का नाम: आईडब्ल्यूएआई फंड **ii.) बैंक का नाम और पता** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 15, नोएडा **iii.) बैंक खाता संख्या** 513202050000007 **iv.) आईएफएससी** UBIN0551325

		v.) एमआईसीआर कोड 110026055
	6.1.3	जिन बोलियों के साथ बयाना राशि नहीं होगी, उन्हें गैर-उत्तरदायी मानकर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
	6.1.4	प्रतिभूति जमा राशि के रूप में जमा राशि पर नियोक्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता निविदा लागत के लिए आरटीजीएस रसीद की स्कैन कॉपी और ई-बोली के साथ लेनदेन आईडी के साथ प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करेगा।
	6.1.5	जिन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली गई हों, लेकिन वे "सफल बोलीदाता" नहीं चुने जाते है, उनकी बयाना राशि सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने के सात (7) दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।
	6.1.6	जो बोलीदाता आईटीबी के खंड 3 और 16 के अनुसार मूल्य बोलियां खोले जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते है, उनकी बयाना राशि मूल्य बोली खोलने के सात दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।
	6.1.7	निम्नलिखित स्थितियों में नियोक्ता द्वारा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी:
	(i)	यदि बोली वैधता अवधि के दौरान बोली वापस ले ली जाती है, जिसमें बोलीदाता द्वारा सहमत कोई विस्तारित अवधि भी शामिल है।
	(ii)	यदि बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
	(iii)	यदि न्यूनतम बोलीदाता बातचीत के दौरान कोई नया मुद्दा और/या नियम एवं शर्तें उठाता है, तो इसे मूल बोली को वापस लेना समझा जाएगा और उस स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
	(iv)	यदि बोलीदाता इस निविदा के समर्थन में किसी भी दस्तावेज के संबंध में गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।
	(v)	यदि बोलीदाता एलओए प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
	(vi)	यदि बोलीदाता अनुबंध के निष्पादन के किसी भी चरण में भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार में लिप्त पाया जाता है।
	(vii)	यदि बोलीदाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
	(viii)	यदि बोलीदाता, नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना बोली की किसी शर्त को रद्द करता या वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
	(ix)	उपरोक्त (i) से (viii) में निर्धारित अनुसार बयाना राशि जब्त होने की स्थिति में बोलीदाता को कार्य की पुनःनिविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	6.2	**निविदा दस्तावेज की लागत/निविदा शुल्क**
		सभी बोलीदाताओं के लिए खंड III: बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित अनुसार निविदा दस्तावेज की लागत का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना आवश्यक है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) या औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को इस संबंध में भारत

		सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार दस्तावेजों को जमा करने पर निविदा शुल्क जमा करने से छूट दी गई है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम/कंसोटियम के लिए नीचे आईटीबी के खंड 6.9.12 का भी संदर्भ लें। निविदा दस्तावेज की लागत अप्रतिदेय है। **i.) बैंक खाते का नाम** — आईडब्ल्यूएआई फंड **ii.) बैंक का नाम और पता** — पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर 18, नोएडा-20130 **iii.) बैंक खाता संख्या** — 3702000100833867 **iv.) आईएफएससी** — PUNB0370200
	6.3	**बैंक शोधन क्षमता**
		सभी बोलीदाताओं को खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित अनुसार भारत के किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से न्यूनतम राशि के लिए बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। **बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से एक (01) वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि बोलीदाता इस मानदंड का पालन नहीं करता है, तो उसकी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।**
	6.4	**कर**
		बोलीदाता को सभी प्रकार के करों की प्रयोज्यता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और ऐसे सभी कर, जीएसटी को छोड़कर, जो बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को प्रचलित है, को बोलीदाता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के साथ शामिल करना चाहिए, जिसे प्रपत्र वित्त-2 के अनुसार बोलीदाता द्वारा अलग से उद्धृत किया जाए। यह ध्यान रहे कि बोलीदाता जीएसटी में पंजीकृत हो और उसे बोली जमा करने के समय उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। भुगतान के समय जीएसटी और अन्य सभी प्रासंगिक करों का भुगतान मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
	6.5	**मुद्रा**
		बोलीदाताओं को अपने समनुदेशन/कार्य का मूल्य **भारतीय रुपए (भारतीय रुपए)** में बताना होगा।
	6.6	**भाषा**
		बोली और साथ ही बोलीदाताओं और नियोक्ता के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले सभी संबंधित पत्राचार अंग्रेजी भाषा में और इस निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रारूपों के अनुसार ही होंगे। नियोक्ता केवल उन्हीं बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो निर्दिष्ट प्रारूपों में प्राप्त हुई हैं और सभी प्रकार से पूर्ण हैं। बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के साथ या बाद में, नियोक्ता के किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होगा और यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज किसी अन्य भाषा में है, तो उसके साथ सभी प्रासंगिक अनुच्छेदों का अंग्रेजी में सटीक अनुवाद संलग्न होना आवश्यक है और ऐसे मामले में, बोली की व्याख्या के सभी प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।
	6.7	**बोली की वैधता**

		खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकयह दर्शाती है कि बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ, प्रस्तुत करने की दिनांक के बाद कितने समय तक वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय बोली में चार्टरिंग के लिए उद्धृत राशि अपरिवर्तित रहेगी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो नियोक्ता बोलीदाताओं से उनकी बोलियों की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। जो बोलीदाता इस तरह के विस्तार के लिए सहमत होते हैं, उन्हें पुष्टि करनी होगी कि उनकी वित्तीय बोली अपरिवर्तित रहेगी। जो बोलीदाता अपनी बोलियों की वैधता नहीं बढ़ाते हैं, आगे के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
	6.8	**बोलियों की संख्या**
		एक बोलीदाता केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है या उसमें भाग लेता है, तो बोलीदाता के आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। एक बोलीदाता अनुसूची ए या अनुसूची बी या अनुसूची ए और बी दोनों के लिए संयुक्त रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है।
	6.9	**जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम**
	6.9.1	दो या अधिक फर्मों के बीच जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम बनाया जा सकता है तथा यह अधिकतम तीन फर्मों तक सीमित है।
	6.9.2	लीड सदस्य एक कानूनी संस्था होगा और जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में उसकी भागीदारी का हिस्सा कम से कम 51% होना चाहिए।
	6.9.3	यदि बोलीदाता दो सदस्यों का जॉइंट वैंचर है, तो लीड सदस्य का न्यूनतम हिस्सा कम से कम 51% होगा और दूसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 29% होगा, जिसमें सभी जेवी/कंसोर्टियम सदस्यों का कुल हिस्सा 100% होगा। यदि बोलीदाता तीन सदस्यों का जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम है, तो लीड सदस्य का न्यूनतम हिस्सा कम से कम 51% होगा, दूसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 29% होगा और तीसरे सदस्य का न्यूनतम हिस्सा 15% होगा, जिसमें सभी जेवी/कंसोर्टियम सदस्यों का कुल हिस्सा 100% होगा। हालांकि, जेवी/कंसोर्टियम को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना होगा।
	6.9.4	कंसोटियमटक फर्मों के बीच संविदा के लिए विशिष्ट रूप से एक जॉइंट वैंचर करार/समझौता ज्ञापन होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके बीच कार्य निष्पादन के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों के प्रस्तावित वितरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार जॉइंट वैंचर करार/समझौता ज्ञापन की एक प्रति बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी। बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करते समय 100/- रुपये पंजीकृत स्टाम्प पेपर पर "जेवी/कंसोर्टियम बनाने की मंशा" का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम करार करने के लिए आशय-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसके साथ निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: - लीड साझेदार का नाम - स्पष्ट रूप से उल्लिखित खंड 6.9.3 का पालन करने वाले जेवी/कंसोर्टियम सदस्यों के हिस्से का प्रतिशत।

		- "संविदा की शर्तों के अनुसार सभी भागीदार संविदा के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे"।
	6.9.5	लीड साझेदार के प्राधिकार का प्रमाण विधिवत नोटरीकृत पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करके किया जाएगा, जिस पर जेवी/कंसोर्टियम के सभी भागीदारों/सदस्यों के कानूनी रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। लीड साझेदार को देनदारियों को वहन करने और जॉइंट वैंचर के भागीदारों की ओर से संयुक्त रूप से या अलग-अलग निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और संविदा का संपूर्ण निष्पादन (भुगतान सहित) विशेष रूप से प्रभारी-साझेदार के माध्यम से किया जाएगा। उक्त प्राधिकार की एक प्रति इस बोली में प्रस्तुत की जाएगी। किसी भागीदार द्वारा चूक की स्थिति में, संविदा के अपने खंड के निष्पादन में, नियोक्ता को लीड साझेदार द्वारा 30 दिनों के भीतर या लीड साझेदार के चूककर्ता होने के मामले में, शेष जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के प्रभारी-साझेदार के रूप में नामित भागीदार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। प्रभारी-साझेदार, उक्त नोटिस के 60 दिनों के भीतर, संविदा के उस हिस्से के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पार्टी को चूककर्ता भागीदार का काम सौंपेगा, जैसाकि बोली के समय परिकल्पित है। उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संविदाकार संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यदि सबसे अनुभवी अर्थात लीड साझेदार, योग्यता को मंजूरी देने वाले संचार में इस तरह परिभाषित किया गया है, चूक करता है, तो इसे संविदाकार की चूक के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता संविदा की शर्तों के तहत कार्रवाई करेगा। जैसाकि ऊपर उप खंड 6.9.7 में उल्लेख किया गया है, नियोक्ता को स्वीकार्य किसी अन्य समान रूप से सक्षम पार्टी को चूककर्ता भागीदार की जिम्मेदारियों को सौंपने की अनुमति के बावजूद, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सभी भागीदार संविदा के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन और/या कार्यों के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेंगे । प्रस्तुत बोली में आईटीबी के खंड 10.1 के तहत निर्धारित आवश्यकता के अनुसार जेवी/कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी होगी लीड सदस्य की बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी) के खंड 6.9.3 में निर्धारित जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम में हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि, जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्य एक साथ आईटीबी के खंड 16.1 में निर्धारित समग्र योग्यता मानदंडों को पूरा करेंगे। जॉइंट वैंचर के मामले में, एमएसएमई के लाभों का लाभ उठाने के लिए सभी भाग लेने वाले जेवी सदस्यों को एमएसएमई अधिनियमों और प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। जॉइंट वैंचर की स्थिरता के लिए जीसीसी की धारा 45 का संदर्भ लिया जाएगा।
7. हितों का टकराव	7.1	नियोक्ता चाहता है कि चयनित बोलीदाता ("संविदाकार") पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और हमेशा नियोक्ता के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य समनुदेशन/कार्य या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करता है।

	7.2	पूर्वोक्त की व्यापकता पर बिना किसी सीमा के, नीचे दी गई किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं और उनके किसी भी सहयोगी को हितों के टकराव में माना जाएगा और उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा:
	(क)	**परस्पर-विरोधी गतिविधियाँ:** एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी जो नियोक्ता द्वारा किसी परियोजना के लिए डिजाइन के अलावा सामान, कार्य या समनुदेशन/कार्य प्रदान करने और समनुदेशन/कार्य बनाने में संलग्न हैं, उन्हें उन सामान, कार्यों या समनुदेशन/कार्य से संबंधित डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/कार्य प्रदान करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके विपरीत, एक फर्म या उसके किसी भी सहयोगी को जिसे किसी परियोजना की तैयारी या कार्यान्वयन के लिए डिजाइन और निर्माण समनुदेशन/कार्य प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया है, और उसके किसी भी सहयोगी, को बाद में डिजाइन के अलावा सामान या कार्य या समनुदेशन/कार्य प्रदान करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा और फर्म के डिजाइन से सीधे संबंधित या सीधे संबंधित समनुदेशन/कार्य का निर्माण करें और ऐसी तैयारी या कार्यान्वयन के लिए समनुदेशन/कार्य का सृजन करें। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, डिजाइन और समनुदेशन/जॉब के अलावा अन्य समनुदेशन/कार्य को एक औसत दर्जे का भौतिक आउटपुट के रूप में परिभाषित किया गया है; उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी, उपग्रह चित्र आदि।
	(ख)	**परस्पर विरोधी समनुदेशन/कार्य**: एक संविदाकार {उसके कार्मिक और उप-संविदाकार (ओं) सहित} या उसके किसी भी सहयोगी को किसी भी समनुदेशन/कार्य के लिए किराए पर नहीं लिया जाएगा जो इसकी प्रकृति से संविदाकार के किसी अन्य समनुदेशन/कार्य के साथ कंसोटियमर्ष में हो सकता है उसी के लिए या किसी अन्य नियोक्ता के लिए, उदाहरण के लिए एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने के लिए काम पर रखा गया संविदाकार उसी परियोजना के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण मूल्यांकन तैयार करने के लिए संलग्न नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण में एक नियोक्ता की सहायता करने वाला संविदाकार ऐसी परिसंपत्तियों के खरीदारों को खरीद या सलाह नहीं देगा।
	(ग)	**टकराव पूर्ण संबंध:** किसी संविदाकार (उसके कार्मिकों और उप-ठेकेदारों सहित) का नियोक्ता के स्टाफ के किसी सदस्य के साथ व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध होना, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (i) समनुदेशन/कार्य के संदर्भ की शर्तों की तैयारी (ii) ऐसे समनुदेशन/कार्य के लिए चयन प्रक्रिया या (iii) अनुबंध के पर्यवेक्षण के किसी भी खंड में शामिल है, उसे तब तक अनुबंध नहीं दिया जा सकता है जब तक कि इस संबंध से उत्पन्न विवाद को चयन प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन के दौरान नियोक्ता को स्वीकार्य तरीके से हल नहीं कर लिया जाता है।
	7.3	ठेकेदारों का दायित्व है कि वे वास्तविक या संभावित टकराव की ऐसी किसी भी स्थिति का खुलासा करें जो उनके नियोक्ता के सर्वोत्तम हित की सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, या जिसे उचित रूप से ऐसा प्रभाव माना जा सकता है। ऐसा कोई भी खुलासा तकनीकी प्रस्ताव के मानक रूपों के अनुसार किया जाएगा। यदि संविदाकार उक्त स्थितियों का खुलासा करने में विफल रहता है और यदि नियोक्ता को किसी भी समय ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो बोली प्रक्रिया के दौरान संविदाकार को अयोग्य घोषित

		किया जा सकता है या समनुदेशन के निष्पादन के दौरान उसके अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
	7.4	नियोक्ता की कोई एजेंसी या वर्तमान कर्मचारी अपने मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के तहत संविदादारों के रूप में काम नहीं करेगा। यदि संविदाकार स्वयं अथवा उसका कोई कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति पाए जाते हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आईडब्ल्यूएआई के अंतर्गत श्रेणी-I पद धारण किया है और ऐसी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर आईडब्ल्यूएआई अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकार कर लिया है तो संविदा रद्द किया जा सकता है। यदि संविदाकार द्वारा इस खंड का अनुपालन करने में विफलता के कारण संविदा समाप्त किया जाता है तो ऐसे समाप्ति के कारण आईडब्ल्यूएआई को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आईडब्ल्यूएआई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आईडब्ल्यूएआई ऐसी क्षति की वसूली करने का पात्र होगा जो प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की गई हो।
8. बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृती		यह माना जाएगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करके बोलीदाता ने:
	8.1	इस निविदा की पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक जांच की है;
	8.2	नियोक्ता से सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है;
	8.3	प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सभी मामलों और आवश्यक जानकारी के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;
	8.4	उपरोक्त खंड 5.2 और 5.3 के संदर्भ में वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर पोस्ट किए गए किसी भी संशोधन/स्पष्टीकरण के बारे में स्वयं को अद्यतित रखा है;
	8.5	यह स्वीकार किया है कि इसमें हितों का टकराव नहीं है; और
	8.6	इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए वचन से बाध्य होने पर सहमत है।
9. बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश	9.1	बोलियां ई-प्रापण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।
	9.2	ई-टेंडरिंग के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का होना और ई-प्रापण/ई-निविदा पोर्टल पर बोलीदाताओं का नामांकन/पंजीकरण एक पूर्वापेक्षा है।
	9.3	बोलीदाता को ई-प्रापण साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर होम पेज पोर्टल पर उपलब्ध “Enroll Here” विकल्प का उपयोग करके नामांकन करना चाहिए। नामांकन निःशुल्क है। नामांकन/पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को वैध ई-मेल आईडी सहित सही/सत्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी पत्राचार सीधे बोलीदाताओं के साथ प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से किए जाएंगे।
	9.4	बोलीदाताओं को नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए अपने यूजर आईडी/पासवर्ड के माध्यम से साइट पर लॉगिन करना होगा।

	9.5	फिर सिफी/टीसीएस/नोड/ई-मुद्रा या ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड पर सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन नियोक्ता द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाणपत्र हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ) पंजीकृत होना चाहिए।
	9.6	बोलीदाता को केवल पंजीकृत डीएससी का उपयोग करना चाहिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
	9.7	बोलीदाता साइट पर प्रकाशित निविदाओं को पढ़ सकता है और आवश्यक निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड कर सकता है जिसमें बोलीदाता की रुचि है।
	9.8	निविदा दस्तावेज/अनुसूचियां डाउनलोड/प्राप्त करने के बाद, बोलीदाता को उनके माध्यम से सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और अपेक्षित दस्तावेजो प्रस्तुत करने चाहिए।
	9.9	यदि बोलीदाता कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है, तो यह निविदा साइट के माध्यम से ऑनलाइन या खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट संपर्क विवरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बोलीदाता को ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने से पहले प्रकाशित अनुशेषों/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
	9.10	फिर बोलीदाता नामांकन/पंजीकरण के दौरान चुने गए यूजर आईडी/पासवर्ड देकर डीएससी तक पहुंचने के लिए ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड का पासवर्ड देकर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग-इन कर सकता है।
	9.11	बोलीदाता तब खोज विकल्प का उपयोग करके उस निविदा का चयन करेगा जिसमें वह रुचि रखता है और फिर इसे '*my favorites* ' फ़ोल्डर में जाता है।
	9.12	*'फेवरिट्स'* फ़ोल्डर से, वह इंगित किए गए सभी विवरणों को देखने के लिए निविदा का चयन करता है।
	9.13	यह माना जाता है कि बोलीदाता ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है। बोलीदाता को निविदा अनुसूची के माध्यम से सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करना चाहिए; अन्यथा, बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
	9.14	बोलीदाता को, अग्रिम रूप से, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में इंगित किए गए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज तैयार करना चाहिए और आम तौर पर, वे सामान्य पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/जेपीजी प्रारूपों में हो सकते हैं। यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है और खंड- III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट अनुसार अनुरोधित प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज़ 2 एमबी से अधिक है, तो इसे ज़िप/आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और यदि अनुमत हो तो इसे अपलोड किया जा सकता है।
	9.15	बोलीदाता "माई स्पेस" विकल्प के तहत प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट विवरण आदि जैसे दस्तावेजों को अग्रिम रूप से अपडेट कर सकते हैं और इन्हें निविदा आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है और फिर बोली प्रस्तुत करने के दौरान बोली दस्तावेजों के साथ भेजा जा सकता है। यह बोली जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलियों के अपलोड समय को कम करके इसे तेज कर देगा।

	9.16	बोलीदाता को खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट राशि के लिए निविदा शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करना चाहिए। मूल भुगतान लिखतों को व्यक्तिगत रूप से पोस्ट/कूरियर किया जाना चाहिए/दिया जाना चाहिए ताकि बोली की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले नियोक्ता तक पहुंचा जा सके। इन दोनों भुगतानों के लिए उपकरणों की स्कैन की गई कॉपी को प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
	9.17	ऑनलाइन बोलियां जमा करते समय, बोलीदाता को नियम और शर्तों को स्वीकार करना चाहिए और बोली पैकेट जमा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
	9.18	बोलीदाता को निविदा शुल्क और लागू प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान करने के लिए ऑफ़लाइन भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और दस्तावेजों का विवरण दर्ज करना होगा।
	9.19	डीडी/भौतिक रूप से भेजे गए किसी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, स्कैन की गई कॉपी में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुत करने के समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए, अन्यथा प्रस्तुत बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
	9.20	बोलीदाता को संकेत के अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों को एक-एक करके डिजिटल रूप से स्कैन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा और अपलोड करना होगा। बोलीदाताओं को यह टिप्पणी करना चाहिए कि बोलियों को डाउनलोड करने और उनके प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए डीएससी का उपयोग करने का कार्य इस बात की पुष्टि माना जाएगा कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के संविदा की शर्तों सहित निविदा दस्तावेज के सभी खंडों और पृष्ठों को पढ़ लिया है और पूरे दस्तावेज को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज स्पष्ट हैं।
	9.21	बोलीदाता को नीचे खंड 10 में उल्लिखित कवर सामग्री में दर्शाई गई अपेक्षित प्रासंगिक फाइलों को अपलोड करना होगा।
	9.22	यदि मूल्य बोली प्रारूप बीओक्यू _xxxx.xls जैसी स्प्रेड शीट फ़ाइल में प्रदान किया गया है, तो प्रस्तावित दरों को केवल आवंटित स्थान में दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए। मूल्य बोली/बीओक्यू टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए; अन्यथा इस निविदा के लिए प्रस्तुत बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
	9.23	बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घड़ी के अनुसार) से पहले निविदा आमंत्रित प्राधिकारी (टीआईए) को ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से बोलियां प्रस्तुत करें। टीआईए को किसी भी प्रकार की देरी या अंतिम समय में बोलीदाताओं द्वारा बोलियों के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
	9.24	बोली प्रस्तुत करने के बाद, ई-निविदा प्रणाली द्वारा दी गई पावती संख्या को बोलीदाता द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए और विशेष निविदा के लिए बोली के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए जो बोली खोलने की दिनांक में भाग लेने के लिए प्रवेश पास के रूप में भी कार्य करेगा।

	9.25	बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए बोली दस्तावेज वायरस से मुक्त हैं। यदि निविदा खोलने के दौरान वायरस के कारण दस्तावेज नहीं खोले जा सके, तो बोली अस्वीकृत या उत्तरदायी होने की संभावना है।
	9.26	सर्वर साइड में तय की गई और निविदा साइट के शीर्ष पर प्रदर्शित समय सेटिंग्स, ई-निविदा प्रणाली में अनुरोध, बोली जमा करने, बोली खोलने आदि की सभी कार्रवाइयों के लिए मान्य होंगी। बोली लगाने वालों को बोली प्रस्तुत करते समय इन समय सेटिंग्स का पालन करना चाहिए।
	9.27	बोलीदाताओं द्वारा दर्ज किए जा रहे सभी डेटा को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा बोली प्रस्तुत करने के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा देखने योग्य नहीं होगा और बोली खोलने के समय तक कोई भी देख नहीं सकेगा।
	9.28	सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिस्टम जनित सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पठनीय होते हैं।
	9.29	बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है क्योंकि सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है।
	9.30	बोलीदाता को ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध सामान्य लॉगआउट विकल्प का उपयोग करके निविदा प्रणाली से लॉगआउट करना चाहिए न कि ब्राउज़र में (X) निकास विकल्प का चयन करके।
	9.31	निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए टीआईए या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
	9.32	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है। हेल्पडेस्क का संपर्क नंबर 1800 233 7315 है।
10. बोलियां प्रस्तुत करना	(i)	निविदा शुल्क के संबंध में मूल पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) और बोली-प्रतिभूति जमा घोषणा और भुगतान उपकरणों की हार्ड कॉपी, बोली समापन दिनांक और समय को या उससे पहले, खंड III: बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित आईडब्ल्यूएआई के निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) के कार्यालय में पहुंचाई जानी चाहिए।
	(ii)	निविदा शुल्क और बयाना राशि के संबंध में मूल पीओए और भुगतान उपकरणों की हार्ड कॉपी के बिना प्रस्तुत की गई ऑनलाइन बोलियां स्वतः ही अयोग्य मानी जाएंगी और बोलियों को खोलने के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
	(iii)	एमएसई पंजीकृत फर्मों के मामले में, दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बयाना राशि और निविदा शुल्क के लिए छूट का दावा पत्र, बोली समापन दिनांक और समय को या

		उससे पहले, खंड III: बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित आईडब्ल्यूएआई के निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (अधिकृत प्रतिनिधि) के कार्यालय में पहुंचाया जाना चाहिए। आगे बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सभी पृष्ठों को क्रमांकित करें तथा प्रत्येक खंड के आरंभ में अनुक्रमित मदों की पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए विषय-सूची तैयार करें। सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वित्तीय बोलियों की स्कैन की गई प्रति नीचे उल्लिखित क्रम के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलियाँ दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए: यह ध्यान रखा जाए कि सफल बोलीदाता को आरटीजीएस के माध्यम से हर महीने आउटसोर्स आधार पर तकनीकी जनशक्ति की तैनाती के लिए "प्रपत्र वित्त-3: लागत का विवरण" के तहत तालिका में उल्लिखित न्यूनतम वेतन/पारिश्रमिक के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाए और प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। अतः बोलीदाता को एनआईटी में उल्लिखित अनुमानित लागत के प्रतिशत के रूप में बीओक्यू में केवल अपने सेवा प्रभारों का उल्लेख करना होता है। चूंकि वर्तमान में टीडीएस बिल मूल्य के 2% की दर से काटा जाता है, इसलिए टीडीएस से कम या बराबर प्रशासनिक/सेवा प्रभार के कोटेशन को अनुत्तरदायी माना जाएगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
	10.1	**लिफाफा - I: तकनीकी बोली**
	10.1.1	**खंड - I**
	(क)	खंड-III में निर्दिष्ट निविदा शुल्क का प्रमाण: बोली आंकड़ा पत्रकया सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा
	(ख)	खंड-II खंड-6.1 में निर्दिष्ट “बयाना राशि” का प्रमाण या सहायक दस्तावेजों के साथ छूट का दावा
	(ग)	खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें निर्दिष्ट न्यूनतम राशि के लिए बैंक शोधन क्षमता का प्रमाण
	(घ)	खंड IX के परिशिष्ट-VI के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की स्वीकृति का पत्र
	(ङ)	बोली पत्र (खंड IV: प्रपत्र - 4क)
	(च)	बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (खंड IV: प्रपत्र-4ङ)
	(छ)	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के शहर में कार्यालय का प्रमाण
	(ज)	खंड IV के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी: प्रपत्र-4घ। इस प्रपत्र के साथ अधिकृत प्रतिनिधि के कंपनी पहचान पत्र या सामान्य पहचान पत्र (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र आदि) की प्रति संलग्न होनी चाहिए।
	(झ)	खंड IV के अनुसार बोलीदाता सूचना पत्रक: प्रपत्र 4च।
	(ञ)	संगठन की संरचना/स्वामित्व/शेयरधारिता पैटर्न
	(ट)	बोर्ड का प्रस्ताव, शीर्ष प्रबंधन (बोर्ड के सदस्य) का ब्यौरा, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमुख अधिकारियों का विवरण, संस्था के अंतर्नियम/संगम ज्ञापन
	(ठ)	श्रम लाइसेंस के साथ कंपनी का पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र, ईएसआईसी और ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाणपत्र।

	(ङ)	खंड VIII में परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में सत्यनिष्ठा समझौता
	(ढ)	स्पष्टीकरण/प्रश्नों के उत्तर तथा बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक जारी सभी परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्रों सहित मूल निविदा दस्तावेज, जिस पर बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहर लगी हो तथा हस्ताक्षर किए गए हों। **टिप्पणी**: यदि बोली साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो बोली पर उपरोक्त फर्म के सभी साझेदारों, उनके पूरे नाम और वर्तमान व्यावसायिक पते, या फर्म के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले साझेदार द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रपत्र 4घ: खंड IV के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए। बोली के साथ साझेदारी विलेख की प्रमाणित प्रति और फर्म के सभी साझेदारों के वर्तमान व्यावसायिक पते भी होने चाहिए।
	10.1.2	**खंड - II**
	क.	पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित तुलन-पत्र
	ख.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
	ग.	कंपनी द्वारा पिछले पांच वित्तीय 3 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर)।
	घ.	कंपनी का पैन कार्ड
	ङ.	खंड IV: औसत वार्षिक कारोबार के लिए प्रपत्र-4C
	च.	ई-भुगतान के माध्यम से लेनदेन के लिए, खंड IX के परिशिष्ट-IV और V में दिए गए प्रारूप में रद्द किए गए चेक के साथ बैंक खाते का विवरण
	10.1.3	**खंड - III**
		निम्नलिखित विवरण सहित कंपनी की संपूर्ण प्रोफ़ाइल:
	क.	संगठन की पृष्ठभूमि
	ख.	बोलीदाता द्वारा पिछले सात वर्षों में निष्पादित समान कार्य के लिए ग्राहकके लेटर हेड पर ग्राहक पूर्णता प्रमाणपत्र। प्रस्तुत प्रमाणपत्र में आईटीबी (बोलीदाता पात्रता मानदंड) के खंड-3 की शर्तों का पालन किया जाएगा। ऐसी पात्र परियोजनाओं की खंड IV: प्रपत्र-4 बी में आपूर्ति की जाएगी। परियोजनाओं को खंड IV: प्रपत्र-4 बी में आपूर्ति की जाएगी।
	ग.	वाद इतिहास की सूची
	घ.	खंड II के खंड 3.7 के संबंध में वचन-पत्र: आईटीबी
	ङ.	प्रपत्र 4L: ग्राहक लेटरहेड पर कार्य आदेशों और निर्माणाधीन समनुदेशन की सूची।
		यह ध्यान दिया जाए कि तकनीकी बोली में शुल्क का कोई संदर्भ नहीं होगा। इस खंड का उल्लंघन बोली की अस्वीकृति का कारण बनेगा।
	10.2	**लिफाफा-II: वित्तीय बोली**
		इस निविदा के साथ प्रदान किए गए एक्सेल प्रारूप (बीओक्यू_XXXXX) में वित्तीय बोली का उपयोग खंड V के प्रपत्र वित्त-1 के रूप में कीमतों को उद्धृत करने के लिए किया जाएगा।
		बोली लगाने वाले द्वारा कीमतें पूरी तरह से भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जाएंगे।
	10.3	संविदा की कुल अवधि खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट के रूप में होगी।

11. बोली प्रस्तुत करने की दिनांक का विस्तार	11.1	बोली प्रस्तुत करने की दिनांक का विस्तार 11.1 नियोक्ता एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके और उसे नियोक्ता की वेबसाइट और ई-प्रापण पोर्टल पर अपलोड करके बोलियां प्रस्तुत करने की दिनांक बढ़ा सकता है।
12. विलम्बित प्रस्ताव	12.1	उपर्युक्त खण्ड-11 के अनुसार, निर्दिष्ट बोली प्रस्तुतीकरण दिनांक एवं समय या उसके किसी विस्तार के बाद प्राप्त ऑनलाइन प्रस्तावों पर, नियोक्ता द्वारा मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
13. नियोक्ता की जिम्मेदारी	13.1	बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए अंतिम समय की जल्दबाजी से बचें और उन्हें बोली जमा करने की अंतिम दिनांक से पहले ही अपनी बोलियां अपलोड कर देनी चाहिए। नियोक्ता बोलीदाता द्वारा बोलियों को ऑनलाइन जमा करने में किसी भी कारण से हुई विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह माना जाएगा कि आईटीबी के खंड-9 के अंतर्गत उल्लिखित बोलियों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया बोलीदाता द्वारा पढ़ और समझ ली गई है। हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि बोलीदाता बोली की हार्ड कॉपी जमा करता है, तो इसे ऑनलाइन बोली जमा करने का विकल्प नहीं माना जाएगा और यदि बोलीदाता किसी कारण से ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में विफल रहता है, तो बोली की हार्ड कॉपी को मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. बोलियों का संशोधन/प्रतिस्थापन/वापस लेना	14.1	प्रस्तुत की गई निविदा को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पहले बोलीदाताओं द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस लिया जा सकता है। बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित, प्रतिस्थापित या वापस नहीं किया जाएगा।
15. बोली खोलने और मूल्यांकन की **प्रक्रिया**	15.1	प्रस्ताव खोले जाने के समय से लेकर अनुबंध दिए जाने तक, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन, रैंकिंग और अनुबंध देने की सिफारिश में नियोक्ता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास बोलीदाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।
	15.2	नियोक्ता एक निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) का गठन करेगा, जो मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी।
	15.3	ऑनलाइन बोली खोलने का काम दो चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले, प्राप्त सभी ऑनलाइन बोलियों की 'तकनीकी बोली' खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रकमें उल्लिखित दिनांक और समय पर खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली उत्तरदायी पाई गई है और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, उनकी 'वित्तीय बोली' को बाद की दिनांक पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना ऐसे बोलीदाताओं को दी जाएगी। यदि बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट दिनांक को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोलियाँ अगले कार्य दिवस पर नियत समय और स्थान पर खोली जाएँगी। जिन बोलियों के लिए उपरोक्त खंड-14 के अनुसार वापसी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उन्हें नहीं खोला जाएगा।
	15.4	टीईसी तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन टीओआर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर और आईटीबी के खंड-3 और 16 में निर्दिष्ट पात्रता और मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड लागू करके

		करेगा। मूल्यांकन के पहले चरण में, यदि कोई प्रस्ताव दोषपूर्ण पाया जाता है या आईटीबी के खंड-3 और 16 में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उत्तरदायी प्रस्तावों को ही मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
	15.4.1	एक बोली को केवल तभी उत्तरदायी माना जाएगा यदि:
	क.	यह बोली प्रस्तुत करने की दिनांक और समय तक प्राप्त हो, जिसमें उपरोक्त खंड-11 के अनुसार कोई विस्तार भी शामिल है;
	ख.	इसके साथ उपरोक्त खंड 6.1 और 6.2 में निर्दिष्ट बोली-प्रतिभूति जमा घोषणा और निविदा शुल्क संलग्न है;
	ग.	इसे खंड-IV (तकनीकी प्रस्ताव) और खंड-V (वित्तीय प्रस्ताव) में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्राप्त किया गया हो;
	घ.	इसमें कोई शर्त, योग्यता या सुझाव नहीं हो; और
	ङ.	यह आईटीबी के खंड 3 और 16.1 में निर्धारित पात्रता और योग्यता मानदंडों को पूरा करती हो।
	15.5	बोली की प्रतिक्रियात्मकता का पता लगाने के बाद, प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक बोली का मूल्यांकन नीचे दिए गए खंड 16.2 के अनुसार किया जाएगा। बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना तथा बोलीदाताओं की योग्यता में सहायता के लिए, नियोक्ता अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से उसकी बोली पर स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा जवाब देने के लिए उचित समय दे सकता है। हालाँकि, यदि स्पष्टीकरण अप्रासंगिक पाया जाता है तो नियोक्ता बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए नियोक्ता का अनुरोध और जवाब लिखित में होगा।
	15.6	जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ उत्तरदायी पाई जाती हैं और मूल्यांकन के आधार पर निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं ,नियोक्ता उन बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियों के खुलने की दिनांक, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा। इस प्रकार सूचित किए गए बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि वित्तीय बोलियों को ऑनलाइन खोले जाने की बैठक में भाग ले सकते हैं।
	15.7	'वित्तीय बोलियों' के ऑनलाइन खुलने के समय, बोली की कीमतों के साथ तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के नाम, प्रत्येक बोली की कुल राशि, और ऐसे अन्य विवरण जो नियोक्ता उचित समझे, बोली खोलने के समय नियोक्ता द्वारा घोषित किए जाएंगे।
	15.8	बोलीदाता यदि आवश्यक समझे तो वित्तीय बोली खोलने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पास बोलीदाता की ओर से बोली खोले जाने के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण पत्र होना चाहिए।
16. योग्यता मानदंड और बोली का **मूल्यांकन**	16.1	**न्यूनतम योग्यता मानदंड** इस निविदा के लिए योग्यता मानदंड और बोली मूल्यांकन अर्हता प्राप्त करने के लिए, बोलीदाता को आईटीबी के खंड 16.1.1 और 16.1.2 में निर्धारित प्रत्येक योग्यता मानदंड को पूरा करना होगा। किसी भी योग्यता मानदंड को पूरा न करने पर बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी।

	16.1.1	**कार्यों के लिए अर्हता मानदंड**
		बोलीदाता को नीचे निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले पिछले **7** वर्षों में "समान कार्य" सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए:
	क.	3 समान पूर्ण सेवाएं जिनमें से प्रत्येक की लागत इस निविदा में अनुमानित लागत के 4.86 करोड़ रुपये के बराबर राशि से कम नहीं है, या
	ख.	2 समान पूर्ण सेवाएं जिनमें से प्रत्येक की लागत इस निविदा में अनुमानित लागत के 6.08 करोड़ रुपये के बराबर राशि से कम नहीं है, या
	ग.	1 समान पूर्ण सेवा लागत जो इस निविदा में अनुमानित लागत के 9.72 करोड़ रुपये के बराबर राशि से कम नहीं है
		टिप्पणी: बोलीदाताओं द्वारा विचार किए गए "पूर्ण कार्य" का मूल्य निकटतम दो अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, "समान कार्य" को खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में परिभाषित किया गया है।
	16.1.2	**<u>पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए औसत वार्षिक कारोबार के लिए अर्हता मानदंड</u>**
		बोलीदाता का वार्षिक औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों के दौरान 3.65 करोड़ रुपये होना चाहिए
	16.1.3	प्रत्येक कार्मिक के लिए आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम अर्हता, आवश्यक/वांछनीय अनुभव खंड-VI संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के खंड बिंदु 4.C में परिभाषित किया जाएगा।
	16.1.4	यदि कोई बोलीदाता आईटीबी के खंड 3 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ-साथ उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली के तकनीकी मूल्यांकन के लिए आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।
	16.2	**<u>बोली मूल्यांकन</u>**
	16.2.1	बोलियों का मूल्यांकन आईटीबी के खंड 3 और 16 में उल्लिखित पात्रता और अर्हता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता उपर्युक्त पात्रता और अर्हता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उनकी बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां नहीं खोली जाएंगी।
	16.2.2	आईटीबी के खंड 3 और 16 के संदर्भ में उत्तरदायी बोलीदाताओं के लिए तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित बिंदु खंड III: बोली आंकड़ा पत्रक में निर्धारित किए जाएंगे।
	16.2.3	<u>तकनीकी मूल्यांकन</u> वित्तीय बोलियां खोलने के लिए पात्र बनने के लिए तकनीकी बोलियों को 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जिनकी तकनीकी बोलियों का स्कोर 60 अंक या उससे अधिक है (100 में से) आगे की प्रक्रिया के लिए खोली जाएंगी।
		<u>वित्तीय मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन</u> **केवल उन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी और निविदा देने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाएगा जो ऊपर निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करते हैं, । यह कार्य**

		उस बोलीदाता को दिया जाएगा जो वित्तीय बोली प्रारूप के अनुसार सबसे कम राशि उद्धृत करता है। तथापि, न्यूनतम राशि (समान) उद्धृत करने वाले दो अथवा दो से अधिक बोलीदाताओं के मामले में तकनीकी बोली मूल्यांकन में उच्चतर स्थान पर रहने वाले बोलीदाता को कार्य सौंपा जाएगा।
	16.2.4	एक पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोली वह है जो सामग्री विचलन या आरक्षण के बिना निविदा दस्तावेज के सभी नियमों, शर्तों और विशिष्टताओं के अनुरूप है। एक भौतिक विचलन या आरक्षण वह है:
	क.	जो किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से कार्यों के दायरे, गुणवत्ता या निष्पादन को प्रभावित करता है;
	ख.	जो किसी भी पर्याप्त तरीके से सीमा करता है, निविदा दस्तावेज, नियोक्ता के अधिकारों या संविदा के तहत बोलीदाता के दायित्वों के साथ असंगत है; अथवा
	ग.	जिसका परिशोधन पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोलियां प्रस्तुत करने वाले अन्य बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, यदि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज की खंड V के मात्रात्मक बिल (बीओक्यू) में सूचीबद्ध कार्य की सभी मदों को लेने की पेशकश नहीं की है तो बोली को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।
	16.2.5	संविदा के निष्पादन की अवधि के दौरान लागू संविदा की शर्तों के मूल्य समायोजन (यदि कोई हो) प्रावधानों के अनुमानित प्रभाव को बोलियों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
	16.2.6	बोलीदाता को नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं प्रदान की जाएंगी:- • नियोक्ता चयनित बोलीदाता को संविदा स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। यह लिए गए निर्णय के बारे में अन्य सभी बोलीदाताओं को भी सूचित कर सकता है (यदि अन्य बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया है)। • परामर्शदाता/एजेंसी आशय पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेंगे। • परामर्शदाता/एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह खंड III आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर समनुदेशन/कार्य शुरू करे।
17. **संविदा स्वीकृति-पत्र**	17.1	• नियोक्ता चयनित बोलीदाता को एक संविदा स्वीकृति-पत्र जारी करेगा। यह लिए गए निर्णय के बारे में अन्य सभी बोलीदाताओं को भी सूचित कर सकता है (यदि अन्य बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया है)।
	17.2	• संविदाकार, संविदा स्वीकृति-पत्र जारी होने के 21 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने सहित खंड VII में संविदा की शर्तों में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं/पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
	17.3	• संविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह खंड III आंकड़ा पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर समनुदेशन/कार्य शुरू करे।

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक

खंड-III: बोली आंकड़ा पत्रक

संदर्भ	ब्योरा	विवरण
आईटीबी 2.1	नियोक्ता	अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
आईटीबी 2.1	चयन की विधि	कम लागत प्रणाली (एलसीएस) चयन विधि
आईटीबी 2.2	समनुदेशन का नाम/कार्य	आरआईएस चरण-III (पटना से वाराणसी) के संचालन और अनुरक्षण और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण के लिए संविदा (ओ एंड एम और सीएएमसी)
आईटीबी 2.3	क) बोली प्रस्तुत करने की तिथि और ख) पीओए और भुगतान (निविदा शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि) की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए पता	**दिनांक : XX.YY.2024** **समय** : 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) **जमा करना :** ऑनलाइन सबमिशन **पता:** ..... (तकनीकी) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
आईटीबी 4	बोली-पूर्व बैठक	**दिनांक : XX.YY.2024 को 14:00 बजे** **स्थान:** भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301
आईटीबी 5.1	स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि	**दिनांकXX.YY.2024 को 14:00 बजे** **ईमेल आईडी: hc.iwai@nic.in**
आईटीबी 6.1	प्रतिभूति जमा राशि	रुपए 24,32,095/-
आईटीबी 6.2	निविदा शुल्क	रुपए 5,000/- + 18% जीएसटी
आईटीबी 6.3	न्यूनतम बैंक शोधन क्षमता	रुपए 4.86 करोड़
आईटीबी 6.7	बोली वैधता अवधि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 120 दिन बाद
आईटीबी 3.2 और आईटीबी 16.1	इसी तरह के काम	"इस उद्देश्य के लिए," समान कार्य "इसी तरह के काम का मतलब है, आरआईएस सिस्टम या वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस)/वीएचएफ ट्रांसमीटर या स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) या स्वचालित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम या एकीकरण के लिए आपूर्ति, स्थापना, समग्र अनुरक्षण, सुरक्षा और सीएएमसी पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया काम या संचार नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) की स्थापना के साथ एकीकरण या समुद्री सर्वेक्षण उपकरण जैसे इको साउंडर की स्थापना, आरआईएस, रडार, संचार उपकरण आदि।
आईटीबी 6.9	जेवी/कंसोर्टियम	*अनुमत*
आईटीबी 10.1	अधिकृत प्रतिनिधि	हाइड्रोग्राफिक चीफ
आईटीबी 10.3	संविदा की अवधि	संविदा स्वीकृति-पत्र जारी करने की दिनांक से 36 महीने जिसे सेवा प्रदाता के संतोषजनक निष्पादन के अधीन अगले 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

संदर्भ	**ब्योरा**	**विवरण**
आईटीबी 15.3	बोली खुलने की तिथि	**दिनांक : xx.yy.2024** **समय : 15:30 बजे**
आईटीबी 16.2.3	तकनीकी मूल्यांकन	तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित बिंदु निम्नानुसार होंगे: **तकनीकी मूल्यांकन के विवरण के लिए कृपया तालिका संख्या: आईटीबी 16.2.3 देखें।**
आईटीबी 17.3	समनुदेशन का स्थान	बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य
-	मूल्य प्राथमिकता	चूंकि कार्यक्षेत्र/कार्य की मात्रा का विभाजन शामिल कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य नहीं है, एमएसई पंजीकृत फर्मों/बोलीदाताओं के लिए मूल्य अधिमानता खंड लागू नहीं होगा।
-	निष्पादन की गारंटी	राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में उद्धृत राशि का **5%**।
-	प्रतिभूति जमा राशि	संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार उद्धृत राशि का **5%**।

तालिका संख्या : 16.2.2

तकनीकी मूल्यांकन

बोलीदाताओं की न्यूनतम पात्रता मानदंडों के आधार पर पहले स्तर पर जांच की जाएगी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित बिंदु निम्नानुसार होंगे:

क्र. सं.	विशेषताएँ	अधिकतम अंक	मूल्यांकन		टिप्पणियां
1	समान कार्य प्रदान करने के वर्षों के अनुभव की संख्या	20	5 वर्ष तक	8	
			5 - 7 वर्ष	15	
			7 वर्ष से अधिक	**20**	
2	पिछले तीन वित्त वर्ष अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का औसत वार्षिक कारोबार	20	अनुमानित लागत के 100-150% के बीच	8	
			अनुमानित लागत के 151-200% के बीच	15	
			अनुमानित लागत का 200% से अधिक	**20**	
3	आईटीबी, खंड II के खंड 16.1.1 में दर्शाए गए अनुसार पिछले 7 वर्षों में बोलीदाताओं को समनुदेशन के लिए प्रासंगिक अनुभव है, जो किए गए कार्य/कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र (प्रत्येक 5.70 करोड़ रुपये के न्यूनतम मूल्य के साथ चल रहे या पूर्ण किए गए कार्यों पर) प्रस्तुत करने के साथ इसे प्रमाणित करता है।	20	1-2 परियोजनाएं	10	
			3-5 परियोजनाएं	15	
			5 से अधिक परियोजनाएं	**20**	
4	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार बोलीदाता की नामावली पर वीटीएमएस/आरआईएस प्रचालित करने के लिए प्रचालनात्मक और तकनीकी जनशक्ति की संख्या	15	25-50 के बीच	5	इस मानदंड के तहत नवीनतम ईपीएफओ चालान जमा किया जाएगा
			50-100 के बीच	10	
			100 से ऊपर	**15**	
5.	गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी द्वारा किसी भी या सभी भागीदारों का प्रमाणन	5			
6.	तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन	10			
7.	वीटीएस प्रशिक्षण केंद्र आईएएलए/डीजीएलएल द्वारा मान्यता प्राप्त	10			

	योग	**100**			

वित्तीय बोलियां खोलने के लिए पात्र बनने के लिए तकनीकी बोलियों को 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां आगे की प्रक्रिया के लिए खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियों का स्कोर (100 में से) 60 अंक या उससे अधिक है।

खंड-IV: तकनीकी बोली मानक प्रपत्र

प्रपत्र 4क: बोली पत्र

(बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

हाइड्रोग्राफिक चीफ
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए-13, सेक्टर-1,
नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

विषय:.....**.....***(कार्य का नाम अंकित करें)*

महोदय,

1. उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु सूचना और अनुदेश, अनुबंध की शर्तें, तकनीकी, सामान्य और विस्तृत विनिर्देश, मात्रा का बिल (बीओक्यू) समझौता और बैंक गारंटी प्रपत्र इत्यादि की जांच करने के बाद, मैं/हम .....(*बोलीदाता का नाम*) इस निविदा दस्तावेज के बीओक्यू में उल्लिखित राशि या अनुबंध की उक्त शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई अन्य राशि के लिए अनुबंध की उक्त शर्तों, मात्राओं की अनुसूची के अनुरूप निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत करते हैं।

2. मैं/हम अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्यों को निविदा में उल्लिखित समय के भीतर पूरा करने और वितरित करने का वचन देते हैं तथा साथ ही निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों, कार्य के दायरे और अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा करने का वचन देते हैं।

3. मैं/हम नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित कार्यों के लिए निविदा दे रहे हैं और राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक ऑफ इंडिया से नोएडा में देय आईडब्ल्यूएआई फंड के पक्ष में आरटीजीएस/एनईएफटी/बीजी के रूप में प्रतिभूति जमा राशि जमा कर रहे हैं, जिसका विवरण उसमें दिया गया है:

क्र. सं.	**आरटीजीएस/एनईएफटी**		**बैंक गारंटी**		**कुल प्रतिभूति जमा राशि (रुपए)**
	राशि (रुपए)	आरटीजीएस/एनईएफटी का विवरण (संख्या और दिनांक) और बैंक का विवरण (बैंक का नाम, शाखा, पता)	राशि (रुपए)	बैंक गारंटी का विवरण (संख्या और दिनांक) और बैंक का विवरण (बैंक का नाम, शाखा, पता)	
1					

4. मैं/हम इस निविदा का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम आईडब्ल्यूएआई की आवश्यकता के अनुसार बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि या उसके विस्तार की अंतिम तिथि से ..... दिनों की अवधि (बोली वैधता के दिनों की संख्या अंकित करें) के लिए निविदा को खुला रखने और इसके नियमों और शर्तों में कोई संशोधन नहीं करने के लिए सहमत हैं।

5. मैं/हम सहमत हैं, यदि मैं/हम पूर्वोक्त के रूप में निविदा की वैधता को खुला रखने में विफल रहता हूं या मैं/हम मेरे/हमारे निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करते हैं, यदि मैं/हम उपरोक्त कार्यों का निष्पादन शुरू करने में विफल रहते हैं, मैं/हम मेरे/हमारे प्रतिभूति जमा राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसाकि पूर्वोक्त

है और आईडब्ल्यूएआई किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त प्रतिभूति जमा राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा अन्यथा उक्त प्रतिभूति जमा राशि को आईडब्ल्यूएआई द्वारा प्रतिभूति जमा के हिस्से के रूप में रखा जाएगा ताकि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी कार्यों को उसमें निहित या संदर्भित नियमों और शर्तों पर निष्पादित किया जा सके और ऐसे विचलन किए जा सकें जैसाकि आदेश दिया जा सकता है। यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। प्रतिभूति जमा राशि और/या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

6. मैंने/हमने निविदा में दर्शाई गई निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और इस बात से सहमत हैं कि यह समय पर कार्य पूरा न होने की स्थिति में आईडब्ल्यूएआई को होने वाली संभावित हानि का उचित अनुमान है।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अपने/अपने खर्च पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध अनुबंध निष्पादित करने का वचन देते हैं। जब तक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक यह निविदा और उसमें आपकी लिखित स्वीकृति एक बाध्यकारी अनुबंध होगी।

8. **मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म को प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।** प्रतिबंधित या काली सूची में डाले जाने से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी निविदा/अनुबंध के किसी भी चरण में नियोक्ता के संज्ञान में लाई जाती है तो मौजूदा कानून के अंतर्गत दंडनीय होगी और अनुबंध को रद्द या समाप्त कर दिया जाएगा।

9. मैं/हम समझते हैं कि आईडब्ल्यूएआई उच्चतम या प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

10. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा दस्तावेज में निहित नियमों, शर्तों, विनिर्देशों आदि के पूर्णतः अनुरूप है, तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसमें पूर्वोक्त दस्तावेजों से कोई विचलन नहीं है।

दिनांक ………………. हस्ताक्षर ………………..

नाम ……………………

मेसर्स ………………………………… (कंपनी का नाम और पता)

पदनाम ……………

………………….के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत

टेलीफोन नं.…………………… फैक्स नं.…………………… ईमेल आईडी: …………………………

प्रपत्र 4ख: योग्य परियोजनाएं

(बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोली की जवाबदेही के लिए प्रारूप (पात्र परियोजनाएं) परियोजना विशिष्ट अनुभव

[नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करके, प्रत्येक समनुदेशन पर जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी फर्म, और इस समनुदेशन के लिए प्रत्येक सहयोगी, कानूनी रूप से या तो व्यक्तिगत रूप से एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में या इस समनुदेशन के तहत समान कार्यों को करने के लिए एक जेवी के भीतर प्रमुख कंपनियों में से एक के रूप में अनुबंधित किया गया था।]

"समान कार्य" को खंड III में परिभाषित किया गया है: बोली आंकड़ा पत्रक

क्र. सं.	ग्राहक का नाम[2], कार्य का नाम और परियोजना का स्थान	आईएनआर में संविदा मूल्य संतोषजनक ढंग से पूरे किए गए समान कार्य का वित्तीय[3] मूल्य	काम शुरू होने की दिनांक	निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्ण होने की तिथि	काम का विवरण (समान कार्य सहित)।	टिप्पणियां

फर्म का नाम : .....

अधिकृत हस्ताक्षर : .....

टिप्पणियां:

---

[1]**बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि** से पिछले सात (7) वर्षों में पूरी की गई परियोजनाओं को ही प्रदर्शित करें।

[2]बोलीदाता न्यूनतम योग्यता विवरण को पूरा करने के लिए ग्राहक से अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ग्राहक प्रमाणपत्र में आईटीबी के खंड 3.2 में सूचीबद्ध विवरण शामिल होंगे। बोलीदाता द्वारा दावा किए गए कार्य, यदि ग्राहक से आईटीबी के खंड 3.2 के तहत निर्धारित पूर्णता के प्रमाण के साथ समर्थित नहीं हैं, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

[3]समान कार्यों के अलावा कई घटकों वाले कार्यों के अनुबंध के विरुद्ध, केवल संबंधित घटक का अनुबंध मूल्य, भुगतान मूल्य के लिए मूल्यांकन किया जाएगा और केवल संबंधित घटक के लिए वास्तविक निष्पादन अवधि प्रस्तुत/निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

1. मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, बोलीदाताओं को प्रतिवर्ष भारतीय रुपए के लिए 7% मुद्रास्फीति और प्रति वर्ष साधारण विदेशी मुद्रा भागों के लिए 2% मुद्रास्फीति मान लेनी चाहिए।
2. बोलीदाताओं को पिछले सात वर्षों के दौरान निष्पादित आईटीबी के खंड 16.1.1 में परिभाषित समान कार्यों के अधिकतम मूल्य का उल्लेख करना चाहिए (पिछले महीने के अंतिम दिन को समायोजित किया गया जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है)।
3. विदेशी मुद्रा के मामले में, इसे पहले ऊपर उल्लिखित दर पर बढ़ाया जाना चाहिए और फिर इस प्रकार प्राप्त राशि को पिछले महीने के अंतिम दिन प्रचलित विनिमय दर पर आईएनआर में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें यह निविदा आमंत्रित की गई है।
4. विनिमय दर आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट)https://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx) से ली जानी चाहिए
5. यदि विचाराधीन मुद्रा के लिए विनिमय दर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (ऊपर उल्लिखित) पर उपलब्ध नहीं है, तो बोलीदाता रूपांतरण के लिए बोलीदाता द्वारा प्रयुक्त विनिमय दर की प्रति के साथ www.xe.com, www.oanda.com जैसी वेबसाइटों से विनिमय दरों का उल्लेख करेंगे।
6. यह प्रमाणित करने के लिए कि उक्त कार्य निर्दिष्ट समान कार्यों के अनुरूप है, बोलीदाता द्वारा कोई अतिरिक्त टिप्पणियां/सूचना भी इंगित की जा सकती है, जैसा भी उचित समझा जाए।

कृपया प्रत्येक परियोजना के विवरण को कागज की दो A4 आकार की शीट में सीमित करें। कागज की दो (02) A4 आकार की शीट से अधिक विवरण मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकता है या नहीं।

प्रपत्र 4ग: औसत वार्षिक कारोबार

(सनदी लेखाकार/सांविधिक लेखापरीक्षक के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**वार्षिक कारोबार (रुपए में)**
1.	.....	
2.	.....	
3.	.....	
4.	योग (1+2+3)	
5.	औसत वार्षिक कारोबार	*[उपरोक्त चित्रों के योग को 3 से विभाजित करने पर इंगित कीजिये]*

सांविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... *[कंपनी का नाम][पंजीकृत पता]* संबंधित वर्षों के लिए ऊपर दिखाए गए भुगतान प्राप्त कर चुका है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम:

फर्म का नाम:.....

(फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक मुहर के हस्ताक्षर)

टिप्पणी:

यदि बोलीदाता के पास सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है, तो वह एक प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

प्रपत्र 4घ: पावर ऑफ अटॉर्नी

(100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और विधिवत नोटरीकृत किया जाना चाहिए। स्टाम्प पेपर उस कंपनी के नाम पर होना चाहिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर रही है)

इन प्रस्तुतियों से सभी लोगों को पता रहे, हम, ... *(संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता)* एतद्द्वारा श्री/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी और वर्तमान में ..... में रह रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ/हमारे द्वारा रखे गए हैं और ....., ... के पद पर हैं, को हमारे सच्चे और वैध अधिवक्ता के रूप में (इसके बाद **"अधिकृत प्रतिनिधि"** के रूप में संदर्भित), वे व्यक्ति को उप-प्रतिनिधित्व करने की शक्ति के साथ, हमारे नाम और हमारी ओर से, सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें जो"**.....** *(समनुदेशन का नाम अंकित करें)"* के लिए हमारी बोली प्रस्तुत करने के संबंध में या उसके लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं नियुक्त ,करने के लिए नामित , और प्राधिकृत करते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (नियोक्ता) के लिए संविदाकार का चयन, जिसमें सभी आवेदनों, बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, बोली-पूर्व और अन्य सम्मेलनों में भाग लेना और नियोक्ता को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, नियोक्ता के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, हमारी बोली की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी अनुबंधों और वचनों पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में नियोक्ता के साथ व्यवहार करना और/या नियोक्ता के साथ अनुबंध में प्रवेश करने तक हमें उसका पंचाट देना शामिल है।

और, हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उसके अनुसार हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिपूर्वक किए गए या कराए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

हमने, जिसके साक्ष्य स्वरूप, ... उपर्युक्त प्रमुख ने आज ..... दिनांक ....., 2024 को यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है।

.....के लिए

(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

साक्षी:

1. .....

2. .....

स्वीकृत

(अटॉर्नी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

टिप्पणियाँ:

1. *पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का तरीका लागू कानून और निष्पादक (कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो, उसके अनुसार होना चाहिए और जब ऐसा आवश्यक हो तो इसे अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य मुहर के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए।*

2. जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों जैसे संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी के उद्धरण सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

3. विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए, दस्तावेज़ को भारतीय दूतावास द्वारा वैध बनाना होगा और उस अधिकार क्षेत्र में नोटरीकृत करना होगा जहां पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी की जा रही है। तथापि, हेग विधान अभिसमय, 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई मुख्तारनामा को भारतीय दूतावास द्वारा वैध किए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास अनुरूप एपोस्टिल प्रमाणपत्र है।

प्रपत्र 4ङ: बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में, **दिनांक:.....**

हाइड्रोग्राफिक चीफ
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
ए-13, सेक्टर-1,
नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)

ध्यानार्थ:..... *(अधिकृत प्रतिनिधि का नाम भरें)*

विषय: बोलीदाता द्वारा घोषणा

निविदा संदर्भ संख्या:.....

महोदय,

यह उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़ के संदर्भ में है। हम इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणाएँ करते हैं:

1.	☐	आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2.	☐	मुझे/हमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधित/काली सूची में नहीं डाला गया है।
3.	☐	मैं/हम अनुबंध की शर्तों के भुगतान की शर्तों को स्वीकार करते हैं
4.	☐	मैं/हम इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।
5.	☐	मैं/हम इस निविदा के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में किसी भी गलत घोषणा के लिए हमें अयोग्य घोषित करने और मेरी/हमारी निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने के लिए सहमत हूं/हैं।
6.	☐	मैं/हम इस बात पर सहमत हैं कि यदि आईडब्ल्यूएआई के संज्ञान में यह बात आती है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रस्तुतियां वास्तविक नहीं हैं, तो हम इस निविदा से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे तथा भविष्य में आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं में निविदा देने के लिए काली सूची में डाल दिए जाएंगे।
7.	☐	मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों/प्रस्तुति-पूर्व प्रश्नों के उत्तर आदि को टिप्पणी कर लिया है/अद्यतन कर लिया है तथा उसे सम्मिलित करते हुए बोली प्रस्तुत की गई है।

आपका विश्वसनीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी: कृपया उपरोक्त तालिका में उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं।

प्रपत्र 4च: बोलीदाता सूचना पत्रक

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम: *[पूरा नाम भरें]*
बोली लगाने वाले पक्ष का नाम: *[पूरा नाम भरें]*
बोलीदाता पक्ष का पंजीकरण देश: *[पंजीकरण का देश बताएं]*
बोलीदाता के गठन का वर्ष: *[गठन का वर्ष बताएं]*
गठन के देश में बोलीदाता का कानूनी पता: *[सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश अंकित करें]*
बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी नाम: *[पूरा नाम भरें]* पता: *[सड़क/नंबर/कस्बा या शहर/देश अंकित करें]* टेलीफोन/फैक्स नंबर: *[देश और शहर कोड सहित टेलीफोन/फैक्स नंबर भरें]* ई-मेल पता: *[ई-मेल पता बताएं]*
1. मूल दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं ☐ निगमन के लेख (या संविधान या कंसोटियम के समकक्ष दस्तावेज), और/या ऊपर नामित कानूनी इकाई के पंजीकरण दस्तावेज ☐ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम या संस्थान के मामले में, कानूनी और वित्तीय स्वायत्तता, वाणिज्यिक कानून के अनुसार संचालन और आश्रित स्थिति की अनुपस्थिति स्थापित करने वाले दस्तावेज 2. इसमें संगठनात्मक चार्ट, निदेशक मंडल की सूची और लाभकारी स्वामित्व शामिल हैं।

आपका विश्वसनीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

टिप्पणी:

यह प्रपत्र अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान प्रमाण के साथ दिया जाएगा

प्रपत्र 4छ: बोलीदाताओं द्वारा बोली पूर्व प्रश्नों के लिए प्रारूप

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

बोलीदाता का नाम:

जमा करने की दिनांक:

बोली-पूर्व प्रश्न

क्र. सं.	**खंड संख्या, खंड संख्या, निविदा दस्तावेज का उप-खण्ड संख्या और पृष्ठ संख्या**	**निविदा खण्ड का विवरण**	**प्रश्न/सुझाव/मांगा गया स्पष्टीकरण**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
.			
.			
.			
.			

आपका विश्वसनीय

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

प्रपत्र 4ठ: निर्माणाधीन समनुदेशन की सूची

क्र. सं.	ग्राहक का पूरा डाक पता और प्रभारी अधिकारी का नाम	समान कार्यों सहित कार्य का विवरण	संविदा का मूल्य	काम शुरू होने की दिनांक	निर्धारित पूर्णता अवधि	आज की दिनांक में औसत पूर्णता	पूरा होने की अपेक्षित तिथि

खंड-V: वित्तीय बोलियां मानक प्रपत्र

प्रपत्र वित्त-1: वित्तीय बोली प्रस्तुति प्रपत्र

[स्थान, दिनांक]

सेवा में,

[नाम और नियोक्ता का पता]

महोदय,

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके नोटिस के अनुसार *[समनुदेशन/जॉब का शीर्षक अंकित करें]* के लिए समनुदेशन/जॉब के लिए सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं, जो निविदा दिनांक *[दिनांक अंकित करें]* और हमारी तकनीकी बोली आमंत्रित करते हैं। हमारी संलग्न वित्तीय बोली भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने के खिलाफ हमारे संगठन (सीटीओ) *[सीटीओ का प्रतिशत अंकित करें]* को लागत का .....% है। इस राशि में माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर सभी प्रकार के कर (जैसे आयकर, शुल्क, शुल्क, शुल्क, लेवी आदि) शामिल हैं, जिनका भुगतान जारी करने के समय प्रभावी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बोली बिना शर्त है और हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय बोली से जुड़ी किसी भी शर्त के परिणामस्वरूप हमारी वित्तीय बोली/बोली को समग्र रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हमारी वित्तीय बोली, अनुबंध वार्ताओं (यदि कोई हो) के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन, धारा में उल्लिखित बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ..... खंड में दर्शाई गई दिनांक से पहले, हमारे लिए बाध्यकारी होगी।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त की गई किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सादर,

अधिकृत हस्ताक्षर [पूर्ण एवं आद्याक्षर]:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम : .....

फर्म का नाम : .....

प्रपत्र वित्त-2क: लागत का सारांश-बीओक्यू

सीएएमसी और आरआईएस स्टेशनों के ओ एंड एम (नियंत्रण और बेस स्टेशन)

बीओक्यू परिशिष्ट-A में संलग्न है

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम : .....

फर्म का नाम : .....

पता : .....

खंड-VI: संदर्भ शर्तें

1. कार्य-क्षेत्र

1.1. आरआईएस का चरण-III

- चरण-III में, जमानिया, गोविंदपुर और मौजामपुर में **3** रिमोट (बेस स्टेशन साइट) स्थापित करके जलयानों की निगरानी की गई थी।
- इसके अलावा, रामनगर, वाराणसी में एक नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण स्टेशन स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) के माध्यम से इस नदी क्षेत्र में चलने वाले जलयानों की निगरानी करता है और वीएचएफ के माध्यम से जलयानों के साथ संचार करता है।

तदनुसार, यह निविदा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए जारी की जाती है:

क) 4 आरआईएस स्टेशनों (अनुसूची-क) **के** ओ एंड एम और सीएएमसी
ख) आरआईएस उपकरण की मरम्मत और प्रतिस्थापन (अनुसूची-बी**)**

अपेक्षित विवरण

2. 4 आरआईएस स्टेशनों के सीएएमसी और ओ एंड एम

- निम्नलिखित स्थानों पर कुल 4 बेस/कंट्रोल स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

क) ज़मानिया	बेस-स्टेशन
ख) रामनगर, वाराणसी	नियंत्रण केंद्र
ग) गोविंदपुर	बेस स्टेशन
घ) मौजमपुर	बेस स्टेशन

- सभी स्टेशनों का निर्माण आईडब्ल्यूएआई द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर किया गया है और प्रत्येक स्थल में 2 पोर्टा केबिन हैं:- 1 उपकरण के लिए (टेबल-ए में सूची) और दूसरा ओ एंड एम और सीएएमसी के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के आवास के लिए। सभी स्टेशनों में बिजली की आपूर्ति है और चौबीसों घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए 1 डीजी सेट है। प्रत्येक आरआईएस स्टेशन पर **30** मीटर ऊंचाई का एक मोनोपोल टॉवर लगाया गया है और इसके ऊपर सभी एंटीना स्थापित किए गए हैं।
- भूमि पट्टा, पोर्टा केबिनों का अनुरक्षण, बिजली के बिल, आरआईएस स्टेशनों का डब्ल्यूपीसी लाइसेंस शुल्क आईडब्ल्यूएआई द्वारा किया जा रहा है।

क) डीजी सेट को ईंधन- डीजी सेट को ईंधन की आपूर्ति संविदाकार के कार्यक्षेत्र में होती है। बिजली की विफलता के मामले में डीजी सेट स्टैंड-बाय के रूप में कार्य करता है। सभी स्टेशनों को विधिवत 10 केवीए ऑटो स्टार्ट/कट जेनसेट से सुसज्जित है। डीजी सेट की एएमसी और बैटरी बदलने का काम भी संविदाकार के दायरे में है। प्रत्येक डीजी सेट में 12V 90 Ah की प्रत्येक में 1 बैटरी होती है। ईंधन प्रभार प्रतिपूर्ति सहायक दस्तावेज/बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

ख) यूपीएस:- सभी स्टेशनों को 5 केवीए यूपीएस प्रदान किया गया है। सभी यूपीएस में 2 घंटे तक बैकअप के लिए 16 नग (12 वी 65 एएच) बैटरी हैं। बैटरियों का वार्षिक प्रतिस्थापन संविदाकार के दायरे में होगा जिसके लिए प्रतिपूर्ति सहायक दस्तावेज/बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

ग) इंटरनेट सेवाएं और वान-सभी मौजूदा आरआईएस स्टेशनों को सभी 6 नियंत्रण/बेस स्टेशनों पर बीएसएनएल के माध्यम से एमपीएलएस कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है। लीज लाइन के अलावा, एक सेकेण्डरी बैकअप कनेक्टिविटी (मेगावाट/आरएफ लिंक/वीसैट) का प्रस्ताव है जिसके लिए संविदाकार को सेवा प्रदाता के साथ एसएलए करना होता

है और विक्रेता को प्रभारों का भुगतान करना होता है जिसके लिए सहायक दस्तावेज/बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिपूत की जाएगी।

बीओक्यू इस सेवाओं को पूरा करता है। यदि अपटाइम गारंटीकृत स्तर से कम हो जाता है, तो आईडब्ल्यूएआई यथानुपात आधार पर संबंधित अवधि के इंटरनेट प्रभारों के कारण देय भुगतान पर निम्नलिखित दंड लगाएगा।

अपटाइम प्रति स्थान (मासिक)	मासिक भुगतान पर % में जुर्माना।
95%	0%
90% लेकिन < 95%	10%
90% लेकिन < 85%	25%
85% से नीचे	कोई भुगतान नहीं

घ) **सिविल/इलैक्ट्रिकल/सामान्य अनुरक्षण:-** सभी आरआईएस स्टेशनों के लिए 2 स्टेशनों का प्रावधान किया गया है। पोर्टा केबिन आकार 20 फीट x 8 फीट x 8 फीट। पोर्टा केबिन में से एक में उपकरण और साथ ही कार्यालय भी है। प्रचालकों के आवास के लिए अन्य पोर्टा केबिन का प्रावधान किया गया है और उसमें अपेक्षित फर्नीचर, रसोई उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिसर के भीतर की भूमि का अनुरक्षण सुथरे रूप में किया जाना है क्योंकि आरआईएस परिसर संविदाकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

I. व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा

- संविदाकार को तदनुसार सभी 4 आरआईएस स्टेशनों पर स्थापित उपकरणों का सीएएमसी करना होगा। सीएएमसी में अनुशंसित पुर्जों को बदलना और यदि आवश्यक हो तो उपकरणों को बदलना शामिल होगा। संविदाकार कार्य आदेश प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर उपकरणों का निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। पर्याप्त मात्रा में कलपुर्जों को बनाए रखा जाना है और इस आशय की एक सूची हर तिमाही में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- उपकरण आरआईएस स्टेशन 4 पर स्थापित है। विचारार्थ विषय की तालिका-I में दी गई सूची के अनुसार हैं। ये सभी उपकरण काम करने की स्थिति में हैं। मौजूदा संविदाकार, नए सफल बोलीदाता (नए संविदाकार) और आईडब्ल्यूएआई अधिकारी के प्रतिनिधि सहित एक संयुक्त सर्वेक्षण संयुक्त रूप से हैंडओवर टेकओवर निरीक्षण करेगा। हैंडओवर-टेकओवर रिपोर्ट पर उपर्युक्त तीनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि इस निरीक्षण के दौरान कोई उपकरण दोषपूर्ण पाया जाता है तो उसकी या तो पिछले (मौजूदा) संविदाकार द्वारा मरम्मत/प्रतिस्थापन किया जाएगा अथवा आईडब्ल्यूएआई दोषपूर्ण उपकरण की मरम्मत/बदलने के लिए नए संविदाकार को भुगतान करेगा।
- हैंडओवर-टेकओवर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद नया संविदाकार कार्य शुरू करेगा और नए संविदाकार को दोषपूर्ण उपकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन नहीं किया जाता है और नए संविदाकार को सौंप नहीं दिया जाता है। तथापि, इन परिस्थितियों में, आईडब्ल्यूएआई नए संविदाकार को पूरी संविदा राशि का भुगतान करेगा जैसे कि प्रत्येक उपकरण चालू हालत में हो क्योंकि इसमें नए संविदाकार की गलती नहीं है।
- चूंकि उपरोक्त उपस्कर/उपकरण 2015 के हैं, इसलिए उपकरण को नवीनतम मानकों के अनुरूप लाने के लिए बीओक्यू में उपयुक्त प्रणाली उन्नयन शुल्क पर विचार किया गया है जिसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए सहायक दस्तावेज/चालान संलग्न किया जाना है।
- आरआईएस चरण-III को आरआईएस चरण-I और चरण-II के साथ एकीकृत किया जाना है।

संचालन और अनुरक्षण

क) इसमें आरआईएस स्टेशनों का चौबीसों घंटे प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए योग्य जनशक्ति (जैसाकि नीचे वर्णित है) का प्रावधान होगा। अतीत में आरआईएस स्टेशनों का विभिन्न चक्रवातों के दौरान संकट प्रबंधन के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। स्टेशन-वार अपेक्षित जनशक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**स्टेशन**	**ऑपरेटर/तकनीशियन**	**प्रबंधक**
1)	ज़मानिया	3	
2)	रामनगर, वाराणसी	3	1
3)	गोविंदपुर	3	-
4)	मौजमपुर	3	-
	योग	12	1

ख) स्टाफ़- अर्हता और प्रशिक्षण की आवश्यकता:

i. **प्रबंधक-** प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में डिग्री धारक होगा जो ओईएम द्वारा विधिवत प्रशिक्षित होगा जो वीटीएस और एआईएस उपकरण और संबंधित सॉफ्टवेयर के आवश्यक विषय को कवर करेगा। प्रबंधक V103/1 प्रमाणपत्र धारक होगा या आईएएलए प्रमाणपत्र धारक द्वारा प्रशिक्षित होगा।

ii. **ऑपरेटर-** ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक या पूर्व पेटी ऑफिसर/चीफ पेटी ऑफिसर (भारतीय नौसेना के रडार प्लॉटर I और नियंत्रण स्टेशन की निगरानी करने वाले कर्मियों के लिए आईएएलए वीटीएस ऑपरेटर प्रशिक्षण वी 103/1 ले चुके हैं) या इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक होंगे जिन्हें बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक योग्य आईएएलए ट्रेनर/अभियंता द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। ऊपर बताए अनुसार प्रशिक्षण 1 महीने के भीतर दिया जाना है। प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद ही प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मासिक भुगतान पर विचार किया जाएगा।

II. अन्य शर्तें

- श्रम कानून और कामगार मुआवजा अधिनियम: तैनात किए जाने वाले सभी कर्मचारियों को प्रचलित श्रम कानूनों, कामगार मुआवजा अधिनियम और समय-समय पर लागू अन्य सभी प्रचलित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
- सांविधिक देय: संविदाकार को काम के लिए प्रतिनियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, ईएसआई, समूह बीमा, आदि जैसे सभी सांविधिक देय/योगदान जमा करने होंगे।
- एसी की आपूर्ति उपलब्ध होगी। **न्यूनतम 5 केवीए** स्टेबलाइजर की शुरूआत करके आपूर्ति की शर्त संविदाकार की होगी।
- नियंत्रण स्टेशनों और बेस स्टेशनों के लिए नेटवकग सेटअप का प्रावधान संविदाकार की संपूर्ण जिम्मेदारी है जो बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान की जाएगी।
- नियंत्रण स्टेशन अन्य बेस स्टेशनों के साथ समन्वय में काम करेंगे। नियंत्रण स्टेशन प्रबंधक जलयान का मार्गदर्शन तब तक करेगा जब तक कि वह विशेष जलयान की निगरानी को अगले स्टेशन पर नहीं सौंप देता या जलयान आरआईएस की सीमा से बाहर नहीं हो जाते।
- ऑपरेटिंग कर्मी उसी क्षेत्र में चलने वाले जलयानों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और पूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करेंगे और जलयान के ट्रैक का पालन करेंगे। वे वीएचएफ या किसी अन्य उपलब्ध संचार मोड के माध्यम से जलयानों के साथ बातचीत करेंगे और जलयानों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए नीचे दिए गए

कर्तव्य और जिम्मेदारियां प्रकृति में सामान्य हैं और समय-समय पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा आगे निर्देशित की जाएंगी।

- मानक संचालन प्रक्रिया संविदाकार द्वारा नियंत्रण स्टेशन और आईडब्ल्यूएआई के समन्वय से स्थापित करनी होगी। जलयानों की आवाजाही से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का आईएमओ/पीआईएएनसी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- आरआईएस का प्रचालन पूर्णतः गोपनीय है क्योंकि यह संपूर्ण आरआईएस कवरेज क्षेत्र में जलयानों की आवाजाही की सुरक्षा और निगरानी से संबंधित होगा, इसलिए किसी भी तरीके से या जिस तरह से कार्मिकों को किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना या कोई डेटा देने की अनुमति नहीं है जो प्राधिकृत नहीं है। यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई जानकारी प्रदान की जानी है, तो इसे केवल संबंधित अधिकारियों की लिखित सहमति पर ही प्रदान किया जाना चाहिए।

III. कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

i. आरआईएस प्रबंधक

- आरआईएस प्रबंधक आरआईएस चरण-IIII के संबंधित नियंत्रण स्टेशनों के संचालन के प्रभारी होंगे और आरआईएस चरण-II और आरआईएस चरण-I के साथ आगे समन्वय करेंगे। वह आरआईएस की निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए संतोषजनक और कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
  - वे आरआईएस क्षेत्र में पूरे जलयान संचालनों और उनके उचित समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
- वे एनडब्ल्यू-1 (पटना-वाराणसी मार्ग) के डेटा संग्रह, डेटा मूल्यांकन और यातायात विशेषताओं के लिए जिम्मेदार हैं।
- वे नौचालन सहायक यंत्रों में किसी प्रकार की रुकावट/विफलता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नाविकों को तत्काल नोटिस जारी करने की व्यवस्था करेंगे।
- वे आईडब्ल्यूएआई को यातायात पृथक्करण योजना या आरआईएस संचालन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दों पर काम करने की सलाह देंगे।
- प्रबंधक को ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिफारिशों के साथ किसी जलयान की किसी संभाव्य/दुर्घटना/बहाव/टक्कर के लिए रिपोर्ट तत्काल आईडब्ल्यूएआई को प्रस्तुत करनी होती है।
- प्रबंधक बंदरगाह प्राधिकरण/पुलिस/जिला प्रशासन/तटरक्षक बल/नौसेना/आईडब्ल्यूएआई प्रधान कार्यालय के लिए डेटा भी संपर्क या साझा कर सकता है
- खराब मौसम के मामले में यह सलाह दी जाती है कि प्रबंधक सागर-फरक्का खंड में समुद्री यातायात की समग्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलयानों को उनकी स्थिति के लिए मार्गदर्शन करें।
- समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य।
- सभी उपकरणों का कार्य आरआईएस प्रबंधक की जिम्मेदारी है और उसे सभी उपकरणों का अनुरक्षण करना है। किसी भी उपकरण की मरम्मत की आवश्यकता के मामले में यह अधिमानतः उपकरण के अधिकृत सेवा डीलर के माध्यम से किया जाना चाहिए। मरम्मत अवधि के लिए अनुमत समय अधिकृत डीलर के मानक के अनुसार दिया जाएगा। तथापि, प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि विभिन्न कनेक्टिविटी की उपलब्धता को देखते हुए आरआईएस का प्रचालन किसी मरम्मत के अभाव में बाधित न हो।
- अपने कर्तव्यों के लिए लॉगबुक और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखें। ईआईसी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को बनाए रखने और रिकॉर्ड करने के लिए।

ii. आरआईएस ऑपरेटर

- आरआईएस ऑपरेटर शिफ्ट में कंट्रोल/बेस स्टेशन के कामकाज को नियंत्रित करेगा।

- वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में पूरे जलयान संचालनों और ड्यूटी घंटों के दौरान उनके उचित समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे।
- जलयानों और उनकी स्थिति, गति, शीर्षक और ट्रैक की निगरानी कंसोल पर ऑपरेटर द्वारा की जाएगी और वह सुरक्षित नौकायन के लिए पूरे संचालन के दौरान जलयानों के मास्टर को सलाह देगा।
- समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य।
- अपने कर्तव्यों के लिए लॉगबुक और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखना।
- ईआईसी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को बनाए रखने और रिकॉर्ड करने के लिए।
- सभी नियंत्रण/बेस स्टेशनों को प्रणाली में उपलब्ध भौतिक और सुलभ रूप में रिकार्ड का रख-रखाव करना होता है। प्रबंधक को किसी भी क्षति/हानि/चोरी से सभी रिकॉर्ड का ध्यान रखना चाहिए।

IV. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

i. स्टेशन आरआईएस प्रबंधक को आरआईएस की रिपोर्ट और विवरण ईआईसी और संबंधित अधिकारियों को निर्देशानुसार प्रस्तुत करना होगा। प्राथमिक रिपोर्टिंग की सूची नीचे उल्लिखित है। इसके बावजूद घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जो भी निर्देश दिए जाने हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए।

ii. किसी भी घटना/दुर्घटना/आपदा के लिए नियंत्रण स्टेशन प्रबंधक को उपरोक्त आरआईएस प्रबंधक की ड्यूटी सूची में उल्लिखित चिंताओं को वास्तविक समय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

iii. जलयानों के मापदंडों और ध्यान देने योग्य घटना को बताते हुए एक साप्ताहिक विस्तृत रिपोर्ट आईडब्ल्यूएआई, नोएडा/आईडब्ल्यूएआई, कोलकाता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iv. विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों, सुझावों, कार्य पद्धति पर रिपोर्ट।

V. प्रशासनिक और विविध खर्च:

i. संविदाकार सभी प्रशासनिक प्रभारों जैसे स्टेशनरी, हाउसकीपिंग, वॉच कीपिंग, वाहन, पेयजल आदि के लिए जिम्मेदार है। उसी हिसाब से उन्हें अपनी हर व्यवस्था खुद करनी होगी। खर्च संविदाकार को वहन करना होगा। संविदाकार को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसर और आरआईएस कमरे को हर समय बहुत साफ और स्वच्छ रखना पड़ता है।

ii. पोर्टा केबिन का अनुरक्षण संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। पोर्टा केबिन के बाहर जंगल क्लीयरेंस और अनुरक्षण आईडब्ल्यूएआई द्वारा किया जाएगा।

iii. आईडब्ल्यूएआई द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

iv. सभी स्टेशनों पर बोरवेल और पानी के लिए ओवरहैड टैंक की व्यवस्था की गई है। कुछ स्थानों पर जलाशय (भंडारण टैंक) के साथ नागरिक आपूर्ति कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

v. आवास की व्यवस्था सभी स्थलों पर पहले से ही उपलब्ध है। कोई अलग टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

vi. इस सेटअप के साथ वीटीएमएस के संचालन की योजना बनाई गई है, हालांकि संविदाकार व्यवस्था करेगा ताकि किसी भी संबंधित अधिकारी के स्टेशन छोड़ने से पहले प्रॉक्सी व्यवस्था की जा सके। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vii. सभी कर्मचारियों की निरंतर उपस्थिति और आरआईएस स्टेशनों के चौबीसों घंटे संचालन के लिए व्यवस्था की जानी है। तथापि, आईडब्ल्यूएआई संविदाकार द्वारा किए गए किसी आरक्षित प्रावधान के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।

<u>एनडब्ल्यू1 पर अन्य आरआईएस सिस्टम के साथ संगतता/इंटरऑपरेबिलिटी</u>

राष्ट्रीय जलमार्ग I (एनडब्ल्यू1) इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किमी की दूरी को कवर करता है। हल्दिया से पटना तक आरआईएस प्रणाली (एक संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जा रहे दो खंडों में-चरण I और II) वर्तमान में ओ एंड एम और सीएएमसी के अधीन है। यह परिकल्पना की गई है कि जलमार्ग के पूरे खंड में निर्बाध डेटा जानकारी और आवाज संगतता होगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सफल बोलीदाता एआईएस डाटा (एआईवीडीएम संदेश) और आगामी व्यवस्था के साथ आवाज संचार के संबंध में संगतता/अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करेगा। वाराणसी नियंत्रण कक्ष में, पूरे एनडब्ल्यू-1 के जलयान डेटा उपलब्ध होंगे। दूसरे शब्दों में, चरण-III के संविदाकार को चरण-I और चरण-II में आरआईएस प्रणाली के साथ चरण-III की प्रणाली का इंटरफेस करना चाहिए, ताकि वाराणसी में चरण-III नियंत्रण कक्ष में बैठे प्रचालक चरण-III प्रणाली में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक नौगम्य चार्ट (ईएनसी) पर संपूर्ण एनडब्ल्यू-1 खंड में चलने वाले सभी जलयानों की निगरानी करने में सक्षम हो सकें। यदि आवश्यक हो तो चरण-III का संविदाकार उपर्युक्त पैरामीटरों को प्राप्त करने के लिए आरआईएस सॉफ्टवेयर को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्राधिकरण इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सभी संविदादारों के साथ समन्वय करने का प्रयास करेगा।

बोलीदाता आरआईएस चरण I, II और III के बीच डेटा के निर्बाध आदान-प्रदान पर अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से वर्णन करेगा। इस दृष्टि पर विस्तार से काम किया जाएगा ताकि आरआईएस चरण I, II और III के बीच संभावित विभिन्न प्रणालियों द्वारा नदी पर उपयोगकर्ताओं से और उनके लिए जानकारी बाधित न हो। सिद्ध अवधारणाओं को समाधान के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। बोलीदाता का दृष्टिकोण अभी और बाद के समय के लिए दिया जाएगा जहां चरण I और II का अनुरक्षण समाप्त हो जाता है। ऑपरेटर द्वारा किनारे से संदेश भेजने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी जलयानों को एक खंड में संदेश भेजना संभव होना चाहिए जिसमें न केवल चरण 3 आरआईएस बल्कि चरण I, II और III एक साथ शामिल हों।

अन्य उपकरणों की आपूर्ति/स्थापना/कमीशनिंग

(क) निम्नलिखित उपकरणों के वाराणसी नियंत्रण स्टेशन की मरम्मत:

क्र. सं.	उपकरण का नाम/विवरण	मॉडल/मेक	मात्रा
1	सिस्को 4221 राउटर	4221 श्रृंखला समान या बेहतर	1
2	साब R40 एआईएस स्टेशन	R40 समान या बेहतर	1+1
3	वीएचएफ एंटीना	CX4 समान या बेहतर	3
4	वीएचएफ रिमोट ग्राहक	समान या बेहतर	1
5	आईसीओएम-आईसी एम 424 जी-वीएचएफ	आईसी M424 जी समान या बेहतर	1
6	मेट सेंसर	समान या बेहतर	1 सेट
7	अलगाव ट्रांसफार्मर	समान या बेहतर	1
8	क्रॉप (सेंट्रल आरआईएस ऑपरेटिंग प्रोसेसर/डाटा बेस सर्वर	R430 समान या बेहतर	1
9	सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस	300 सीरीज समान या बेहतर	1
10	Goose Mic हंस माइक	लेन, एलईएम-390 समान या बेहतर	1

स्वरूपगंज बेस स्टेशन की मरम्मत

क्र. सं.	उपकरण का नाम/विवरण	मॉडल/मेक	मात्रा

(ख)	1	एआईएस	साब आर-40 समान या बेहतर	1+1		
	2	वीएचएफ बेस स्टेशन	जेएमसीआरटी-2500 समान या बेहतर	1		
	3	प्रेशर सेंसर	समान या बेहतर	1		
	4	आरओआईपी गेटवे	समान या बेहतर	1		
	5	3 चरण के लिए सर्ज अरेस्टर	समान या बेहतर	1		
	6	सिंगल चरण के लिए सर्ज अरेस्टर	समान या बेहतर	1		
ग)	एसएल घाघरा और एसएल कोसी में शिप स्टेशन का प्रतिस्थापन संलग्न उपकरण हैं झ) डीजीपीएस रिसीवर ञ) ट्रांसड्यूसर के साथ इकोसाउंडर ट) रडार ठ) वीएचएफ ड) एआईएस रिसीवर सभी उपकरणों को एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस किया जाना है।					
घ)	चरण-2 में बेस स्टेशन एआईएस का प्रतिस्थापन				2	एआईएस बेसस्टेशन-कोंग्सबर्ग सीटेक्स एएस, मॉडल-बीएस 610 या समकक्ष बनाएं
ङ)	मेट सेंसर का प्रतिस्थापन				6	आरएम यंग एंड कंपनी (समान य बेहतर)

टिप्पणी: सफल बोलीदाता को चरण-I और II के साथ आरआईएस चरण-III का एकीकरण सुनिश्चित करना होगा। एकीकरण के लिए किए जाने वाले लाइसेंस/उन्नयन के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाना है। सभी को संविदा मूल्य में शामिल माना जाएगा।

भुगतान अनुसूची

क) (i) आरआईएस नियंत्रण के ओ एंड एम और सीएएमसी (1)/बेस स्टेशन (03)

संचालन और अनुरक्षण और सीएएमसी के लिए 03 वर्षों के लिए उद्धृत कुल राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा अर्थात आरआईएस चरण-III के तहत नियंत्रण/बेस स्टेशनों की मरम्मत और संचालन के 3 (तीन) महीने बाद। दूसरे शब्दों में, भुगतान त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा। यह अवधि नियंत्रण/बेस स्टेशनों की मरम्मत करने और उनके पूर्ण रूप से कार्य करने की दिनांक से शुरू होती है। ओ एंड एम भुगतान मासिक वार किया जा सकता है।

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किए गए भुगतान का सुपाठ्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर जनशक्ति को भुगतान।

ii) नियंत्रण स्टेशन, **बेस स्टेशन की मरम्मत**, **जलयान स्टेशन के प्रतिस्थापन और एआईएस स्टेशनों के प्रतिस्थापन के लिए भुगतान।**

(क) उद्धृत राशि के लिए 70% भुगतान अच्छी स्थिति में वस्तुओं की आपूर्ति पर जारी किया जाएगा।

(ख) उद्धृत राशि के लिए 20% भुगतान प्रणाली के चालू होने पर जारी किया जाएगा।

(ग) उद्धृत राशि के लिए 10% भुगतान सिस्टम के चालू होने के 3 महीने बाद जारी किया जाएगा।

सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किए जाएंगे और करों को रोकने के लिए लागू भारतीय कानूनों के अधीन होंगे, यदि कोई हो।

आईडब्ल्यूएआई द्वारा भुगतान के बाद संविदाकार द्वारा जीएसटी प्रेषण चालान भी प्रदान किया जाएगा।

"प्राधिकारी" संविदाकार(ओं) द्वारा असंतोषजनक निष्पादन के लिए किसी भी समय इस संविदा को समाप्त कर सकता है, जिसके लिए "प्राधिकारी" लिखित रूप में सूचित करेगा और एक आनुपातिक राशि, यदि कोई हो, केवल आपूर्ति के उस हिस्से के लिए देय होगी।

संचालन और अनुरक्षण के लिए योग्य कर्मियों के लिए सेवा के लिए घोषणा

संविदाकार प्राधिकरण को घोषणा करेगा कि संविदा के तहत आपूर्ति की गई सेवाएं संविदा का सख्ती से अनुपालन करेंगी और प्रत्येक मामले में प्रथम श्रेणी और दोषों से मुक्त होंगी। संविदाकार प्राधिकरण को आगे घोषित करेगा कि सीएएमसी के उद्देश्य के लिए संविदाकार द्वारा सभी सेवाएं सबसे उपयुक्त ग्रेड की होंगी, और उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए। संविदाकार यह भी घोषणा करेगा कि इस संविदा के तहत की जाने वाली सेवाएं आम तौर पर स्वीकृत पेशेवर मानकों के साथ पुष्टि करेंगी।

गलती होने की स्थिति में, और ऑनसाइट कर्मी गलती को दूर करने की स्थिति में नहीं होने पर, ऑन-ड्यूटी व्यक्ति सीएएमसी संविदाकार को फोन/ईमेल के साथ-साथ प्रभारी अभियंता और मुख्यालय कार्यालय, नोएडा को सूचित करेगा, जिसमें गलती की प्रकृति और विवरण (घटना की दिनांक सहित) के साथ-साथ गलती को दूर करने के लिए किए गए प्रयास का विवरण भी होगा। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, संविदाकार तुरंत मरम्मत के लिए अपने सबसे अनुभवी अभियंता को प्रतिनियुक्त करेगा या, यदि आवश्यक हो, तो दोषपूर्ण उपकरण या उसके कुछ हिस्सों को बदल देगा।

यदि संविदाकार, अधिसूचित किए जाने पर, संविदा के अनुसार दोषों को दूर करने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी ऐसी आगामी उपचारात्मक कार्रवाई कर सकता है जो संविदाकार के खर्च पर आवश्यक हो। इस खंड के अनुसरण में संविदाकार वारंटी किसी अन्य अधिकार या संव्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो प्राधिकरण के पास संविदा के तहत संविदाकार के खिलाफ हो सकता है।

उपरोक्त के बावजूद, सिस्टम की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। संविदाकार को प्रणाली की न्यूनतम 98**%** उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। उपलब्धता को आईएएलए मैनुअल के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। यदि जलमार्ग उपयोगकर्ताओं को लगातार 48 घंटे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो सेवाओं को उपलब्ध नहीं माना जाएगा।

संविदा के तहत आपूर्ति की गई जनशक्ति में योग्य और अनुभवी कर्मी शामिल होंगे और आरआईएस संदर्भ स्टेशन में स्थापित उपकरणों, उपकरणों के संचालन के लिए वैध शैक्षिक और प्रासंगिक अनुभव प्रमाणपत्र होगा। तैनाती अवधि के दौरान, संविदाकार को अनुरक्षण करना होता है।

संविदाकार सीएएमसी की लागत के 0.05% के बराबर राशि का भुगतान स्टेशन को उस कार्य के प्रत्येक दिन के लिए करेगा जो ऐसे प्रत्येक अवसर पर 48 घंटे की निर्दिष्ट अवधि से परे अधूरा रहता है, बशर्ते कि ऐसी राशि साइट के लिए संविदा मूल्य के 10% से अधिक न हो।

यदि कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी समय "प्राधिकरण" को यह प्रतीत होता है कि अनुरक्षण/कारीगरी असंतोषजनक है, तो प्राधिकरण के पास किसी अन्य संविदाकार/फर्म के माध्यम से कार्य करवाने की पूरी शक्तियां होंगी, जिसे वह कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और संविदाकार को ऐसे/खर्चों की लागत डेबिट करेगा जो संविदाकार के बिल पर पहला प्रभार होगा।

उपरोक्त के बावजूद, सिस्टम की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। संविदाकार को प्रणाली की न्यूनतम 98% उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है। उपलब्धता को आईएएलए मैनुअल के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

कार्य अनुसूची

व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा में (क) निवारक अनुरक्षण और (ख) आरआईएस प्रणाली के सभी हिस्सों का सुधारात्मक अनुरक्षण शामिल है और इसमें मुख्य और गर्म स्टैंडबाय सिस्टम के सभी भागों/घटक की आपूर्ति और प्रतिस्थापन शामिल है।

आरआईएस उपकरण के अलावा इस संविदा में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पूर्ण आरआईएस/आईएम/बीकन आरएक्स, एंटीना ट्यूनिंग यूनिट, व्हिप/टी एंटीना, यूपीएस, डीजी सेट आदि सहित एंटीना सिस्टम की मरम्मत और अनुरक्षण शामिल है।

संविदाकार प्रसारण स्टेशन नियंत्रक सॉफ्टवेयर के भविष्य के अद्यतन संस्करण और सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की मुफ्त आपूर्ति करेगा।

संविदाकार को किसी भी प्रकार की छुट्टियों के बावजूद सभी दिनों में अनुरक्षण/मरम्मत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संविदाकार उपकरण और संयंत्रों के साथ सभी प्रकार के निवारक अनुरक्षण प्रदान करेगा। इसमें प्रत्येक प्रणाली के लिए मानक परीक्षण कार्यक्रम/सॉफ्टवेयर और निदान चलाने के लिए पीसीबी पर बिजली की आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन और विभिन्न वोल्टेज की स्वस्थता और विनियमन की जांच शामिल होगी।

कैबिनेट के इंटीरियर की भौतिक सफाई, पीसीबी पर घटकों के किसी भी ओवरहीटिंग की जांच और किसी भी ढीले कनेक्शन के लिए सॉकेट माउंटेड आईसीएस कनेक्टर और केबल की भौतिक जांच निवारक अनुरक्षण का हिस्सा बनेगी।

संविदाकार के पास फील्ड जांच सहित मरम्मत और परीक्षण के लिए आवश्यक सभी विशेष परीक्षण उपकरणों के साथ स्वयं के परीक्षण और मरम्मत केंद्र की सुविधा होगी। इसके अलावा, संविदाकार के पास सिस्टम में फिट किए गए सरफेस माउंटेड डिवाइस वाले पीसीबी की मरम्मत के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अभियंता होंगे। संविदाकार उपर्युक्त को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसे यदि आवश्यक हो, प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

संविदाकार सभी पुर्जों और पूर्ण स्पेयर सिस्टम का स्टॉक करेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन स्थल पर तत्काल प्रतिस्थापन के लिए बनाए जा रहे संबंधित सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर या बेहतर कॉन्फ़िगरेशन होगा। प्राधिकरण, अपनी अपवित्रता पर, ऐसी सुविधाओं का दौरा और सत्यापन कर सकता है।

संविदाकार के अभियंता प्रणाली की स्थिति की जांच करने और यदि आवश्यक हो, निवारक अनुरक्षण करने के लिए हर महीने साइटों का दौरा कर सकते हैं। हालांकि, ब्रेकडाउन अनुरक्षण तुरंत किया जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग के समय से 48 घंटे के बाद नहीं।

सीएएमसी अवधि के दौरान, किसी भी मूल्य-वृद्धि खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

खंड-VII: संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

खंड VII: संविदा की सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएँ

1.1.1 **"नियोक्ता"** का तात्पर्य अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 और उसके उत्तराधिकारी से है

1.1.2 **"प्राधिकरण/विभाग/मालिक"** का अर्थ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण होगा, जो अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई की ओर से निविदाएं आमंत्रित करता है और इसमें कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल हैं।

1.1.3 "**अध्यक्ष**" का तात्पर्य भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

1.1.4 **"मुख्य अभियंता"** का तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य अभियंता से है, जैसा भी मामला हो।

1.1.5 **"निदेशक"** का तात्पर्य प्राधिकरण के निदेशक से है, जैसा भी मामला हो।

1.1.6 **उप निदेशक"** का तात्पर्य प्राधिकरण के उप निदेशक से है, जैसा भी मामला हो।

1.1.7 **"संविदाकार"** का अर्थ है सफल बोलीदाता जिसे इस निविदा दस्तावेज के तहत कवर किए गए कार्य को करने के लिए संविदा दिया गया है और संविदाकार के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रतिनिधि या अभियंता द्वारा अनुमोदित समनुदेशन किए गए को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।

1.1.8 **"संविदाकार के प्रतिनिधि"** का अर्थ है संविदा में संविदाकार द्वारा नामित व्यक्ति या संविदाकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाता है, जो संविदाकार की ओर से कार्य करता है।

1.1.9 **"नियोक्ता के कार्मिक"** का अर्थ है अभियंता, सहायक और अन्य सभी कर्मचारी, श्रम और अभियंता और नियोक्ता के अन्य कर्मचारी; और नियोक्ता या अभियंता द्वारा नियोक्ता के कार्मिक के रूप में संविदाकार को अधिसूचित कोई अन्य कर्मी।

I.1.10 **"संविदाकार के कार्मिक"** का अर्थ है संविदाकार के प्रतिनिधि और सभी कर्मी जिन्हें संविदाकार साइट पर उपयोग करता है, जिसमें संविदाकार और प्रत्येक उपसंविदाकार के कर्मचारी, श्रम और अन्य कर्मचारी शामिल हो सकते हैं; और कार्यों के निष्पादन में संविदाकार की सहायता करने वाले किसी भी अन्य कर्मी।

I.1.11 **"प्रभारी अभियंता (ईआईसी) या अभियंता"** का अर्थ है नियोक्ता कर्मियों को नियोक्ता की ओर से कार्यों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रभारी होने के लिए अधिकृत किया गया है।

I.1.12 **"उपसंविदाकार"** का अर्थ है संविदा में नामित कोई भी व्यक्ति जो निर्माण-कार्य के एक हिस्से के लिए उपसंविदाकार के रूप में नामित है या कोई भी व्यक्ति जिसे वर्क्स का एक हिस्सा संविदाकार द्वारा अभियंता और कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति से उप-अनुबंधित किया गया है।

I.1.13 **"प्रभारी अभियंता/सहायक"** का अर्थ होगा अभियंता द्वारा नामित प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी जो परियोजना को पूरा करने के लिए दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण, जांच, माप लेने, बिलों की जांच करने, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने, कार्यों का निरीक्षण करने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए अभियंता द्वारा नामित किया गया है।

I.1.14 **"संविदा"** का अर्थ है निविदा बनाने और उसकी स्वीकृति और अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और संविदाकार की ओर से सक्षम प्राधिकारी के बीच निष्पादित औपचारिक समझौता, इन शर्तों सहित उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों के भीतर, अभियंता द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनिर्देशों, डिजाइनों, ड्राइंग और अनुदेशों और इन सभी दस्तावेजों को एक साथ लिया गया एक संविदा माना जाएगा और एक दूसरे के पूरक।

I.1.15 **"पक्ष"** का अर्थ नियोक्ता या संविदाकार जैसा भी मामला हो सकता है और **"पक्ष"** का अर्थ दोनों है।

I.1.16 **"आरंभ तिथि"** का अर्थ खंड 12.1 के तहत अधिसूचित तिथि है।

I.1.17 **"दिन"** का अर्थ मध्य रात्रि से शुरू होने वाला और समाप्त होने वाला कैलेंडर दिन है।

I.1.18 **"सप्ताह"** का अर्थ लगातार सात कैलेंडर दिन है।

I.1.19 **"महीना"** का अर्थ एक कैलेंडर महीना है।

I.1.20 **"जीसीसी"** का अर्थ संविदा की सामान्य शर्तें हैं।

I.1.21 "एससीसी" का अर्थ है संविदा की विशेष शर्तें हैं।

I.1.22 **"कार्य/निर्माण"** का अर्थ है संविदा के अनुसार निष्पादित किया जाने वाला कार्य/निर्माण।

I.1.23 **"कार्य आदेश"** का अर्थ प्राधिकरण से एक पत्र है जिसमें निविदा/प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना दी गई है**,** जो इस तरह के आरक्षण के अधीन है जैसाकि उसमें कहा गया हो।

I.1.24 **"स्वीकृति-पत्र"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा सफल बोलीदाता को संविदाकार के प्रस्ताव की स्वीकृति को सूचित करने के लिए जारी किया गया औपचारिक पत्र और अन्य नियमों और शर्तों सहित निर्दिष्ट करेगा**,** कार्यों के निष्पादन और पूरा होने पर विचार करने में कुल संविदा मूल्य और संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार संविदाकार द्वारा उसमें किसी भी दोष का उपाय।

I.1.25 **"मात्रा का बिल"** का अर्थ है मूल्य अनुसूची और संविदा का हिस्सा बनने वाली मात्रा का पूरा बिल।

I.1.26 **"संविदा मूल्य"** का अर्थ है स्वीकृति-पत्र में निर्दिष्ट मूल्य परिवर्धन और समायोजन या उससे कटौती के अधीन जैसाकि प्रस्ताव के अनुसार किया जा सकता है।

I.1.27 **"लागत"** का अर्थ है संविदाकार द्वारा यथोचित रूप से किए गए सभी व्यय (या किए जाने वाले)**,** चाहे साइट पर या बाहर**,** ओवरहेड और इसी तरह के शुल्क सहित**,** लेकिन इसमें लाभ शामिल नहीं है।

I.1.28 **"स्वीकृत संविदा राशि"** का अर्थ है किसी भी दोष के समाधान सहित कार्यों के निष्पादन और पूरा करने के लिए स्वीकृति-पत्र में स्वीकार की गई राशि।

I.1.29 **"लागू कानून"** का अर्थ है कानून और कोई अन्य उपकरण जो उस समय के लिए भारत में कानून का बल रखता है।

I.1.30 **"अनुमोदन"** का अर्थ है नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति

2. व्याख्याएं

2.1 जहां संविदा की आवश्यकता होती है, केवल एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होंगे। मर्दाना लिंग के किसी भी संदर्भ में जब भी आवश्यक हो, स्त्री लिंग और इसके विपरीत शामिल होंगे।

2.2 इन सामान्य शर्तों में शीर्षक और सीमांत नोटों को उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा या संविदा के निर्माण की व्याख्या में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

2.3 संविदा में जहां भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी नोटिस, सहमति, अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण को देने या जारी करने के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऐसी सूचना, सहमति, अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण लिखित रूप में होगा और शब्द "अधिसूचित", "प्रमाणित" या "निर्धारित" तदनुसार लगाया जाएगा। ऐसी कोई भी सहमति, अनुमोदन, प्रमाणपत्र या निर्धारण अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा।

2.4 **कानून और भाषा**

संविदा देश के कानून (भारतीय कानून) द्वारा शासित होगी।

संचार के लिए भाषा अंग्रेजी होगी।

2.5 **दस्तावेजों की प्राथमिकता**

संविदा बनाने वाले दस्तावेजों को एक दूसरे के पारस्परिक व्याख्यात्मक के रूप में लिया जाना है। व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नलिखित अनुक्रम के अनुसार होगी:

(क) संविदा समझौता,

(ख) अखंडता समझौता

(ग) स्वीकृति-पत्र/फर्म कार्य आदेश

(घ) संविदा की विशेष शर्तें

(ङ) संविदा की सामान्य शर्तें

(च) मूल्यांकित मात्रा का बिल

(छ) चित्र और परिशिष्ट

(ज) तकनीकी विनिर्देश

(झ) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र

(ञ) महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा की बैठक के कार्यवृत्त

(ट) तकनीकी बोली

(ठ) बोली के बाद पत्राचार और संविदा का हिस्सा बनने वाले कोई भी अन्य दस्तावेज़।

यदि दस्तावेजों में कोई अस्पष्टता या विसंगति पाई जाती है, तो नियोक्ता/अभियंता इस संबंध में कोई आवश्यक स्पष्टीकरण या निर्देश जारी करने का एकमात्र अधिकार होगा।

2.6 **संविदा समझौता**

पक्ष स्वीकृति-पत्र जारी होने के 21 दिनों के भीतर एक संविदा समझौते में प्रवेश करेंगे। संविदा करार बोली के साथ संलग्न प्रारूप में होगा। परिशिष्ट समझौते में प्रवेश के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टाम्प शुल्क और समान शुल्क (यदि कोई हो) की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

2.7 **संयुक्त और कई दायित्व**

यदि संविदाकार (लागू कानूनों के तहत) दो या दो से अधिक व्यक्तियों/कंपनियों के जॉइंट वैंचर या कंसोर्टियम का गठन करता है

(i) इन व्यक्तियों/कंपनियों को संविदा के निष्पादन के लिए नियोक्ता के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी माना जाएगा;

(ii) ये व्यक्ति/कंपनियां अपने नेता के नियोक्ता को सूचित करेंगी जिनके पास संविदाकार और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति/कंपनियों को बाध्य करने का अधिकार होगा।

(iii) संविदाकार नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना अपनी संरचना या कानूनी स्थिति को नहीं बदलेगा।

3. समझौते पर हस्ताक्षर

3.1 संविदा के पक्षकार संविदाकार और मालिक हैं।

(क)

(ख) **संविदाकार की ओर से संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का प्राधिकार**

संविदाकार की ओर से संविदा के संबंध में निविदा या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के अपने प्राधिकार का खुलासा किए बिना यह समझा जाएगा कि उसे संविदाकार को बाध्य करने का प्राधिकार है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस प्रकार

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, तो प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष, स्वामी के किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को रद्द कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को सभी लागतों और क्षति के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी ठहरा सकता है जो संविदा के रद्द होने से उत्पन्न होती है, जिसमें कोई भी हानि भी शामिल है जो मालिक को ऐसी खरीद के कारण हो सकती है। खंड 11 के उपबंध ऐसी प्रत्येक खरीद पर, जहां तक लागू हो, लागू होते हैं।

(ग) **संविदाकार का पता और मालिक की ओर से नोटिस और संचार**

(i) संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए जिसमें उसके अंतर्गत मध्यस्थता भी शामिल है, निविदा में उल्लिखित संविदाकार का पता वह पता होगा जिस पर संविदाकार को संबोधित सभी संप्रेषण भेजे जाएंगे, जब तक कि संविदाकार ने एक अलग पत्र द्वारा परिवर्तन को अधिसूचित न किया हो जिसमें कोई अन्य संचार न हो और अध्यक्ष को देय पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) 201301. संविदाकार पूर्वोक्त मामले में पते के परिवर्तन को सूचित करने के लिए चूक के परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ii) मालिक की ओर से कोई भी संचार या नोटिस, संविदा के संबंध में मालिक द्वारा संविदाकार को जारी किया जा सकता है, और इस तरह के संचार और नोटिस संविदाकार को ईमेल या फैक्स या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा या पोस्टिंग के प्रमाणपत्र के तहत या साधारण डाक द्वारा या मालिक के विकल्प पर हाथ से डिलीवरी द्वारा दिए जा सकते हैं।

3.2 **अध्यक्ष का अधिकार**

संविदा के सभी प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत उसके अधीन मध्यस्थता कार्यवाही भी है, प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष स्वामी के सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने का पात्र होगा।

4. निष्पादन सुरक्षा और प्रतिभूति जमा

4.1 **एमएसई पंजीकृत फर्मों सहित सभी बोलीदाताओं के लिए**

संविदाकार को आशय पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार भारत के किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी बांड के रूप में कार्य के संविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

4.2 बिल की सकल राशि का @ 10% संविदाकार के प्रत्येक चल रहे बिल से तब तक काटा जाएगा जब तक कि आरटीजीएस के रूप में बयाना राशि के रूप में पहले से जमा की गई राशि के साथ राशि काम के संविदा मूल्य के 5% की प्रतिभूति जमा राशि नहीं होगी। आरटीजीएस के रूप में प्रस्तुत सफल बोलीदाता की बयाना राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में रखा जाएगा। **बैंक गारन्टी प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**

एमएसई पंजीकृत फर्मों के मामले में, प्रत्येक चालू बिल से बिल की सकल राशि के 10% की कटौती तब तक की जाएगी जब तक कि वह राशि कार्य के संविदा मूल्य के 5% तक न पहुंच जाए क्योंकि प्रतिभूति जमा भी किया जाएगा।

4.3 **निष्पादन सुरक्षा और प्रतिभूति जमा की निर्मुक्ति**

निष्पादन बैंक गारंटी पूरा होने की निर्धारित दिनांक और उसके बाद नब्बे दिनों तक वैध होगी। ऐसी बैंक गारंटी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा और ऐसी बैंक गारंटी उपर्युक्त अवधि

के पूरा होने के 21 दिनों के भीतर संविदाकार को वापस कर दी जाएगी। समय के विस्तार के मामले में, संविदाकार कार्य के समय के ऐसे विस्तार को कवर करने के लिए विस्तारित निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता प्राप्त करेगा।

4.4 कुल प्रतिभूति जमा संविदा के पूरा होने तक या समझौते की शर्तों के अनुसार देय अंतिम बिल के भुगतान तक, जो भी बाद में हो, मालिक के पास रहेगी, बशर्ते कि अभियंता संतुष्ट हो कि संविदाकार के खिलाफ कोई मांग बकाया नहीं है।

4.5 प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

4.6 यदि संविदाकार संविदा के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने की उपेक्षा करता है या विफल रहता है, तो मालिक के लिए यह वैध होगा कि वह संविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा राशि को पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त कर ले। तथापि, यदि संविदाकार विधिवत रूप से संविदा का निष्पादन करता है और उसे पूरा करता है तथा निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो मालिक लागत और व्यय जो मालिक ने किया हो सकता है और अन्य धनराशि, जिसमें सभी हानियां और क्षति शामिल हैं जो मालिक संविदाकार से वसूलने का पात्र है, की कटौती के बाद संविदाकार को प्रतिभूति जमा राशि वापस करेगा।

4.7 कार्य की प्रगति में विलंब के मामले में, मालिक संविदाकार को लिखित रूप में नोटिस जारी करेगा जिसमें प्रगति में विलंब का उल्लेख किया जाएगा और संविदाकार को नोटिस प्राप्त होने के **3** दिनों के भीतर अथवा नोटिस जारी होने के **10** दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, विलंब के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। यदि मालिक दिए गए स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है, तो वह लंबित बिलों के भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है और/या संविदाकार के जोखिम और लागत पर पूर्व-निर्धारित स्तर तक त्वरित कार्य की प्रगति के सुधार के उपायों को प्राप्त कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है।

4.8 संविदा की शर्तों अथवा किसी अन्य संविदा अथवा किसी अन्य खाते के अधीन संविदाकार द्वारा संदेय सभी प्रतिकर अथवा अन्य राशियां उसकी प्रतिभूति के पर्याप्त खंड की बिक्री से अथवा किसी ऐसी राशि से काटी जा सकती हैं जो किसी भी खाते में स्वामी द्वारा संविदाकार को देय हो सकती है। इसके अलावा, संविदाकार की प्रतिभूति जमा ऐसी कटौती या बिक्री से कम होने की स्थिति में, जैसाकि पूर्वोक्त है, संविदाकार नियोक्ता प्रतिनिधि से मांग की सूचना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अपनी प्रतिभूति जमा राशि में कमी की भरपाई करेगा।

4.9 यदि संविदाकार सर्वेक्षण उसे सौंपने के बाद प्रचालन शुरू करने में असफल रहता है अथवा जब संविदाकार तीस दिन से अधिक समय तक चूक करता है अथवा जब दंड या कटौती के रूप में संविदा से कवर किया जाता है और संविदाकार उसे इस संबंध में उचित सूचना दिए जाने के बाद भी ऐसी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, मालिक अपने स्वयं के विवेक पर निष्पादन गारंटी के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी को भुनाएगा और/या अपनी प्रतिभूति जमा से राशि की वसूली करेगा।

5. निविदा की पर्याप्तता

5.1 संविदाकार को कार्यों के लिए अपनी निविदा की सत्यता और पर्याप्तता और मात्रा और कीमतों की अनुसूची में उद्धृत दरों के बारे में निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट करने के लिए समझा जाएगा जो (संविदा में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर) संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों और संविदा के प्रावधानों के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को और कार्य के निष्पादन के दौरान इसका संचालन कवर करेगा।

6. संविदा दस्तावेज

6.1 जिस भाषा में संविदा दस्तावेज तैयार किए जाएंगे वह अंग्रेजी होगी और यदि उक्त दस्तावेज एक से अधिक भाषाओं में लिखे गए हैं, तो जिस भाषा के अनुसार संविदा का निर्माण और व्याख्या की जानी है, वह अंग्रेजी होगी।

6.2 संविदाकार को संविदा दस्तावेज की नि: शुल्क प्रमाणित सत्य प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

6.3 संविदाकार को प्रस्तुत संविदा दस्तावेजों की एक प्रति संविदाकार द्वारा साइट पर अच्छी स्थिति में रखी जाएगी और यह प्रभारी अभियंता, उनके प्रतिनिधियों या प्राधिकरण के अन्य निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और उपयोग के लिए सभी उचित समय पर उपलब्ध होगी।

6.4 इन दस्तावेजों में से कोई भी संविदाकार द्वारा इस संविदा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

7. त्रुटियों की विसंगतियां और समायोजन

7.1 मात्रा और कीमतों की अनुसूची, विनिर्देशों के बीच विसंगति के मामले में, वरीयता के निम्नलिखित क्रम का पालन किया जाएगा:-

(क) मात्रा और कीमतों की अनुसूची में विवरण।

(ख) प्रासंगिक विनिर्देश और विशेष शर्तें, यदि कोई हो।

7.2 संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा उसे दिए गए चित्रों, विनिर्देशों और अन्य प्रासंगिक जानकारी का अध्ययन और तुलना करेगा और किसी भी विसंगति और असंगति को लिखित रूप में प्रभारी अभियंता को रिपोर्ट करेगा। चित्र और विनिर्देशों के सही इरादे और अर्थ के बारे में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.3 मात्राओं और मूल्यों की अनुसूची में वर्णन, मात्रा या कीमत में कोई त्रुटि या उसमें से कोई चूक संविदा को समाप्त नहीं करेगी या संविदाकार को विनिर्देशों के अनुसार या संविदा के अंतर्गत उसके किसी दायित्व से उसमें शामिल कार्य (कार्यों) के संपूर्ण या किसी खंड के निष्पादन से मुक्त नहीं करेगी।

7.4 यदि जांच करने पर मात्रा और मूल्यों की अनुसूची में संविदाकार द्वारा परिकलित राशि में अंतर है और सामान्य सारांश में इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा:

(क) आंकड़ों और शब्दों में लिखी गई दरों में त्रुटि/विसंगति होने की स्थिति में, संविदाकार द्वारा परिकलित राशि के साथ मेल खाने वाली दर, जब तक कि अन्यथा साबित न हो, सही मानी जाएगी। यदि संविदाकार द्वारा किसी मद की मात्रा का आकलन नहीं किया जाता है या वह आंकड़ों या शब्दों में लिखी गई दर के अनुरूप नहीं है, तो संविदाकार द्वारा शब्दों में उद्धृत दर को सही माना जाएगा। जब संविदाकार द्वारा आंकड़ों और शब्दों में उद्धृत दर मेल खाती है, लेकिन राशि सही ढंग से नहीं निकाली जाती है, तो संविदाकार द्वारा उद्धृत दर, जब तक या अन्यथा साबित न हो, सही मानी जाएगी।

(ख) राशि कॉलम में योग करने और योग को आगे ले जाने में सभी त्रुटियों को ठीक किया जाएगा।

(ग) मात्राओं और संशोधित मूल्य की अनुसूची के विभिन्न वर्गों के योग को सामान्य सारांश में ले जाया जाएगा और तदनुसार संशोधित की गई निविदा राशि को संशोधित किया जाएगा। निविदा के प्रयोजन के लिए इस प्रकार परिवतत की गई निविदा राशि को मूल रूप से प्रस्तुत की गई राशि के स्थान पर रखा जाएगा और प्रस्तुतकर्ता द्वारा उद्धृत मूल राशि के स्थान पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा। मात्राओं के किसी पूर्णांकन को या मात्राओं और मूल्यों की अनुसूची के अनुभागों में या सामान्य सारांश में प्रस्तुतकर्ता द्वारा अनदेखा किया जाएगा।

8. प्रभारी अभियंता के कर्तव्य और शक्तियां

8.1 प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधि के कर्तव्यों को इच्छित कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में तकनीकी जनशक्ति की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किए गए कार्यों को देखना और पर्यवेक्षण करना है।

8.2 प्रभारी अभियंता, समय-समय पर प्रभारी अभियंता में निहित शक्तियों और प्राधिकारियों में से किसी को भी लिखित रूप में अपने प्रतिनिधि को प्रत्यायोजित कर सकता है और संविदाकार को शक्तियों और प्राधिकारियों के ऐसे सभी लिखित प्रत्यायोजन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधि द्वारा संविदाकार को ऐसे प्रत्यायोजन की शर्तों के भीतर दिया गया कोई लिखित अनुदेश या लिखित अनुमोदन संविदाकार और प्राधिकरण को बाध्य करेगा जैसे कि यह प्रभारी अभियंता द्वारा दिया गया हो।

8.3 किसी भी काम या सामग्री को अस्वीकार करने के लिए प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधि की विफलता इस तरह के काम को अस्वीकार करने के लिए प्रभारी अभियंता की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी। संविदाकार अपने स्वयं के खर्च पर, फिर से ऐसे कार्यों को करेगा जैसाकि प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया है।

8.4 यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधि के किसी निर्णय से असंतुष्ट है तो वह मामले को प्रभारी अभियंता को भेजने का पात्र होगा जो इस प्रकार ऐसे निर्णय की पुष्टि, प्रतिवर्तन या परिवर्तन करेगा और इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

9. समनुदेशन और सब-लेटिंग

9.1 संविदाकार संविदा के तहत काम के पूरे या किसी भी हिस्से को उप-किराए, स्थानांतरित या समनुदेशन नहीं करेगा। बशर्ते कि प्रभारी अभियंता अपने विवेक से, संविदाकार को कार्य के किसी भी हिस्से को उप-किराए पर देने के लिए अनुमोदित और प्राधिकृत कर सकता है, जो उसकी राय में, पर्याप्त नहीं है, संविदाकार द्वारा लिखित रूप में उसे प्रस्तुत करने के बाद कार्य(ओं) या व्यापार के हिस्से का विवरण सबलेट किया जाना प्रस्तावित है, उसके उप-संविदाकार का नाम उक्त कार्य/व्यापार में उसके पिछले अनुभव और प्रस्तावित उप-संविदा का प्ररूप है। फिर भी, प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन या प्राधिकार संविदाकार को संविदा के अंतर्गत उसकी किसी अथवा सभी दायित्वों, दायित्वों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। संविदाकार, उप-संविदाकार, उसके कर्मचारियों और एजेंटों या संविदाकार द्वारा सीधे नियोजित व्यक्तियों के सभी कृत्यों और चूक के लिए प्राधिकरण के प्रति भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। तथापि, पीस रेट कार्यों के नियोजन को उप-किराएदारी के रूप में नहीं माना जाएगा।

10. अन्य संविदादारों को सुविधाएं

10.1 संविदाकार, प्रभारी अभियंता द्वारा यथा निर्णीत कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार, पृथक ठेकों पर समसामयिक रूप से लगे अन्य संविदादारों को और प्राधिकरण या किसी सांविधिक निकाय द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के विभागीय श्रम के लिए, जिसे उस संविदा में शामिल न किया गया हो, जिसे प्राधिकरण द्वारा या अनुषंगी के संबंध में किया जाए, किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा जो उस संविदा में शामिल न किए गए हों जो प्राधिकरण द्वारा या अनुषंगी के संबंध में किया जाए काम करने के लिए। हितों के टकराव के सभी मामलों में, प्रभारी अभियंता निर्देश देगा कि क्या समझौता किया जाना चाहिए और उसका निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

11. फर्म के संविधान में परिवर्तन की सूचना दी जाएगी

11.1 जहां संविदाकार एक साझेदारी फर्म है, फर्म के गठन में कोई भी बदलाव किए जाने से पहले प्रभारी अभियंता की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जहां संविदाकार एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय संस्था है, इस तरह के अनुमोदन, पूर्वोक्त के रूप में, संविदाकार

द्वारा किसी भी साझेदारी समझौता करने से पहले प्राप्त किया जाएगा, जहां साझेदारी फर्म के तहत संविदाकार द्वारा किए गए कार्यों को करने का अधिकार होगा। यदि पूर्वोक्त के रूप में पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो संविदाकार को खंड 31 के उल्लंघन में सौंपा गया माना जाएगा और वही कार्रवाई की जाएगी और वही परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे जो उक्त खंड-31 में प्रदान किए गए हैं।

12. काम की शुरुआत

12.1 संविदाकार संविदा करार जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित स्थलों पर कार्य शुरू करेगा और जनशक्ति की आपूर्ति करेगा। यदि संविदाकार पूर्वोक्त के अनुसार संसाधन जुटाने में चूक करता है, तो प्रभारी अभियंता किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा रद्द करने और बयाना धन/प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. विनिर्देशन और आदेशों आदि के अनुसार किए जाने वाले कार्य।

13.1 संविदाकार संविदा दस्तावेज में निर्धारित विनिर्देशों के सख्त अनुरूप तरीके से या संविदा की शर्तों के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले तरीके से सबसे महत्वपूर्ण और कामगार की तरह काम के पूरे और हर हिस्से को निष्पादित करेगा। संविदाकार भी कार्य के संबंध में लिखित रूप में विनिर्देशों और निर्देशों के बिल्कुल अनुरूप, पूरी तरह से और ईमानदारी से, प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा, जैसाकि समय-समय पर जारी किया जा सकता है।

13.2 संविदाकार, संविदा के प्रावधानों के अनुसार, संविदा दस्तावेजों के अलावा, मांग पर, संविदा के प्रावधानों के अनुसार, संविदा के प्रारंभ होने पर या संविदा के निष्पादन के दौरान काम के संबंध में यहां निर्धारित दस्तावेजों को प्राप्त करने का पात्र होगा:

(क) समय-समय पर विनिर्देश या संशोधन

(ख) स्पष्टीकरण, निर्देश आदि।

इस तरह के भावी स्पष्टीकरण, संशोधन और अनुदेश, जैसाकि प्रभारी अभियंता समय-समय पर संविदाकार को कार्य के संबंध में जारी कर सकते हैं, संविदा का अभिन्न अंग माना जाएगा और संविदाकार तदनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

13.3 कार्य के संबंध में सभी निर्देश और आदेश प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए जाएंगे। हालांकि, किसी भी मौखिक निर्देश या आदेश की पुष्टि प्रभारी अभियंता द्वारा समय की हानि के बिना जितनी जल्दी हो सके की जाएगी और केवल ऐसे लिखित निर्देश को वैध माना जाएगा।

14. कार्यों की स्थापना

14.1 संविदाकार सभी सहायता प्रदान करेगा और संविदा के दौरान ईआईसी के निर्देशों का पालन करेगा।

15. तत्काल काम

15.1 यदि कोई अत्यावश्यक कार्य (जिसके संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा) आवश्यक हो जाता है, तो संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार ही निष्पादित करेगा, बशर्ते कि निर्देश खंड-8 में प्रावधानों के अनुसार और पुष्टिकरण के अनुरूप हों।

16. विचलन, विविधताएं और विस्तार

16.1 प्रभारी अभियंता को (i) मूल विनिर्देशों और अनुदेशों में परिवर्तन करने, उनमें कमी करने, उनमें वृद्धि करने या उन्हें प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी, जो कार्य की प्रगति के दौरान उसे आवश्यक या उचित प्रतीत हो, और (ii) किसी भी कारण से कार्य के किसी खंड को छोड़ देने की शक्ति होगी और संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में उसे दिए गए किसी भी अनुदेश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे परिवर्तन, कमी, वृद्धि या प्रतिस्थापन संविदा का खंड बनेंगे, जैसे कि मूल रूप से उसमें प्रावधान किया गया हो और कोई भी परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य, जिसे संविदाकार को कार्य के खंड के रूप में ऊपर

निर्दिष्ट तरीके से करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, संविदाकार द्वारा सभी मामलों में उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर उसने मुख्य कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सिवाय इसके कि जैसाकि इसके बाद प्रावधान किया गया हो।

17. संविदाकार का पर्यवेक्षण

17.1 संविदाकार या तो स्वयं कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगा या अपने स्वयं के खर्च पर, एक योग्य और अनुभवी अभियंता को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित अपने मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में नियुक्त करेगा, यदि संविदाकार के पास निर्देश प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त ज्ञान या अनुभव नहीं है या कार्यों पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकता है। संविदाकार या उसका एजेंट साइट(ओं) पर मौजूद होगा और प्रत्येक व्यापार में इस तरह की अतिरिक्त सहायता के साथ कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगा, जैसाकि शामिल कार्य की आवश्यकता होगी और प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार के एजेंट को दिए गए निर्देशों/अनुदेशों पर वही बल माना जाएगा जैसे कि ये स्वयं संविदाकार को दिए गए हों।

17.2 यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए निदेशानुसार उपयुक्त एजेंट नियुक्त करने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता को उस दिनांक तक कार्यों के निष्पादन को निलंबित करने की पूर्ण शक्तियां होंगी जब तक कि संविदाकार द्वारा उपयुक्त एजेंट नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और कार्य के पर्यवेक्षण का प्रभार नहीं ले लेता। ऐसे किसी निलंबन के लिए संविदाकार को कार्य में हुए विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

18. निर्देश और सूचना

18.1 इस संविदा में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और इसकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां प्रभारी अभियंता या किसी अधिकारी द्वारा तत्समय प्रभारी अभियंता के कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों को सौंपे जाने के लिए दी जा सकती हैं या की जा सकती हैं।

18.2 संविदा के तहत सभी निर्देश, नोटिस और संचार आदि लिखित रूप में दिए जाएंगे और दिए गए ऐसे किसी भी मौखिक आदेश/निर्देशों की लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी और ऐसा कोई भी संचार जो लिखित में नहीं दिया गया है या पुष्टि नहीं की गई है, मान्य नहीं होगा।

18.3 सभी अनुदेशों, नोटिस और संचार को विधिवत दिया गया माना जाएगा या संविदाकार को भेजा गया है, यदि संविदाकार, उसके अधिकृत एजेंट को दिया जाता है, या संविदाकार या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा दिए गए पते पर छोड़ दिया जाता है, या संविदाकार या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा दिए गए पते पर पोस्ट किया जाता है या संविदाकार या उसके एजेंट के निवास या व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान पर डाक द्वारा सेवा की जाती है, तो उस दिनांक को सेवा दी गई मानी जाएगी जब पोस्ट के सामान्य प्रक्रिया को उसे और अन्य मामलों में उस दिन दिया गया होगा जिस दिन इसे वितरित किया गया था या छोड़ दिया गया था।

19. संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून

केवल नोएडा के न्यायालयों के पास मध्यस्थता पंचाट दाखिल करने और किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकार क्षेत्र होगा।

20. रात के दौरान या रविवार और छुट्टियों पर कार्य

20.1 संविदा में निहित विपरीत किसी भी प्रावधान के अधीन, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तथापि, जब जीवन, संपत्ति अथवा कार्यों की सुरक्षा के लिए कार्य अपरिहार्य अथवा आवश्यक हो तो संविदाकार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेगा और तदनुसार प्रभारी अभियंता को सूचित करेगा।

20.2 तथापि, प्रभारी अभियंता अपने विवेकानुसार संविदाकार को निदेश दे सकता है कि कार्य अवकाश, रविवार और/अथवा अतिरिक्त शिफ्टों में किया जाए ताकि संविदा के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

21. तकनीकी विशेषज्ञता

21.1 विक्रेता टीओआर में विस्तृत किसी भी/सभी उपकरण के लिए ओईएम का अधिकृत प्रतिनिधि होगा।

21. तकनीकी जनशक्ति

21.1 संविदाकार प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के लिए इच्छित कार्य के लिए आवश्यक संख्या में कार्मिक

(क) प्रदान करेगा। संविदाकार कार्यों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जिसने भारतीय श्रम कानून में निर्दिष्ट न्यूनतम आयु अठारह वर्ष पूरी नहीं की है।

(ख) **तैनात किए जाने वाले प्रत्येक कार्मिक के लिए न्यूनतम अर्हता और आवश्यक/वांछनीय अनुभव खंड VI: टीओआर में दिया गया है।**

(ग) यदि संविदाकार द्वारा स्थल के भीतर कार्य पर किसी विदेशी को नियोजित किया जाता है तो संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विदेशी के पास सिविल प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में जारी आवश्यक विशेष परमिट है और समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन भी करना चाहिए। ऐसे विदेशी की ओर से इस संबंध में किसी भी चूक की स्थिति में, संविदाकार को व्यक्तिगत रूप से चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आईडब्ल्यूएआई किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

(घ) संविदा रद्द की जा सकती है यदि संविदाकार स्वयं अथवा उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आईडब्ल्यूएआई के अंतर्गत श्रेणी-I पद धारण किया है और जिसने आईडब्ल्यूएआई अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर स्वीकार कर लिया है और संविदाकार के रूप में या सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में, या ऐसे संविदाकार के कर्मचारी के रूप में रोजगार प्राप्त किया है। यदि संविदाकार द्वारा उपर्युक्त खंड का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण संविदा समाप्त कर दिया जाता है तो आईडब्ल्यूएआई ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आईडब्ल्यूएआई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी समाप्ति के कारण आईडब्ल्यूएआई को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित की गई क्षति की वसूली करने का पात्र होगा।

21.2 संविदाकार, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उप-संविदाकार के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के संबंध में समय-समय पर संशोधित संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसमें उपबंधित सभी मामलों के संबंध में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा अथवा करवाएगा।

21.3 संविदाकार कार्यों के निष्पादन के संबंध में लागू किसी भी स्थानीय या अन्य सांविधिक प्राधिकरण के सभी अधिनियमों, कानूनों, किसी भी विनियमन या उपनियमों के प्रावधानों का भी पालन करेगा जैसे:

(i) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (संशोधित)

(ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (संशोधित)

(iii) संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, यथा-संशोधित।

(iv) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, यथा-संशोधित, संशोधन अधिनियम संख्या 65, 1976 द्वारा।

(v) नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938 (संशोधित)

(vi) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 (संशोधित)

(vii) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संशोधित)

(viii) बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और संशोधित अधिनियम संख्या 43, 1977 और संख्या 48, 1978 और उसके संशोधित अधिनियम।

(ix) व्यक्तिगत चोट (मुआवजा बीमा) अधिनियम 1963 और उसके किसी भी संशोधन और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियम। संविदाकार अपनी उद्धृत दरों में उपरोक्त सभी और वित्तीय देयताओं को ध्यान में रखेगा और इस बाबत उसे कुछ भी अतिरिक्त, देय, नहीं होगा।

सूची केवल सांकेतिक है; अन्यथा संविदाकार को सभी अधिनियमों/श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और कार्य का कर्मठतापूर्वक पालन करना चाहिए। संविदाकार किसी भी अधिनियम/श्रम कानून के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

21.4 संविदाकार समय-समय पर यथा-संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंध के अनुसार संविदा के निष्पादन के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में अपने अंशदान और राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि संविदाकार नियोजित श्रम के अपने खाते और देय अंशदान का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रभारी अभियंता अपने द्वारा किए गए आकलन के अनुसार अंशदान राशि चालू बिलों से वसूल करेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि को कर्मचारी राज्य बीमा के लिए देय वास्तविक अंशदान के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

21.5 प्रभारी अभियंता को संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम और नियमावली में यथा परिभाषित निरीक्षण अधिकारी द्वारा अथवा प्रधान नियोक्ता के रूप में अपनी हैसियत से स्वयं रिपोर्ट तैयार किए जाने पर कामगारों के लाभ के लिए संविदा की शर्तों को पूरा न करने के कारण कामगार (कामगारों) को हुई हानि की भरपाई करने के लिए अपेक्षित राशि में से संविदाकार को देय राशि में से कटौती करने की शक्ति होगी। पारिश्रमिक का भुगतान न करना अथवा कामगारों के पारिश्रमिक से की गई कटौतियों के कारण जो संविदा की शर्तों द्वारा न्यायोचित नहीं है अथवा उक्त अधिनियम और समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन न किया जाना है।

21.6 संविदाकार अपने उप-संविदादारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऊपर खंड-22.4 में निर्धारित विनियमन कानूनों, नियमों के तहत और पालन के लिए किए जाने वाले किसी भी भुगतान के खिलाफ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करेगा। खंड-224 में निर्धारित सभी अधिनियमों/कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने में संविदाकार की विफलता की स्थिति में या किसी चूक या उल्लंघन के कारण या उपर्युक्त उप-खंड 22.4 में उल्लिखित अधिनियमों/कानूनों/नियमों के किसी प्रावधान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से डिक्री या अवार्ड या आदेश प्राप्त होने की स्थिति में, संविदा के अधीन किसी अन्य अधिकार अथवा उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभारी अभियंता को संविदा के अधीन किसी अन्य अधिकार अथवा प्रतिकार के अधीन देय अन्य संदाय से अथवा संविदा अथवा संविदा के अधीन देय अन्य संदाय से ऐसी राशि अथवा राशियां काटने का अधिकार होगा ताकि वह संविदा के अधीन उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों/विधियों/नियमों/संहिताओं के उपबंधों को युक्तियुक्त समय के भीतर संतुष्ट कर सके।

21.7 यदि संविदाकार समय-समय पर संशोधित पूर्वोक्त संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है या इन विनियमों के प्रावधानों के तहत कोई प्रपत्र/रजिस्टर/पर्ची जमा करने में चूक करता है या ऐसी जानकारी देता है जो भौतिक रूप से गलत है, तो निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर जैसाकि खंड 22.4, संविदाकार किसी भी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण को प्रत्येक चूक, उल्लंघन करने या गलत जानकारी देने, भौतिक रूप से गलत विवरण भरने के लिए परिसमापन क्षति के रूप में प्रत्येक मामले में अधिकतम 50/- रुपये (केवल पचास रुपये) का भुगतान करेगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

21.8 संविदाकार अपने स्वयं के व्यय पर संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य संगत अधिनियमों और नियमों में संविदा श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए उपबंधित उपबंधों/नियमों अथवा स्वास्थ्य की सुरक्षा और कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कामगारों के लिए स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किन्हीं अन्य अनुदेशों का अनुपालन करेगा। यदि संविदाकार पूर्वोक्त व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता संविदाकार से इसकी लागत वसूलने का पात्र होगा।

21.9 संविदाकार अपने स्वयं के खर्च पर सुरक्षा के लिए या प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए नियोजित सभी कर्मियों के संबंध में व्यवस्था करेगा और इसके संबंध में सभी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि संविदाकार व्यवस्था करने और उपर्युक्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता ऐसा करने और संविदाकार से उसकी लागत वसूलने का पात्र होगा। लेकिन इससे संविदाकार अपनी जिम्मेदारी या अन्यथा से मुक्त नहीं होगा।

21.10 संविदाकार द्वारा सीधे या उसके उप-संविदाकार के माध्यम से नियोजित कार्य में या उसके बारे में किसी भी कामगार की किसी भी चोट, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में, संविदाकार समय-समय पर अन्य कानून और उसके तहत समय-समय पर लागू नियमों के तहत सभी दावों, क्षतियों और मुआवजे के खिलाफ प्राधिकरण को हर समय क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसी दुर्घटनाओं या चोट, अपंगता या कामगार की मृत्यु से उत्पन्न कार्यवाहियों द्वारा किसी भी सुचारू कार्रवाई की सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध और संविदाकार की सहमति से इस संबंध में किसी दावे पर समझौता करने या संयोजित करने के लिए भुगतान की जाने वाली सभी राशियों या राशियों के प्रति हानिरहित करेगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कामगार की किसी चोट, अपंगता या मृत्यु के लिए कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत किसी मुआवजे की वसूली के लिए संविदाकार के विरुद्ध कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया जाता है तो उक्त डिक्री, अधिनिर्णय या आदेशों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के साथ कोई अन्य संविदा उक्त राशि प्रभारी अभियंता द्वारा उस समय देय किसी राशि में से या जो संविदाकार को देय हो सकती है या उसकी प्रतिभूति जमा या संविदा के तहत पूर्ण या आंशिक रूप से उसकी बिक्री से काट ली जाएगी।

21.11 बशर्ते कि संविदाकार को इस खंड और श्रम विनियमों के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुपालन के कारण भुगतान/दावों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

21.12 संविदाकार अपने उप-संविदाकार, एजेंट या कर्मचारियों द्वारा ऐसे किसी भी आयात, बिक्री, उपहार, वस्तु विनिमय या निपटान की अनुमति देने या भुगतने के लिए किसी भी अल्कोहलिक शराब या दवाओं का आयात, बिक्री, दान, विनिमय या अन्यथा निपटान नहीं करेगा।

21.13 संविदाकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का हथियार या गोला-बारूद नहीं देगा, विनिमय नहीं करेगा या अन्यथा निपटान नहीं करेगा या पूर्वोक्त के अनुसार उसे भुगतने की अनुमति नहीं देगा।

21.14 संविदाकार कार्यों के निष्पादन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो अपने संबंधित व्यवसायों में कुशल और अनुभवी हों और प्रभारी अभियंता संविदाकार द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए नियोजित किसी भी व्यक्ति पर आपत्ति करने और उसे काम से हटाने के लिए संविदाकार से अपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो प्रभारी अभियंता की राय में दुर्व्यवहार करते हैं या अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में अक्षम या लापरवाह हैं।

संविदाकार तुरंत इस तरह की मांग का अनुपालन करेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रभारी अभियंता की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

22. अप्रत्याशित घटना

22.1 अप्रत्याशित घटना शब्द का अर्थ यहां दंगों (संविदाकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य), नागरिक हंगामा (बीमा योग्य नहीं), युद्ध (चाहे घोषित हो या नहीं), आक्रमण, विदेशी दुश्मनों का कार्य, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, सैन्य या हड़पने वाली शक्ति, विमान से क्षति, परमाणु विखंडन, भगवान के कार्य, जैसे भूकंप (रिक्टर स्केल पर 7 परिमाण से ऊपर), बिजली गिरना, अभूतपूर्व बाढ़, संविदाकार की लापरवाही के कारण आग नहीं लगना और अन्य ऐसे कारण जिन पर संविदाकार का कोई नियंत्रण नहीं है और प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संविदा के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित घटना द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में, इस तरह की अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पार्टी के सापेक्ष दायित्व को उस अवधि के लिए निलंबित माना जाएगा, जिसके दौरान इस तरह की अप्रत्याशित घटना रहती है, बशर्ते कि पार्टी यह अनुमति दे कि यह पूर्वोक्त के रूप में असमर्थ हो गया है, इस प्रकार कथित शुरुआत और समाप्ति के 15 दिनों के भीतर इस तरह के कारण के समर्थन में पूर्ण विवरण और संतोषजनक सबूत देते हुए सूचित करेगा।

22.2 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न होने वाले विलंब के लिए, बोलीदाता अप्रत्याशित घटना के कारणों के कारण विलंब की अवधि से अधिक अवधि के लिए पूर्णता की दिनांक में विस्तार का दावा नहीं करेगा और न तो प्राधिकरण और न ही बोलीदाता अतिरिक्त लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे बशर्ते कि यह पारस्परिक रूप से स्थापित हो कि अप्रत्याशित घटनाएं वास्तव में मौजूद थीं।

22.3 यदि बोली प्रस्तुत करते समय भी बोलीदाता के परिचालन के स्थानों में कोई अप्रत्याशित स्थिति मौजूद है, तो वह अपनी बोली में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और बताएगा कि क्या उन्हें उनके उद्धरणों में ध्यान में रखा गया है।

23. क्षति, दोष या खामियों के लिए दायित्व और उनके सुधार

23.1 यदि संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए कार्मिक किसी व्यक्ति को घायल करते हैं अथवा उस जलयान सहित आईडब्ल्यूएआई से संबंधित किसी मद को नष्ट अथवा क्षति पहुंचाते हैं जिस पर उन्हें संविदा की अवधि के दौरान तैनात किया गया है तो संविदाकार प्रभारी अभियंता से इस संबंध में लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर अपनी लागत पर उसकी भरपाई करेगा।

23.2 संविदाकार या उसके किसी कर्मचारी की दुर्घटना या लापरवाही से होने वाली सभी क्षति या प्राधिकरण से संबंधित किसी भी संपत्ति को संविदाकार या उसके किसी कर्मचारी द्वारा बर्बाद या दुरुपयोग किया जाता है, संविदाकार के बाबत होगा, जो हानि की भरपाई करेगा।

23.3 निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा राशि को प्राधिकरण के विवेकानुसार जब्त भी किया जा सकता है ताकि प्राधिकरण को हुई हानि की आंशिक रूप से भरपाई की जा सके।

24. संविदाकार की देयता और बीमा

24.1 समग्र रूप से कार्य (कार्यों) के प्रारंभ से पूरा होने तक, संविदाकार उसकी देखभाल के लिए और संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत द्वारा हानि या क्षति को रोकने के लिए सावधानी बरतने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।

24.2 संविदा का कोई भी पक्ष किसी भी हानि या क्षति के संबंध में दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो साइट पर किसी भी सामग्री या लेख पर कार्यों या उसके किसी भी हिस्से के लिए "अप्रत्याशित घटना" से उत्पन्न हो सकता है**,** लेकिन कार्यों में शामिल नहीं किया गया है या किया गया व्यक्ति या कुछ भी या किसी भी सामग्री या किसी भी पार्टी को प्रदान की जाती है बशर्ते कि इस तरह के हानि या क्षति का पूर्वाभास या टाला नहीं जा सकता था**,** विवेकपूर्ण व्यक्ति और दोनों में से कोई भी पक्ष अपने और कोई भी पक्ष अपने संबंधित लोगों और सामग्रियों के संबंध में हानि और क्षति को वहन करेगा। इस प्रकार**,** किसी भी पक्ष के दायित्व में तीसरे पक्ष के दावे/क्षतिपूत भी शामिल होंगे।

24.3 बशर्ते, हालांकि, एक घटना में जैसाकि उप-खंड-25.2 में उल्लिखित है, निम्नलिखित प्रावधानों का भी प्रभाव होगा:

(क) संविदाकार, जैसाकि प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जा सकता है, संविदा के प्रावधानों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार कार्यों को पूरा करने के साथ आगे बढ़ेगा, और

(ख) संविदाकार, जैसाकि प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जा सकता है, अपनी लागत पर, मरम्मत करेगा और हानि या क्षति की भरपाई करेगा, जैसाकि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में उसकी ओर से किसी भी विफलता के कारण हुआ है या हानि या क्षति को रोकने या इस तरह के हानि या क्षति की मात्रा को कम करने के लिए सावधानी नहीं बरती गई है, हानि या क्षति का अंतिम मूल्यांकन प्रभारी अभियंता द्वारा तय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

24.4 संविदाकार अनुबंध अवधि के दौरान सेवा के परिणामस्वरूप या उसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति की मृत्यु, चोट या क्षति के सभी हानि और दावों के खिलाफ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। साथ ही उसके संबंध में या उसके संबंध में सभी दावों, मांगों, कार्यवाही, क्षति, लागत, शुल्क और खर्चों के खिलाफ भी, और ऐसी देनदारियों में तीसरे पक्ष के दावे/मुआवजा शामिल होंगे।

24.5 कार्य का निष्पादन शुरू करने से पहले**,** संविदाकार**,** इस शर्त के अधीन अपने दायित्वों और

(क) जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से सीमित किए बिना**,** किसी भी क्षति**,** हानि या चोट के खिलाफ बीमा करेगा जो किसी भी संपत्ति को हो सकता है (प्राधिकरण को छोड़कर लेकिन प्राधिकरण भवन सहित संविदाकार को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किराए पर दिया गया है और जिसका कोई हिस्सा आंशिक रूप से उपयोग किया जाता है और जिसका कोई हिस्सा उसके द्वारा ज्वलनशील सामग्रियों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है) संविदा के बाहर ले जाने से उत्पन्न होने वाली देयता। इस प्रयोजन के लिए संविदाकार सभी लागतों का भुगतान करेगा और निम्नलिखित कवरेज के साथ अपने संविदा सार्वजनिक दायित्व की अवधि के दौरान बनाए रखेगा।

(i) शारीरिक चोट या मृत्यु के लिए सार्वजनिक देयता सीमा एक व्यक्ति के लिए 1,00,000 रुपये और प्रत्येक दुर्घटना के लिए 2,00,000 रुपये से कम नहीं होगी।

(ii) प्रत्येक दुर्घटना के लिए संपत्ति देयता सीमा **रुपये** 1,00,000/- से कम नहीं होगी।

(iii) संविदाकार समय-समय पर प्रभारी अभियंता को यह साबित करेगा कि उसने ऊपर उल्लिखित सभी बीमा पॉलिसियां ली है और संविदा की अवधि तक पॉलिसियों को जीवंत रखने के लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया है।

(ख) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके उप-संविदाकार (यदि कोई हो) द्वारा समान बीमा पॉलिसियाँ ली गई हैं और उसके संबंध में पर्याप्त बीमा सुरक्षा प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को होने वाले किसी भी दावे या हानि के लिए जिम्मेदार होगा। प्रभारी अभियंता द्वारा जब भी अपेक्षित हो, संविदाकार अपने उप-संविदाकारों (यदि कोई हो) के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक नीति या नीतियां और प्रीमियम रसीद तैयार करेगा या कराएगा।

(ग) यदि संविदाकार और/या उसका उप-संविदाकार (यदि कोई हो) ऊपर निर्दिष्ट बीमा या किसी अन्य बीमा को प्रभावी करने और लागू करने में विफल रहता है, जिसे उसे संविदा की शर्तों के तहत प्रभावी करने की आवश्यकता हो सकती है, तो और ऐसे किसी भी मामले में प्राधिकरण, ऐसे किसी भी बीमा को प्रभावी करने और लागू करने के लिए बाध्य हुए बिना और ऐसे प्रीमियम का भुगतान कर सकता है जो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर देय धनराशि या संविदाकार को देय धनराशि में से इस प्रकार भुगतान की गई राशि की कटौती की जाती है अथवा संविदाकार से देय ऋण के रूप में उसकी वसूली की जाती है।

25. परित्याग या कार्य-क्षेत्र में कमी के कारण संविदा का पूर्ण या आंशिक रूप से पुरोबंध

25.1 यदि निविदा स्वीकार किए जाने के बाद, प्राधिकरण किसी भी समय, किसी कारण से कार्यों के दायरे को छोड़ने या कम करने का निर्णय लेता है और इसलिए पूरे या किसी भी हिस्से को किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रभारी अभियंता (अनुसूची 'बी' में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ) संविदाकार को इस आशय की लिखित सूचना देगा और संविदाकार का किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा प्रतिकर या अन्यथा जो भी हो, किसी लाभ या लाभ के कारण जो उसने कार्यों के निष्पादन से पूर्ण रूप से प्राप्त किया हो सकता है, लेकिन जिसे वह पूरे या कार्यों के हिस्से के पूर्व बंद होने के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं कर सका।

26. मृत्यु पर संविदा की समाप्ति

26.1 यदि संविदाकार एक व्यक्ति या मालिकाना संस्था है और व्यक्ति या मालिक की मृत्यु हो जाती है, या यदि संविदाकार एक साझेदारी है और भागीदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो, जब तक कि प्रभारी अभियंता संतुष्ट नहीं होता है कि व्यक्तिगत संविदाकार के कानूनी प्रतिनिधि या मालिकाना चिंता के मालिक और साझेदारी के मामले में, (ख) यदि कोई शेष भागीदार संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है, तो प्रभारी अभियंता संविदा को उसके अपूर्ण खंड के रूप में समाप्त करने का पात्र होगा, जबकि प्राधिकारी किसी भी प्रकार से संविदा की समाप्ति के कारण मृतक संविदाकार की संपत्ति और/अथवा संविदाकार की फर्म के जीवित भागीदारों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रभारी अभियंता का यह निर्णय कि मृतक संविदाकार के कानूनी प्रतिनिधि या संविदाकार की फर्म के जीवित भागीदार संविदा के तहत कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं और पूरा नहीं कर सकते हैं, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी समाप्ति की स्थिति में, प्राधिकरण मृतक संविदाकार और/या संविदाकार की फर्म के जीवित भागीदारों की संपत्ति को संविदा पूरा न करने के लिए हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। बशर्ते कि संविदा की ऐसी समाप्ति के प्रभारी अभियंता की

शक्ति किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो संविदा के तहत उसे अर्जित होगी।

27. संविदाकार के जोखिम और लागत पर आंशिक कार्य करना

27.1 यदि संविदाकार

(i) किसी भी समय काम के दौरान चूक करता है या काम के किसी भी हिस्से को निष्पादित नहीं करता है और प्रभारी अभियंता से इस संबंध में 7 दिनों के लिखित नोटिस के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है; अथवा

(ii) संविदा के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में चूक करता है और इसका समाधान नहीं करता है या प्रभारी अभियंता द्वारा उस ओर से लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी 7 दिनों के भीतर इसका समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाता है; अथवा

(iii) कार्य(ओं) या कार्य की मदों को पूरा करने की अलग-अलग तारीखों के साथ, इस प्रकार निर्धारित तिथि (तिथियों) पर या उससे पहले, पूरा करने में विफल रहता है, और प्रभारी अभियंता द्वारा उस संबंध में लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा नहीं करता है।

27.2 प्रभारी अभियंता, खंड 37 के अधीन कार्रवाई किए बिना, संविदाकार के विरुद्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके बाद आईडब्ल्यूएआई को या उपार्जित हुआ है या उसके बाद उपार्जित हुआ है, लिखित में नोटिस द्वारा किसी मद(मदों) का आंशिक कार्य/खंड अधूरा कार्य अपने हाथ से लेने के लिए कर सकता है और उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी

(क) संविदाकार के जोखिम और लागत पर किसी भी माध्यम से किसी भी मद(ओं) के आंशिक कार्य/खंड अधूरे कार्य को पूरा करें।

27.3 प्रभारी अभियंता यह निर्धारित करेगा कि राशि, यदि कोई हो, संविदाकार के हाथ से ली गई किसी मद(मदों) के आंशिक कार्य/आंशिक अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए वसूल की जा सकती है और संविदाकार के जोखिम और लागत पर निष्पादित की जाएगी, तो इस खंड के तहत कार्रवाई के कारण आईडब्ल्यूएआई को हुई हानि या क्षति के कारण संविदाकार का दायित्व कार्य के निविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगा।

27.4 राशि का निर्धारण करने में, संविदाकार को क्रेडिट उसी संख्या में और उसी दर पर सभी प्रकार से किए गए कार्य के मूल्य के साथ दिया जाएगा जैसे कि यह मूल संविदाकार द्वारा उसकी संविदा की शर्तों के तहत किया गया था। किए गए कार्य के मूल्य के बारे में प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र संविदाकार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा बशर्ते कि इस खंड के तहत कार्रवाई संविदाकार को लिखित में नोटिस देने के बाद ही की जाएगी। बशर्ते कि यदि आईडब्ल्यूएआई द्वारा किया गया खर्च संविदाकार को उसकी करार दरों पर देय राशि से कम है, तो अंतर संविदाकार को देय नहीं होगा।

27.5 किसी मद (मदों) के आंशिक कार्य/आंशिक अधूरे कार्य को पूरा करने में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया या किया जाने वाला कोई अतिरिक्त व्यय या ऐसी ऋण की अनुमति देने के बाद आईडब्ल्यूएआई को पूर्वोक्त रूप से हुई क्षति या वहन की गई क्षति की अधिक हानि कानून में आईडब्ल्यूएआई को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या करार के अनुसार संविदाकार को किसी खाते पर देय किसी धनराशि से वसूल

की जाएगी और यदि ऐसा राशि अपर्याप्त है**,** तो संपर्ककर्ता को लिखित रूप में बुलाया जाएगा और **30** दिनों के भीतर इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6 यदि संविदाकार **30** दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर अपेक्षित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है**,** तो प्रभारी अभियंता को संविदा के प्रावधानों के अनुसार उसे वसूलने का अधिकार होगा।

27.7 प्रभारी अभियंता द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति में**,** संविदाकार के पास किसी भी सामग्री को खरीदने या खरीदने या कोई भी कार्य करने या किसी भी खाते पर या कार्य के निष्पादन या संविदा के निष्पादन की दृष्टि से उसके द्वारा बनाए गए किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा।

28. कार्य पूरा होने का समय और विस्तार

28.1 प्रभारी अभियंता संविदाकार को आवश्यक कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा ताकि संविदाकार सहमत कार्यक्रम के अनुसार कार्य के निष्पादन को शुरू करने और आगे बढ़ने में सक्षम हो सके।

28.2 यदि कार्य सौंपे जाने के बाद संविदाकार पूर्वोक्त कार्य के निष्पादन को शुरू करने में चूक करता है, तो आईडब्ल्यूएआई कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बयाना राशि और निष्पादन गारंटी को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

28.3 तथापि, यदि कार्य (कार्यों) के प्रारंभ होने में निम्नलिखित द्वारा विलंब किया जाता है:-

(i) धारा 23 के अनुसार अप्रत्याशित घटना, या

(ii) असामान्य रूप से ख़राब मौसम, या

(iii) आग से गंभीर हानि या क्षति, या

(iv) नागरिक हंगामा, कामगारों का स्थानीय हंगामा, हड़ताल या तालाबंदी, काम पर नियोजित किसी भी व्यापार को प्रभावित करना, या

(v) प्रभारी अभियंता द्वारा संविदा का खंड न बनने वाले कार्य को निष्पादित करने में लगाए गए अन्य संविदादारों अथवा व्यापारियों की ओर से विलंब, अथवा

(vi) दुकानों की अनुपलब्धता, जिसकी आपूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी है या

(vii) सरकार द्वारा आपूर्ति या आपूर्ति किए जाने वाले औजारों की अनुपलब्धता और संयंत्र की खराबी; या

(viii) कोई अन्य कारण, जो प्रभारी अभियंता के पूर्ण विवेक में संविदाकार के नियंत्रण से बाहर है।

फिर पूर्वोक्त ऐसी किसी भी घटना के होने के तुरंत बाद, संविदाकार तदनुसार प्रभारी अभियंता को सूचित करेगा, लेकिन संविदाकार फिर भी देरी को रोकने और/या अच्छा करने के लिए लगातार अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और वह सब करेगा जो इस संबंध में आवश्यक हो सकता है। संविदाकार समय के विस्तार के लिए ऊपर बताए अनुसार ऐसी किसी भी घटना के होने की दिनांक के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप में भी अनुरोध करेगा, जिसके लिए वह संविदा के तहत खुद को पात्र मान सकता है।

(उपरोक्त बिंदु (vi) के संबंध में स्पष्टीकरण, सर्वेक्षण लॉन्च संविदाकार को सौंप दिया जाएगा और अनुरक्षण और संचालन के लिए संविदा अवधि के दौरान आवश्यक किसी भी स्टोर या उपकरण की व्यवस्था करना संविदाकार की जिम्मेदारी है)।

28.4 समय के विस्तार के लिए अनुरोध, विचार के लिए पात्र होने के लिए, संविदाकार द्वारा अनुसूची 'बी' में दर्शाए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर देरी के कारण घटना के होने

के चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप में किया जाएगा। संविदाकार, यदि व्यवहार्य हो, ऐसे अनुरोध में उस अवधि का भी उल्लेख कर सकता है जिसके लिए विस्तार वांछित है।

28.5 ऐसे किसी मामले में, जो पूर्वोक्त किसी भी घटना के कारण उत्पन्न हुआ हो, और जिसे संविदाकार द्वारा लिखित रूप में लाया गया हो, अनुसूची ख में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी विलंब से कार्य की प्रकृति और विस्तार की अवधि के दौरान इसके निष्पादन की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए समय का उचित और युक्तियुक्त विस्तार दे सकता है।

28.6 इस तरह के विस्तार की सूचना प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को लिखित रूप में दी जाएगी। संविदाकार प्रदान किए गए किसी विस्तार के लिए किसी भी मुआवजे या ऊपरी प्रभारों का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

29. देरी के लिए लिक्विडेटेड हर्जाना

29.1 यदि संविदाकार 72 घंटे से अधिक समय तक अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति करने में असफल रहता है तो वह ऐसी चूक के कारण प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकार अथवा संव्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति न किए जाने की अवधि के लिए संविदाकार को देय राशि के दुगुने की दर से मुआवजे (जुर्माने के रूप में नहीं) का भुगतान करेगा जिसकी वह आपूर्ति करने में असफल रहा है अथवा तकनीकी जनशक्ति अनुपस्थित रही है और आपूर्ति न होने या जनशक्ति की अनुपस्थिति के ऐसे तीन से अधिक अवसरों की स्थिति में या आपूर्ति की जाने वाली अपेक्षित जनशक्ति के 10% से अधिक की या तो आपूर्ति नहीं की जाती है या अनुपस्थित रहती है, तो भुगतान किया जाने वाला मुआवजा 1.5% प्रति सप्ताह की दर से होगा। विलंब की दर से गणना की जाएगी जिसकी गणना संविदा के कुल मूल्य पर प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी जो कुल संविदा मूल्य का अधिकतम 10% होगी।

29.2 परिनिर्धारित क्षति की राशि को इस अथवा प्राधिकरण के साथ किसी अन्य संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय किसी राशि के विरुद्ध समायोजित अथवा सेट-ऑफ किया जा सकता है।

29.3 किसी भी शर्त के तहत मुआवजे के माध्यम से देय सभी राशि को वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना उचित मुआवजे के रूप में माना जाएगा जो निरंतर होगा।

29.4 इस तरह के हानि का भुगतान संविदाकार को काम पूरा करने के लिए अपने दायित्व या संविदा के तहत अपने किसी अन्य दायित्व या देनदारियों से राहत नहीं देगा।

30. जब संविदा निर्धारित किया जा सकता है

30.1 इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रभारी अभियंता, किसी भी देरी, हीन कारीगरी, हानि के लिए किसी भी दावे और/या इस संविदा के किसी भी अन्य प्रावधानों के संबंध में संविदाकार के खिलाफ अपने किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और चाहे पूरा होने की दिनांक बीत चुकी है या नहीं, लिखित रूप में नोटिस द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में संविदा का पूरी तरह से निर्धारण कर सकता है:

(i) यदि संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्माण करने या बदलने के लिए लिखित रूप में नोटिस दिया गया है या यह कि कार्य अक्षम या अन्यथा अनुचित या गैर-कामगार तरीके से किया जा रहा है, तो उसके बाद सात दिनों की अवधि के लिए इस तरह के नोटिस की आवश्यकता का अनुपालन करने का लोप करेगा।

(ii) यदि संविदाकार ने बिना किसी उचित कारण के कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है या उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है ताकि अभियंता की राय में वह पूरा होने की दिनांक तक काम पूरा करने में असमर्थ हो और अभियंता से सात दिनों के लिखित नोटिस के बाद भी ऐसा करना जारी रखे।

(iii) यदि संविदाकार निर्धारित तिथि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है या पूरा होने की व्यक्तिगत दिनांक के साथ काम की मदें, यदि कोई निर्धारित है, तो पूरा होने की ऐसी दिनांक (तारीखों) पर या उससे पहले और प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा नहीं करता है।

(iv) यदि संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार उपेक्षा करता है और/अथवा संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने में चूक करता है और प्रभारी अभियंता द्वारा उसे लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर इसका समाधान नहीं करता है अथवा प्रभावी कदम नहीं उठाता है।

(v) यदि संविदाकार अनुबंध प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने के लिए या करने के लिए या करने के लिए मना करने के लिए प्रलोभन या इनाम के रूप में आईडब्ल्यूएआई सेवा में किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई उपहार या विचार देने या देने के लिए सहमत हो।

(vi) यदि संविदाकार गलत निविदा या प्रतिस्पर्धी निविदा के अन्य गैर-प्रमानिक तरीकों के परिणामस्वरूप आईडब्ल्यूएआई के साथ संविदा प्राप्त करेगा या अखंडता समझौते का उल्लंघन करता है।

(vii) यदि संविदाकार एक व्यक्ति है, या यदि एक फर्म है, तो उसका कोई भी भागीदार किसी भी समय दिवालिया हो जाएगा या उसके खिलाफ बनाई गई उसकी संपत्ति के प्रशासन के लिए एक प्राप्त आदेश होगा या परिसमापन या संरचना के लिए कोई कार्यवाही करेगा (समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से स्वैच्छिक परिसमापन के अलावा) किसी भी दिवालियापन अधिनियम के तहत समय के लिए लागू है या उसके प्रभावों का कोई हस्तांतरण या समनुदेशन करता है या अपने लेनदारों के लाभ के लिए संरचना या व्यवस्था या ऐसा करने का अभिप्राय, या यदि किसी भी दिवालिया अधिनियम के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो उसकी संपत्ति के जब्ती के लिए लागू किया जाता है या यदि उसके लेनदारों के लाभ के लिए उसके द्वारा एक ट्रस्ट डीड निष्पादित की जाती है।

(viii) यदि संविदाकार एक कंपनी होने के नाते एक संकल्प पारित करेगा या न्यायलय आदेश देगी कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा या यदि लेनदार की ओर से एक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा या यदि परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो न्यायलय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने का अधिकार देती हैं या जो न्यायलय को समापन आदेश देने का अधिकार देती हैं।

(ix) यदि संविदाकार को अपने माल पर लगाए जा रहे निष्पादन का सामना करना पड़ेगा और इसे 21 दिनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

(x) यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना समनुदेशित, स्थानांतरण, सबलेट (पीस-वर्क आधार पर श्रम नियुक्त कार्य करने या सामग्री के साथ श्रम नियुक्त करने को काम में शामिल नहीं किया जाना है, तो उप-किराएदारी नहीं माना जाएगा) या अन्यथा भागों के साथ या स्थानांतरण, सबलेट या अन्यथा भागों को पूरे काम या उसके किसी भी हिस्से के साथ समनुदेशन करने का प्रयास करता है, ।

30.2 जब संविदाकार ने उपर्युक्त किसी भी मामले के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बना लिया है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आईडब्ल्यूएआई की ओर से प्रभारी अभियंता के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(i) पूर्वोक्त के रूप में संविदा का निर्धारण करने के लिए (जिसमें प्रभारी अभियंता के हाथ से संविदाकार को लिखित रूप में समाप्ति नोटिस निर्णायक साक्ष्य होगा) ऐसे निर्धारण के बाद अग्रिम राशि जमा**,** पहले ही वसूल की जा चुकी प्रतिभूति जमा राशि और संविदा के अंतर्गत निष्पादन गारंटी जब्त की जा सकती है और यह पूर्णत आईडब्ल्यूएआई के अधिकार क्षेत्र में होगी।

(ii) संविदाकार को नोटिस देने के बाद कि वह संविदाकार के काम को मापे और ऐसा पूरा, या शेष या उसका हिस्सा ले: जो उसके हाथ से निष्पादित नहीं किया जाएगा और काम पूरा करने के लिए किसी अन्य संविदाकार को दे देगा। जिस संविदाकार का संविदा उपरोक्तानुसार निर्धारित किया गया है, उसे शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) प्रभारी अभियंता द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाए जाने की स्थिति में, संविदाकार के पास किसी भी सामग्री को खरीदने या प्राप्त करने या कोई भी कार्य करने या कार्य के निष्पादन या संविदा के निष्पादन की दृष्टि से कोई अग्रिम करने के कारण उसके द्वारा किए गए किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा और यदि पूर्वोक्त किसी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है, तो संविदाकार इस संविदा के तहत उसके किसी भी काम के लिए या वास्तव में निष्पादित किसी भी राशि की वसूली या भुगतान करने का पात्र नहीं होगा जब तक कि प्रभारी अभियंता ने लिखित रूप में प्रमाणित नहीं किया है। ऐसे कार्य का निष्पादन और उसके संबंध में देय मूल्य और वह केवल इस प्रकार प्रमाणित मूल्य का भुगतान करने का पात्र होगा।

31. निरीक्षण

31.1 आवधिक निरीक्षण ईआईसी या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। संविदाकार प्रभारी अभियंता के साथ निरीक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकता है।

32. खाते पर भुगतान

32.1 बिल संविदाकार द्वारा त्रैमासिक (वित्त-2ए और वित्त 3) प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्रभारी अभियंता दैनिक उपस्थिति सूचना पत्रक/ई-उपस्थिति पत्रक के संदर्भ में बिलों का सत्यापन करवाने की व्यवस्था करेंगे।

ओ एंड एम (वित्त-2बी) के लिए-शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। (टीओआर देखें)

32.2 आईडब्ल्यूएआई को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए इसके शुल्क के लिए, सेवा प्रदाता को आईडब्ल्यूएआई को वास्तविक व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके संगठन (सीटीओ) को लागत के प्रतिशत के संदर्भ में निविदा के माध्यम से अनुमोदित दर पर जीएसटी को छोड़कर "सेवा प्रभार" का भुगतान किया जाएगा।

32.3 सेवा प्रदाता के संगठन की लागत को ऐसी राशि/आंकड़ा माना जाएगा जिसका हिसाब सेवा प्रदाता द्वारा किए गए सभी व्ययों (जिसमें आईडब्ल्यूएआई को पेशेवर सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित या उपयोग किए गए कर्मियों के पारिश्रमिक, वाहन, भत्ते, प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं) का योग करके गणना की जाती है।

32.4 सेवा प्रदाता प्रतिपूर्ति के लिए तीन प्रतियों में चालान/बिल प्रस्तुत करेगा और इस घोषणा/प्रमाण (ईसीएस प्रतिपूत) के साथ कि तैनात किए गए सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। सेवा प्रदाता को भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक थीं और सेवा प्रदाता द्वारा पसंद किए गए बिल के अनुसार उपस्थिति थी। आईडब्ल्यूएआई द्वारा भुगतान चालान प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर केवल कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक जनशक्ति द्वारा

ड्यूटी का पालन किया गया है। एक महीने में अनुपस्थिति के दिनों के लिए बिल/दावे से काटी गई राशि सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनुमोदित दर के अनुसार होगी।

चालान(चालानों) के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जिनमें वेतन/पारिश्रमिक, भत्ते, प्रतिपूर्ति आदि के भुगतान के संबंध में सेवा प्रदाता को कार्मिकों/कर्मचारियों द्वारा जारी रसीदों की प्रतियां, जीएसटी की कटौती और जमा करने के प्रमाण के संबंध में संबंधित सरकारी विभागों द्वारा जारी यथालागू पावती/रसीदें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज आदि शामिल होंगे।

टिप्पणी: ***सेवा प्रदाता आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान आईडब्ल्यूएआई से बिल की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अगले महीने की 5 दिनांक तक केवल ईसीएस के माध्यम से करेगा। इस संबंध में विवरण आईडब्ल्यूएआई को प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत मासिक चालान के साथ होगा। साथ ही, आईडब्ल्यूएआई से दावा किए गए सांविधिक प्रेषण को प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।***

33. कर, शुल्क और लेवी आदि।

33.1 पी.एफ., बीमा प्रीमियम आदि का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाना चाहिए और उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा किया जाना चाहिए। इस तरह के भुगतान का प्रमाण लगातार महीने के बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। जीएसटी के संबंध में बीओक्यू में अलग से उद्धृत किया जा सकता है।

34. स्रोत पर कर कटौती

34.1 आयकर अधिनियम/नियमों के अनुसार लागू दर पर टीडीएस संविदा के प्रति किए गए सभी भुगतानों/अग्रिमों में से काटा जाएगा।

35. अंतिम बिल का भुगतान

35.1 अंतिम बिल संविदाकार द्वारा काम पूरा होने की दिनांक से एक महीने के भीतर या प्रभारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाणपत्र की दिनांक से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में कोई और दावा नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। यदि संविदा की राशि 15 लाख रुपये तक है तो अंतिम बिल का भुगतान तीन महीने के भीतर और यदि कार्य का मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक है तो छह महीने के भीतर किया जाएगा। यदि किसी मद या कार्य की मदों के बारे में कोई विवाद होगा तो अविवादित मद या मदों का भुगतान केवल तीन महीने या छह महीने की उक्त अवधि के भीतर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। संविदाकार विवादित वस्तुओं की एक सूची उसकी अस्वीकृति से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके दावे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

36. भुगतान से अधिक और कम भुगतान

36.1 जब कभी प्राधिकरण को किसी धनराशि के संदाय के लिए कोई भी दावा संविदाकार के विरुद्ध इस संविदा में से या इसके अधीन उत्पन्न होता है तो उसे प्राधिकरण द्वारा उस समय देय राशि या उसके पश्चात् किसी भी समय इस संविदा के अधीन संविदाकार को देय हो सकती है और ऐसा न करने पर प्राधिकरण के साथ किसी अन्य संविदा के अधीन या संविदाकार को देय किसी अन्य राशि से कटौती की जा सकेगी। प्राधिकरण या उसकी प्रतिभूति जमा से, या मांग पर दावे का भुगतान करेगा।

36.2 प्राधिकरण का सभी सहायक वाउचरों, सार आदि सहित अंतिम बिल की भुगतान पश्चात लेखापरीक्षा और तकनीकी जांच करने का अधिकार सुरक्षित है। प्राधिकरण का आगे पता चलने पर किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को लागू करने का अधिकार सुरक्षित है- इस तथ्य के बावजूद कि अंतिम बिल की राशि को इस संविदा के धारा 40 के तहत नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष विवाद के

एक मद के रूप में पार्टियों में से एक द्वारा शामिल किया जा सकता है, इस संविदा के और इस तथ्य के बावजूद कि अंतिम बिल की राशि मध्यस्थता पंचाट के अधीन है।

36.3 यदि ऐसी लेखापरीक्षा और तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप संविदाकार द्वारा किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी अधिक भुगतान का पता चलता है या उसके द्वारा संविदा के तहत कथित रूप से किया गया है, तो इसे प्राधिकरण द्वारा संविदाकार से ऊपर निर्धारित सभी तरीकों में से किसी एक तरीके से वसूल किया जाएगा, और यदि कोई कम भुगतान पाया जाता है, तो इस राशि का भुगतान प्राधिकरण द्वारा संविदाकार को विधिवत किया जाएगा।

36.4 बशर्ते कि प्राधिकरण के साथ किसी अन्य संविदा के तहत संविदाकार को देय राशि के प्रति अधिक भुगतान को समायोजित करने का प्राधिकरण का पूर्वोक्त अधिकार अंतिम बिल के भुगतान की दिनांक से दो वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ेगा या यदि अंतिम बिल नकारात्मक बिल है, तो उस दिनांक से संविदाकार द्वारा नकारात्मक अंतिम बिल के तहत देय राशि संविदाकार को सूचित नहीं की जाती है।

36.5 संविदा के अंतर्गत संविदाकार को देय और संदेय धनराशि (उसे लौटाई जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि सहित) को प्रभारी अभियंता या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी दावे के विरुद्ध धारणाधिकार के माध्यम से रोका या रखा जा सकता है। प्रभारी अभियंता या प्राधिकरण द्वारा इस खंड के तहत इस तरह रोकी गई या रखी गई धनराशि को प्रभारी या प्राधिकारी द्वारा रोक दिया जाएगा या बनाए रखा जाएगा या जब तक कि उसी संविदा में उत्पन्न होने वाले उसके दावे को मध्यस्थ द्वारा पारस्परिक रूप से निपटाया या निर्धारित नहीं किया जाता है, यदि संविदा खंड 40 के तहत मध्यस्थता खंड द्वारा शासित होता है या इसके बाद सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और संविदाकार के पास इस खंड के तहत रोकी गई या रखी गई किसी भी राशि के संबंध में इस खाते या किसी अन्य आधार पर ब्याज या क्षति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

37. अंतिमता खंड

37.1 यह संविदा के एक अविभाज्य खंड के रूप में स्वीकार किया जाएगा कि संविदा विनिर्देशों, प्रक्रिया के तरीके और काम करने के संबंध में मामलों में, प्रभारी अभियंता का निर्णय जो लिखित रूप में दिया जाएगा, अंतिम और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।

38. मुआवजे के माध्यम से देय राशि को वास्तविक हानि के लिए वरीयता के बिना उचित माना जाएगा

38.1 इनमें से किसी भी शर्त के तहत प्राधिकरण को मुआवजे के माध्यम से देय सभी राशि को वास्तविक हानि या क्षति के संदर्भ के बिना उचित मुआवजे के रूप में माना जाएगा, चाहे क्षति को बनाए रखा गया हो या नहीं।

39. विवादों और मध्यस्थता का निपटारा

39.1 संविदा में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, विनिर्देशों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद यहां पहले उल्लेख किए गए हैं और किसी भी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या चीज के रूप में जो किसी भी तरह से उत्पन्न होते हैं या संविदा से संबंधित हैं, विनिर्देशों, अनुमानों, निर्देशों, आदेशों या इन शर्तों या अन्यथा कार्यों या निष्पादन या निष्पादन या विफलता से संबंधित कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न होने वाले या रद्द करने के बाद, समाप्ति, पूर्णता या परित्याग के बाद इसके बाद उल्लेख किया जाएगा:

(क) यदि संविदाकार किसी भी कार्य की मांग को संविदा की आवश्यकताओं से बाहर मानता है, या संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले या कार्य करने के संबंध में किसी भी मामले पर प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी रिकॉर्ड या निर्णय को अस्वीकार्य मानता है, तो वह प्रभारी अभियंता से निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर तुरंत प्रभारी अभियंता से लिखित रूप में करेगा। इसके बाद, मुख्य अभियंता संविदाकार के पत्र की प्राप्ति से एक महीने की अवधि के भीतर निर्णय के अपने लिखित निर्देश देगा। हालांकि, यह काम रुकने का कारण नहीं होगा।

(ख) यदि मुख्य अभियंता पूर्वोक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में अपने निर्देश या निर्णय देने में विफल रहता है या यदि संविदाकार मुख्य अभियंता के निर्देश या निर्णय से असंतुष्ट है**,** तो संविदाकार**,** मुख्य अभियंता के निर्णय की प्राप्ति के **15** दिनों के भीतर**,** अध्यक्ष**,** आईडब्ल्यूएआई को अपील कर सकता है जो संविदाकार को सुनवाई का अवसर देगा**,** यदि उत्तरार्द्ध ऐसा चाहता है**,** और उसकी अपील के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर देगा। अध्यक्ष**,** आईडब्ल्यूएआई संविदाकार की अपील की प्राप्ति के **30** दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा। यदि संविदाकार अभी भी अपने निर्णय से असंतुष्ट है**,** तो संविदाकार**,** निर्णय की प्राप्ति से **30** दिनों की अवधि के भीतर**,** परिशिष्ट **V** के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष**,** आईडब्ल्यूएआई को नोटिस देगा**,** ऐसा न करने पर उक्त निर्णय अंतिम रूप से बाध्यकारी और निर्णायक होगा और मध्यस्थ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित नहीं होगा।

39.2 सिवाय इसके कि जहां निर्णय ऊपर उप पैरा 40.1 के संदर्भ में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक हो गया है, विवादों या मतभेदों को अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

39.3 इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्ष से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर, ऐसे विवाद के समय कार्य का प्रभारी अभियंता संविदाकार को तीन व्यक्तियों का एक पैनल अधिमानत लेकिन आवश्यक रूप से भारतीय माध्यस्थम परिषद (आईसीए) द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे मध्यस्थों के अनुमोदित पैनल से नहीं भेजेगा और तत्पश्चात् संविदाकार ऐसे पैनल की प्राप्ति के पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को एक व्यक्ति का नाम सूचित करेगा ऐसे पैनल से और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तथापि, इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा उसे अग्रेषित पैनल में से किसी नाम के चयन की सूचना देने में विफल रहता है, तो पूर्वोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अध्यक्ष, बिना किसी देरी के पूर्वोक्त पैनल से एक व्यक्ति का चयन करेगा और उसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा।

39.4 मध्यस्थ जिसे मूल रूप से मामला स्थानांतरित किया जा रहा है या अपना कार्यालय खाली कर रहा है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष आईडब्ल्यूएआई एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का पात्र होगा जिस पर इसे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ दिया गया था।

39.5 मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ तय करेगा कि मध्यस्थ की फीस किस अनुपात में है, साथ ही मध्यस्थता कार्यवाही की लागत किसी भी पक्ष द्वारा वहन की जाएगी।

39.6 पार्टियों की सहमति से मध्यस्थ**,** समय-समय पर अपना पंचाट बनाने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

39.7 प्रश्न विवाद या संविदा के संबंध में अंतर में अस्तित्व की सूचना जब तक कि दोष देयता प्रमाणपत्र जारी करने के **30** दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा सेवा नहीं की जाती है**,** जिसमें विफल होने पर इस संविदा के तहत सभी अधिकारों और दावों को निरस्त कर दिया माना जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा।

39.8 इस संविदा के तहत काम मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और नियोक्ता द्वारा देय या भुगतान को इस तरह की कार्यवाही के कारण रोक दिया जाएगा, सिवाय उस सीमा के, जो विवाद में हो सकता है।

39.9 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 या किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के अनुसार किया जाएगा और लागू होने के लिए इसके तहत बनाए गए नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

मध्यस्थ के पास पार्टियों की सहमति से पंचाट को रेट करने के लिए अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, बशर्ते कि मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता के परिणामस्वरूप किसी भी अन्य अधिकारों और पार्टियों के दायित्वों में से किसी का भी निलंबन नहीं होगा।

मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नोएडा में होगा। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समझौते के दोनों पक्ष एतद्द्वारा मध्यस्थता के माध्यम को छोड़कर इस समझौते से उत्पन्न होने वाले अपने किसी भी विवाद को हल करने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम के साथ संविदा के मामले में निम्नलिखित मध्यस्थता खंड लागू होगा। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/पत्तन न्यासों के बीच परस्पर तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक संविदा (संविदाओं) के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में (रेलवे से संबंधित विवादों को छोड़कर) आयकर और उत्पाद शुल्क विभाग), इस तरह के विवाद या अंतर को एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लिया जाएगा जैसाकि डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 4 (1)/2013-डीपीई (जीएम)/एफटीएस-1835 दिनांक 22 मई 2018 में उल्लेख किया गया है।

39.10 **क्षेत्राधिकार और स्थान**

समझौते के पक्षकार एतद्द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 या किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन के साथ पठित मध्यस्थता कार्यवाही के लिए केवल मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लेने का वचन देते हैं और मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नोएडा/नई दिल्ली होगा और पार्टियों को मध्यस्थता के माध्यम से छोड़कर इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाने के लिए सिविल कोर्ट का सहारा नहीं लेना होगा।

40. दावा

40.1 संविदाकार किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए सभी दावों के विवरण देते हुए, प्रत्येक महीने में एक बार प्रभारी अभियंता को भेजेगा, जिसके लिए संविदाकार खुद को पात्र मान सकता है और

लिखित रूप में आदेशित सभी अतिरिक्त कार्य या अतिरिक्त कार्य और जो पिछले महीने के दौरान निष्पादित किया गया है।

40.2 किसी भी अतिरिक्त काम या खर्च के भुगतान के लिए कोई दावा नहीं माना जाएगा जिसे इस तरह के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। प्रभारी अभियंता किसी भी ऐसे कार्य या व्यय के लिए भुगतान पर विचार कर सकता है, जो संविदा की शर्तों के तहत स्वीकार्य हो।

40.3 कोई भी दावा जिसे लगातार दो महीनों के लिए लगातार दो मासिक विवरणों में अधिसूचित नहीं किया गया है, उसे निरस्त और समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।

41. ब्याज

41.1 संविदा के अंतर्गत अंतिम बिलों अथवा किसी अन्य भुगतान के एवज में संविदाकार को देय खाते पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

42. संविदाकार के कामगारों को हटाना

42.1 संविदाकार कार्यों के निष्पादन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो अपने संबंधित ट्रेडों में कुशल और अनुभवी हैं और प्रभारी अभियंता को आपत्ति करने की स्वतंत्रता होगी और संविदाकार को कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति (ओं) को कार्यों से हटाने की आवश्यकता होगी, जो प्रभारी अभियंता की राय में, अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में स्वयं कदाचार या अक्षम या लापरवाह है। संविदाकार तुरंत इस तरह की मांग का अनुपालन करेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रभारी अभियंता की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

43. पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा की समाप्ति

43.1 यदि संविदाकार

(i) संविदा के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने या उल्लंघन करने में चूक करता है और इसका समाधान नहीं करता है या इसे तुरंत सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है और किसी भी मामले में 10 दिनों के बाद लिखित रूप में नोटिस दिए जाने के बाद उसे प्रभारी अभियंता द्वारा उस संबंध में दिया जाता है; अथवा

(ii) संविदा के तहत समय या किसी भी विस्तारित समय के भीतर काम (ओं) या काम के किसी भी मद को पूरा करने में विफल रहता है और प्रभारी अभियंता द्वारा उस ओर से लिखित रूप में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम (ओं) या कार्यों के किसी भी मद को पूरा नहीं करता है; अथवा

(iii) समनुदेशन, स्थानांतरण, सबलेट (एक टुकड़ा-कार्य आधार पर श्रम नियुक्त करने या काम में शामिल नहीं की जा रही सामग्री के साथ या पूरे कार्यों या उसके किसी भी हिस्से को सौंपने, स्थानांतरित करने या सबलेट करने का प्रयास प्रभारी अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना श्रम को उप-किराएदारी नहीं माना जाएगा)। प्रभारी अभियंता के पास किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्वोक्त के रूप में पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा को समाप्त करने की शक्तियां होंगी, जो अर्जित होगी, जिसके रद्द करने का नोटिस प्रभारी अभियंता के हाथ में संविदाकार को लिखित रूप में निर्णायक साक्ष्य होगा।

(iv) आईडब्ल्यूएआई संविदाकार का एक महीने का लिखित नोटिस जारी करके समाप्ति से पहले किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे पुरोबंध के लिए कार्यक्षेत्र में कमी के लिए संविदाकार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि संविदाकार संविदा वापस लेना चाहता है अथवा समय से पहले बंद करना चाहता है तो उसे तीन महीने का नोटिस देना

होगा और ऐसा न करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। संविदाकार द्वारा संविदा को ऐसे समय में बंद किए जाने के कारण आईडब्ल्यूएआई को हुई किसी भी हानि अथवा क्षति की कटौती निष्पादन प्रतिभूति से और इस संविदा अथवा किसी अन्य संविदा से संविदाकार को देय किसी शेष राशि से की जाएगी।

43.2 **जोखिम और लागत**

(i) प्रभारी अभियंता, संविदा की ऐसी समाप्ति पर, अपूर्ण कार्य या उसके खंड को पूरा करने की शक्तियां प्राप्त करेंगे और यदि अधूरे कार्य या उसके खंड को पूरा करने और पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए या किए जाने वाले व्यय, जैसाकि प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किया गया है, संविदाकार को जमा किए गए कार्य के मूल्य से अधिक है, अंतर का भुगतान संविदाकार द्वारा प्राधिकरण को किया जाएगा। यदि संविदाकार प्रभारी अभियंता से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पूर्वोक्त के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रभारी अभियंता को इस या किसी अन्य संविदा के तहत किसी भी खाते पर या उसकी प्रतिभूति जमा राशि या अन्यथा संविदाकार को देय किसी भी राशि से ऐसी राशि वसूलने का अधिकार होगा।

(ii) उपर्युक्त शर्तों के निर्वचन प्रभाव या अनुप्रयोग अथवा उसके अधीन स्वामी द्वारा संविदाकार से वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में किसी भी विवाद या अंतर का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

44. जेवी की स्थिरता

यदि जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी कारण या विसंगतियों के कारण जॉइंट वैंचर/कंसोर्टियम कायम नहीं रहता है, तो जेवी/कंसोर्टियम की अस्थिरता का निर्धारण प्रभारी अभियंता/नियोक्ता द्वारा संविदा अवधि में निगरानी के दौरान डिलीवरी की विफलता/मील के पत्थर और अन्य डिलिवरेबल्स के लापता होने के आधार पर किया जाएगा। उसी को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:

क) यदि एल-1 के रूप में चयनित होने के बाद जेवी/कंसोर्टियम अरक्षणीय हो जाता है तो चूककर्ता जेवी/कंसोर्टियम की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर लेगा।

ख) यदि संविदा दिए जाने के बाद जॉइंट वैंचर/कंसोटयम अधारणीय हो जाता है तो नियोक्ता के पास चूककर्ता परामर्शदाता के जोखिम और लागत संबंधी शेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य परामर्शदाता को नामित करने का पूरा प्राधिकार है। सलाहकार को काम रोकने के निर्णय के नियोक्ता द्वारा सूचित किया जाएगा और नियोक्ता अब तक पूरे किए गए कार्य के मूल्य का पता लगाएगा। कोई भुगतान तत्काल जारी नहीं किया जाएगा, तथापि, जोखिम और लागत संबंधी संपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद, अंतर लागत की वसूली चूककर्ता परामर्शदाता की सभी रुकी हुई राशि (बीजी, प्रतिभूति जमा राशि, प्रतिभूति जमा और किए गए कार्य के लिए भुगतान न की गई राशि) से की जाएगी और यदि कोई शेष राशि अभी भी उपलब्ध है, तो उसे चूककर्ता परामर्शदाता को जारी कर दिया जाएगा।

खंड-VIII: परिशिष्ट

परिशिष्ट-I सत्यनिष्ठा समझौता

(प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है और बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है और इसे आईडब्ल्यूएआई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

यह सत्यनिष्ठा करार आज ..... दिनांक..... माह 20..... को निष्पादित

....., भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा के माध्यम से अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

आईडब्ल्यूएआई, (जिसे आगे 'नियोक्ता' कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत जब तक अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

और

.....

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता) के माध्यम से ..... (इसके बाद (विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) "बोलीदाता/संविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और यह अभिव्यक्ति, जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे)

के बीच हस्ताक्षरित

उद्देशिका:

जबकि नियोक्ता ने निविदा (निविदा संख्या: 4-IWAI-P-SUR(65)RIS(चरण-3)-2023-24) (इसके बाद "निविदा/बोली" के रूप में संदर्भित) जारी की है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, "के लिए संविदा देने का इरादा रखता है..... (समनुदेशन का नाम अंकित करें)"

और जबकि नियोक्ता देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और अपने बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ संबंधों में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबकि उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते (जिसे आगे सत्यनिष्ठा संधि या समझौता कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी पार्टियों के बीच निविदा/बोली दस्तावेजों और संविदा के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब, अतः इस समझौते में निहित पारस्परिक अनुबंधों पर विचार करते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं और यह समझौता निम्नानुसार प्रमाणित करता है:

<u>अनुच्छेद 1: प्रमुख/मालिक की प्रतिबद्धता</u>

1) नियोक्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(क) नियोक्ता का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, निविदा के संबंध में या संविदा के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भौतिक या

अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

(ख) नियोक्ता निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ न्यायोचित और उचित व्यवहार करेगा। नियोक्ता, विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता निविदा प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के संबंध में कोई लाभ प्राप्त कर सके।

(ग) नियोक्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा हो।

2) यदि नियोक्ता को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है या इसमें वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन है या इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो नियोक्ता मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

<u>अनुच्छेद 2: बोलीदाता/संविदाकार की प्रतिबद्धता</u>

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/संविदाकार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और निविदा प्रक्रिया के दौरान और बातचीत या संविदा प्रदान करने के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की सूचना आईडब्ल्यूएआई को दें, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है या पता चलता है।

2. बोलीदाता/संविदाकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और संविदा निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

(क) बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन में शामिल नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव, वादा या पेशकश नहीं करेंगे, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ताकि बदले में निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) बोलीदाता/संविदाकार अन्य बोलीदाताओं के साथ कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक अघोषित समझौता या संविदा नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक अनुबंधों, बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर-प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में गुटबाजी करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

(ग) बोलीदाता/संविदाकार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा बोलीदाता/संविदाकार अनुचित तरीके से (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) उपयोग नहीं करेंगे, या किसी अन्य को नहीं देंगे, जिसमें नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में योजनाओं, तकनीकी बोलियों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी शामिल है।

(घ) विदेशी मूल के बोलीदाता/संविदाकार भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/संविदाकार विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा

करेंगे, यदि कोई हो। विदेशी प्रमुख की ओर से भारतीय एजेंट या विदेशी प्रमुख सीधे निविदा में बोली लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, उसे उसी वस्तु के लिए बाद की/समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) बोलीदाता/संविदाकार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, संविदा प्रदान करने के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए गए या किए जाने वाले सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे।

3. बोलीदाता/संविदाकार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए नहीं उकसाएंगे या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं बनेंगे।

4. बोलीदाता/संविदाकार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त नहीं होंगे, जैसे कि जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छोड़ना या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, ताकि सार्वजनिक अधिकारी को उन पर भरोसा करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका उद्देश्य दूसरों के न्यायोचित हितों को हानि पहुंचाना या अनुचित लाभ प्राप्त करना और/या सरकार/नियोक्ता के हितों को हानि पहुंचाने के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करना हो।

5. बोलीदाता/संविदाकार सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से बलपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे (जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने, किसी कार्रवाई को मजबूर करने या धमकी, भय या बल के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय को प्रभावित करने का कार्य, जहां किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को संभावित या वास्तविक क्षति हो सकती है, ताकि निविदा प्रक्रिया में उनकी साझेदारी को प्रभावित किया जा सके)।

<u>अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम</u>

कानून या संविदा या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियोक्ता को उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) द्वारा इस सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) नियोक्ता के पूर्ण अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने को स्वीकार करते हैं और वचनबद्ध हैं:

1. यदि बोलीदाता/संविदाकार(कों) ने, संविदा देने से पहले या उसके निष्पादन के दौरान, उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में कोई उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या भरोसे पर प्रश्नचिह्न लगा हो, तो नियोक्ता के पास संविदाकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(रों) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या संविदा को समाप्त/निर्धारित करने या यदि पहले से ही निष्पादित हो चुका है या बोलीदाता/संविदाकार को भविष्य की संविदा पंचाट प्रक्रियाओं से बाहर करने का अधिकार होगा। बहिष्कार की अवधि और अवधि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर और नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या नियोक्ता द्वारा तय की गई सीमित अवधि के लिए हो सकता है।

2. **बयाना जमा राशि और निष्पादन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा की जब्ती:** यदि नियोक्ता ने संविदा सौंपने से पहले बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है या संविदा को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संविदा को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो नियोक्ता को प्राप्त हो सकता है, अपनी सुविचारित राय

में बोलीदाता(ओं)/संविदाकार(ओं) की बयाना राशि जमा, निष्पादन प्रतिभूति, काउंटर प्रतिभूति जमा की पूरी राशि जब्त कर सकता है।

3. **आपराधिक दायित्व:** यदि नियोक्ता को किसी बोलीदाता या संविदाकार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता या संविदाकार के सहयोगी के किसी ऐसे आचरण की जानकारी प्राप्त होती है जो आईपीसी/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि नियोक्ता को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो नियोक्ता आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद 4: पिछला अपराध

1) बोलीदाता यह घोषणा करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उनसे किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाला या भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।

2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देते हैं, तो उन्हें निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता/संविदाकार के व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने/छुट्टियों की सूची बनाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

3) यदि बोलीदाता/संविदाकार यह साबित कर सकें कि उन्होंने अपने द्वारा की गई क्षति की भरपाई कर ली है तथा उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर ली है, तो नियोक्ता अपने विवेक से बहिष्कार को समय से पूर्व ही रद्द कर सकता है।

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

1) बोलीदाता/संविदाकार अपने किसी भी उप-विक्रेता द्वारा इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2) नियोक्ता सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौते करेगा।

3) नियोक्ता उन बोलीदाताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा, जो नियोक्ता और बोलीदाताओं/ठेकेदारों के बीच विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते को निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं करते हैं या निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 6: समझौते की अवधि

यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होता है। यह संविदा के अंतर्गत काम पूरा होने के 18 महीने बाद समाप्त हो जाता है।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस समझौते की समाप्ति के बावजूद तब तक वैध बना रहेगा, जब तक कि नियोक्ता द्वारा उसे समाप्त/निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

अनुच्छेद 7: अन्य प्रावधान

1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र उस नियोक्ता के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।

2) परिवर्तन और अनुपूरक लिखित रूप में किए जाने चाहिए।कोई अतिरिक्त समझौता नहीं किया गया है।

3) यदि संविदाकार साझेदारी या कंसोटियम है, तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या सभी साझेदारों और कंसोटियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4) यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; तब भी इस संधि का शेष खंड वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

5) इस नियम और शर्त पर सहमति है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते/संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद और इस सत्यनिष्ठा संविदा/संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार नियोक्ता द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

<u>अनुच्छेद 8: कानूनी और पूर्व अधिकार</u>

इस समझौते के अंतर्गत पक्षों के सभी अधिकार और संव्यवहार संविदा और/या कानून के अंतर्गत ऐसे पक्षों से संबंधित सभी अन्य कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और उन्हें पूर्वोक्त कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प न मानकर संचयी माना जाएगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस अखंडता समझौते के अंतर्गत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में इस अखंडता समझौते को निविदा/संविदा दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित स्थान और दिनांक पर निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे निष्पादित किया है:

.....

(नियोक्ता के लिए एवं उसकी ओर से)

.....

(बोलीदाता/संविदाकार की ओर से)

साक्षी:

1. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2. .....

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान :.....

दिनांक :.....

परिशिष्ट-II: निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र का प्रारूप

सेवा में

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

ए-13, सेक्टर-1,

नोएडा (उत्तर प्रदेश),

पिन-201301

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ..... (इसके बाद **"नियोक्ता"** कहा जाएगा), मैसर्स ..... (इसके बाद **"संविदाकार"** कहा जाएगा) के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के विचार से, नियोक्ता द्वारा ".....(समनुदेशन का नाम अंकित करें)" के लिए जारी किए गए अवार्ड पत्र संख्या .....दिनांक के अनुवर्ती के रूप में, **संविदाकार** के अनुरोध पर, भारतीय रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन सुरक्षा के प्रस्तुत करने पर, हम, **(बैंक)** नियोक्ता को किसी भी चूक या नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को निष्पादित करने में संविदाकार की ओर से विफलता या उक्त संविदा के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ ..... (रुपये ---------- मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

1. हम, **(बैंक)** केवल नियोक्ता की मांग पर बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जिसमें कहा गया हो कि दावा की गई राशि नियोक्ता को हुई हानि या क्षति के कारण देय है या नियोक्ता को उक्त **संविदा** या उक्त समय सीमा में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या **संविदाकार** द्वारा उक्त संविदा को निष्पादित करने में विफलता के कारण हुई हो। बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के अंतर्गत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालाँकि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये..... (केवल रुपये.....) से अनधिक की राशि तक सीमित होगी।

2. हम **(बैंक)** किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में **संविदाकार** द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, नियोक्ता को मांगी गए किसी भी राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, इसके अंतर्गत देयता पूर्ण और स्पष्ट है। इस गारंटी के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान इसके अंतर्गत भुगतान के हमारे दायित्व का वैध निर्वहन होगा और ऐसे भुगतान करने के लिए **संविदाकार** का हमारे खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

3. हम **(बैंक**) इस बात पर भी सहमत हैं कि इस गारंटी में निहित गारंटी, संविदा की शर्तों और कार्य सौंपने के पत्र के अनुसार नियोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए परियोजना कार्य पूरा होने तक पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि उक्त संविदा के अंतर्गत या उसके आधार पर नियोक्ता के सभी बकाया की वसूली और उसके दावे की संतुष्टि नहीं हो जाती या यह संविदा के अनुसार कार्य पूरा होने की निर्धारित दिनांक तक लागू रहेगी। हम (बैंक) इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त संविदा की शर्तों और नियमों का उक्त संविदाकार द्वारा पूरी तरह और उचित तरीके से पालन किया गया है और तदनुसार उक्त संविदा की समाप्ति अवधि के 180 दिन बाद इस गारंटी को समाप्त कर देंगे, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा बैंक को लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले,

जिस स्थिति में यह बैंक के खिलाफ लागू होगी, भले ही इसे उक्त अवधि की समाप्ति के बाद या विस्तारित अवधि के बाद लागू किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

4. हम **(बैंक)** नियोक्ता के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि नियोक्ता को हमारी सहमति के बिना और किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किए बिना उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने या उक्त **संविदाकार** द्वारा समय-समय पर समय या निष्पादन बढ़ाने या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** के खिलाफ प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित किसी भी नियम और शर्तों को रोकने या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम उक्त **संविदाकार** को दिए गए किसी भी ऐसे परिवर्तन या विस्तार के कारण या नियोक्ता की ओर से किसी भी रोक, कार्य या चूक या नियोक्ता द्वारा उक्त **संविदाकार** को किसी भी तरह की छूट या किसी भी ऐसे मामले या बात के कारण हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो जमानत से संबंधित कानून के अंतर्गत, प्रावधान के बिना, हमें राहत देने का प्रभाव रखती है।

5. नियोक्ता के लिए बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले **संविदाकार** के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा और इसमें निहित गारंटी बैंक के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी, भले ही नियोक्ता ने **संविदाकार** से बैंक के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के समय कोई भी प्रतिभूति प्राप्त की हो या प्राप्त करता है, जो बकाया हो या वसूल न की गई हो।

6. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता भारतीय रुपये.....(केवल रुपये.....) तक सीमित है और यह नियोक्ता द्वारा विस्तारित दिनांक तक या अन्यथा लागू रहेगी। जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत विस्तारित दिनांक को या उससे पहले हमारे पास कोई दावा या मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और बैंक को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

7. यह गारंटी बैंक या **संविदाकार** के संविधान में परिवर्तन होने पर भी समाप्त हो जाएगी।

8. हम, **(बैंक)** अंत में यह वचन देते हैं कि नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

दिनांक ....., 2024

के लिए .....

(बैंक का नाम बताएं)

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम

.....

(बड़े अक्षरों में)

पद का नाम

कोड संख्या .....

बैंक और शाखा का नाम

(मुहर)

परिशिष्ट-III: अनुबंध प्रपत्र

(प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है और बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है और इसे आईडब्ल्यूएआई की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/सक्षम नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

..... (समनुदेशन का नाम अंकित करें)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

और

संविदाकार फर्म

के बीच

समझौता

यह करार आज दो हजार.....की .....दिनांक को किया गया जिसमें एक पक्ष के तौर पर ,भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश (इसके बाद इसे **"आईडब्ल्यूएआई"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) और दूसरे पक्ष के तौर पर मैसर्स .....जिसका कार्यालय .....में है (इसके बाद इसे **"संविदाकार"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत नियुक्त व्यक्ति और स्थानापन्न शामिल होंगे)।

जबकि आईडब्ल्यूएआई दिनांक .....के कार्य आदेश संख्या के अनुसार संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और संविदा की शर्तों के अनुसार ".....(समनुदेशन का नाम अंकित करें) **("कार्य")"** देने का इच्छुक है, जो इस समझौते का हिस्सा बनेंगे।

जबकि संविदाकार ने इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर **"कार्य"** करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इसलिए ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और इसके द्वारा पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है, घोषित किया जाता है:

1. इस संविदा में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संदर्भित संविदा दस्तावेजों में दिए गए हैं।

2. संविदाकार कार्य आदेश संख्या .....दिनांक .....के अनुसार **"कार्य"** करेगा, जो संविदा की शर्तों और इसके साथ संलग्न नियमों के अनुसार होगा, जो इस समझौते का हिस्सा होंगे।

3. निम्नलिखित दस्तावेजों को समझौते के खंड के रूप में माना, पढ़ा और समझा जाएगा, अर्थात:

(क) संविदा प्रपत्र
(ख) सत्यनिष्ठा समझौता
(ग) स्वीकृति-पत्र
(घ) संविदा की सामान्य और विशेष शर्तें
(ङ) मूल्य बोली की अनुसूची
(च) तकनीकी बोली
(छ) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र

(ज) बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

(झ) महत्वपूर्ण डिजाइन की समीक्षा

(ञ) सभी पत्राचार

एतद्द्वारा "संविदाकार" आईडब्ल्यूएआई के साथ संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रकार से "कार्यों" को पूरा करने और बनाए रखने का वचन देता है।

"आईडब्ल्यूएआई" इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, सभी मशीनरी, उपकरण, फिटिंग, स्टोर आदि के साथ चालू/परिचालन स्थिति में जलयान को किराए पर लेने का वचन देता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस करार को भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार ऊपर दर्शाए गए दिन, माह और वर्ष को निष्पादित किया है।

के लिए एवं की ओर से

(भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)

हस्ताक्षर _____

नाम एवं पदनाम_____

मुहर _____

साक्षी - 1

1) हस्ताक्षर_____

2) नाम एवं पदनाम_____

मुहर

साक्षी - 2

1) हस्ताक्षर_____

2) नाम एवं पदनाम_____

के लिए एवं की ओर से

(संविदाकार)

हस्ताक्षर_____

नाम एवं पदनाम_____

मुहर _____

साक्षी - 1

1) हस्ताक्षर_____

2) नाम एवं पदनाम_____

मुहर

साक्षी - 2

1) हस्ताक्षर_____

2) नाम एवं पदनाम_____

परिशिष्ट-IV: बैंक खाते का विवरण

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से भुगतान जारी करने के लिए

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

परियोजना का नाम:_____

हम _____(बोलीदाता का नाम) आपसे अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए खाता विवरण के अनुसार ई-भुगतान मोड द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करके हमारे भुगतान दें। हम नीचे दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईडब्ल्यूएआई को सूचित करने का वचन देते हैं और आईडब्ल्यूएआई के नियंत्रण से परे किसी भी तकनीकी कारणों से किसी भी देरी/चूक के लिए आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे:-

बैंक खाता संख्या : _____

आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससीकोड : _____

बैंक का नाम : _____

शाखा का पता : _____

बैंक का

शाखा कोड : _____

खाता प्रकार

(बचत/चालू/अन्य) : _____

इसके साथ एक खाली चेक (रद्द) संलग्न है।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि लेनदेन में देरी हो रही है या अधूरी या गलत जानकारी के कारणों से क्रेडिट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, तो मैं/हम आईडब्ल्यूएआई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम और पदनाम
के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

परिशिष्ट-V: बैंक द्वारा प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लाभार्थी का हमारी शाखा में बैंक खाता संख्या ..... है तथा उपर्युक्त बैंक विवरण सही है।

अधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक:

प्राधिकरण संख्या: _____

नाम: _____

आधिकारिक मुहर/स्टाम्प

परिशिष्ट-VI: निविदा दस्तावेज़ की स्वीकृति का पत्र

(बोलीदाता के लेटर-हेड पर प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में, **दिनांक:**

.... *(अधिकृत प्रतिनिधि का नाम अंकित करें)***,**
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण,
ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201 301,
जिला:- गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

विषय: निविदा की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ संख्या: ....

निविदा/कार्य का नाम:- ....*(कार्य का नाम अंकित करें)*

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए वेबसाइट (वेबसाइटों) अर्थात: www.iwai.nic.in या https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिया है,
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या ________ से _______ तक (परिशिष्ट (कों), अनुसूची(ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) संपूर्ण नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो संविदा समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
3. इस कार्य के लिए आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी की गई निविदा-पूर्व बैठक (यदि कोई हो) और/या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के कार्यवृत्त को भी इस स्वीकृति-पत्र को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम उपर्युक्त निविदा दस्तावेज/स्पष्टीकरणों के उत्तर/प्रश्नों (यदि कोई हो)/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की निविदा शर्तों को बिना शर्त समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं।
5. यदि इस निविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है**,** तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस निविदा/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा**,** जिसमें पूर्ण बयाना जमा की जब्ती भी शामिल है।

आपका विश्वासी

(बोलीदाता के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर सहित)

<u>वित्तीय बोली</u>

मात्रा का बिल				
क्र. सं.	पद	जनशक्ति, माह/व्यक्ति	जनशक्ति, माह दर/व्यक्ति	कुल राशि (**रुपये**)
I	प्रमुख कार्मिक			
क)	आरआईएस प्रबंधक	1		
ख)	आरआईएस ऑपरेटर	12		
ग)	प्रचालकों के लिए छुट्टी आरक्षित (@15%)	2		
घ)	3 वर्ष (36 महीने) के लिए संचालन एवं अनुरक्षण	उप-योग-I		
ङ)	सांविधिक कटौती			
i)	ईएसआईसी (3.25%)			
ii)	ईपीएफ (12%)			
iii)	कुल मासिक लागत			
iv)	3 वर्षों के लिए लागत			
v)	03 वर्षों के लिए बोनस (1 वेतन) प्रति वर्ष			
		उप-योग II		
II	विविध व्यय			
	प्रशासनिक प्रभार, मुद्रण स्टेशनरी टीए/जनशक्ति लागत का @ 6%	-	-	
III	बेस/कंट्रोल स्टेशनों का सीएएमसी			
(i)	प्रथम वर्ष के लिए सीएएमसी			
(ii)	द्वितीय वर्ष के लिए सीएएमसी (5% वृद्धि के साथ)			
(iii)	तृतीय वर्ष के लिए सीएएमसी (5% वृद्धि के साथ)			
		उप-योग III		
IV	अतिरिक्त व्यय			
i)	आईएलएल/एमवी लिंक की स्थापना के लिए कैपेक्स			
ii)	पहले वर्ष के लिए परिचालन व्यय			
iii)	दूसरे वर्ष के लिए परिचालन व्यय			
iv)	तीसरे वर्ष के लिए परिचालन व्यय			
v)	पहले वर्ष के लिए ईंधन शुल्क			
vi)	दूसरे वर्ष के लिए ईंधन शुल्क			
vii)	तीसरे वर्ष के लिए ईंधन शुल्क			
	हैंडलिंग शुल्क @ 10%			
		उप-योग IV		
V	विविध व्यय			
i	प्रथम वर्ष के लिए सिविल/इलेक्ट्रिकल/सामान्य अनुरक्षण			
ii	द्वितीय वर्ष के लिए सिविल/इलेक्ट्रिकल/सामान्य अनुरक्षण			

iii)	तृतीय वर्ष के लिए सिविल/इलेक्ट्रिकल/सामान्य अनुरक्षण			
iv)	बेस/कंट्रोल के लिए सिस्टम अपग्रेडेशन शुल्क (एक बार)			
v)	3 वर्ष के लिए बैटरी प्रतिस्थापन शुल्क (3 वर्ष x 150000 प्रति वर्ष)			
		उप-योग V		
VI	आरआईएस उपकरण			
i	वाराणसी नियंत्रण स्टेशन के लिए आरआईएस उपकरणों की मरम्मत/आपूर्ति	1		
ii	स्वरूपगंज बेस स्टेशन के लिए आरआईएस उपकरणों की मरम्मत/आपूर्ति	1		
iii	एसएल गंडक और एसएल कोसी में शिप स्टेशन की मरम्मत/आपूर्ति	2		
iv	चरण-2 में एआईएस स्टेशनों का प्रतिस्थापन	2		
v	मेट सेंसरों का प्रतिस्थापन	6		
		उप-योग VI		
	योग (I-VI)			
vii)	संविदाकार लाभ (उपरोक्त का 10%)			
	कुल योग			
	जीएसटी सहित कुल लागत			

* * *